द्वितीय माला, खण्ड १८—अंक ३

१३ अगस्त, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १८ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

127 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

(द्वितीय माला, खण्ड १८, अंक १ से १०—११ अगस्त से २२ अगस्त, १९५८)

अंक १—सोमवार, ११ अगस्त, १९५८

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण । १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९ से १२ और १४ से २१ . १—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८, १३ और २२ से ३७ . . २५—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७५ . . ३४—६७

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ६८—७८

१. केरल में स्थिति . . . . ६८—७३

२. भारत-पाकिस्तान सीमा की घटनायें . . . ७३—७८

श्री रायजादा हंसराज का निधन ७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ७९—८२

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश . . ८२

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश . . . ८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८२

केन्द्रीय बिक्रीकर (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ८३

प्रवर समिति का प्रतिवेदन ८३

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७ के उत्तर की शुद्धि . . ८३

रेलवे की बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . ८३—८६

केरल तथा मद्रास में विषैले भोजन के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग के सम्बध में वक्तव्य—

प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया . . . ८६—८८

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक ८८

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाना . ८८

विधेयक पुरःस्थापित . . . . . ८८—९२

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक . ८८—८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक ८९—९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्तारण) विधेयक ९०—९१

पृष्ठ

५. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक . ९१

६. राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक . ९१

७. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ९२

सभा पटल पर रखे गये अध्यादेशों के सम्बधं में वक्तव्य . ८९—९३

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, १९५८ . ८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश, १९५८ . ९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अध्यादेश, १९५८ ९०–९१

५. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश ९२–९३

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक— . ९३—१००

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ९३

नीवेली लिग्नाइट निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा . . . . . १००—१०९

ब्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक . . . १०९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १०९

व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक . . १०९

संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा गया १०९

कार्य मंत्रणा समिति— . . १०९

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . . १०९

दैनिक संक्षेपिका . . . ११०—११८

अंक २—मंगलवार १२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८, से ४१, ५४, ५५, ६२, ४४, ४५, ४७ से ४९, ५१ से ५३ और ५६ ११९—१४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४३, ४६, ५०, ५७, से ६१ और ६३ से ७० . . . १४२—१५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६, से ९३, ९५ से १४४ और १४६ से १८२ १५०—१९९

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . . १९९—२०२

जमशेदपुर में सेना का बुलाया जाना . . १९९—२०२

श्रीमती अनुसूया बाई काले का निधन . . २०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २०२—२०३

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५ के उत्तर की शुद्धि २०४

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन २०४

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विषयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव २०४

खण्ड २ से ३९ और १ . . . २२१—२२३

पारित करने का प्रस्ताव . . २२३

अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . २२३—२२८

खण्ड १ और २ . . . . २२९

पारित करने का प्रस्ताव २३०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)—१९५४–५५ २३०—२४४

दैनिक संक्षेपिका . . ३४५—३५१

अंक ३,—बुधवार, १३ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ७३ और ७५ से ८७ २५३—२७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४ और ८८ से १११ . . २७५—२८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ से २३५ और २३७ से २८६ २८६—३२८

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद में स्थिति ३२९—३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३३२—३३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कोटला बिजली घर का बन्द हो जाना ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ तथा १३१५ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ के उत्तर की शुद्धि ३३९

विदेशी मुद्रा की स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य—

श्री मोरारजी देसाई ३३९—३४२

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय की केन्द्रीय सलाहकार समिति . . ३४२—३४३

चीनी निर्यात सम्बर्द्धन विधेयक— पुरःस्थापित . . . ३४३

चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश के सम्बन्ध में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया . ३४३

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प—अस्वीकृत . . ३४३—३४६

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक—

पारित करने का प्रस्ताव . ३४६—३५७

खंड १ से ६ पारित करने का प्रस्ताव ३६२

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा बनारस हिन्दूविश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ३६३—३७२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३७३—३८५

अंक ४—गुरुवार, १४ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२, ११३, और ११५ से १३० ३८७—४१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४ . ४१५—४२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २८७, से ३४४, ३४६ से ३५० और ३५२ ४२३—४५५

श्री लल्लन जी का निधन . . . ४५४

स्थगन प्रस्ताव ४५४

उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . ४५४—४५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४५५—४५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तेइसवां प्रतिवेदन ४५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना मध्यपूर्व की स्थिति ४५६—४६२

लागत लेखा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में वक्तव्य . ४६२—४६३

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पुरःस्थापित . ४६३

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ४६३—५०३

दैनिक संक्षेपिका ५०४—५०८

अंक ५—शनिवार, १६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १५०, १५४ से १५६ और १५८ से १६५ ५०९—५३३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १५३, १५७ और १६६ से १७७ . ५३४—५४०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३—४३६ ५४०—५८०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८०—५८३

लोक लेखा समिति—

सातवां प्रतिवेदन ५८३

सभा का कार्य ५८३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना ५८४

विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक, १९५८ . . . ५८४

विचार करने का प्रस्ताव ५८४
खण्ड १ से ३ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव . . ५८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प
—अस्वीकृत . . . ५८५—६०५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ५८५—६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ६०६

कुछ उद्योगों में मजदूरनियों की कमी के बारे में संकल्प ६०७—६१४
एकाधिकार रखने वाले साथों के कार्य के बारे में संकल्प ६१४—६२२
दैनिक संक्षेपिका ६२३—६३०

अंक ६—सोमवार, १८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से १८०, १८२ से १८६, १८८ से १९०, १९२, १९४ से १९६, १९८ से २००, २०२ और २०३ ३३१—३५६

तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर की शुद्धि . ६५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१, १८७, १९१, १९३, १९७, २०१ और २०४ से २१८ . . . . ६५६—६६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० से ५१८ . . ६६५—६९७

स्थगन प्रस्ताव . . . . ६९७—७५५

स्वतन्त्रता दिवस पर जयपुर में घटनायें . . . ६९७—६९८
दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना—अस्वीकृत . . ६९८—७५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७०१—८०४

पृष्ठ

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . . . ७०४

सदस्य की नजरबन्दी तथा रिहाई . . . ७०४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . ७०४

नई रेलवे भाड़ा दरों के बारे में वक्तव्य . ७०४–७०५

रेलवे बोर्ड में परिवर्तनों सम्बन्धी वक्तव्य . . ७०५–७०६

प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश . . ७०६

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७०६—७१२

खण्ड २ से ४ तथा १ . . . . ७१४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७१४

श्री दातार . . . . ७१२—७१४

सशस्त्र बल (आसाम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियां विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७१४—७३१

खण्ड २ से ७ तथा १ . ७३२

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ७३२—७५५

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७५५

दैनिक संक्षेपिका . . . . ७५६—७६२

अंक ७— मंगलवार, १९ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २१९, २२० और २२२ से २३४ . ७६३—७८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २२१ और २३५ से २७१ . . ७८८—८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१९ से ५८४, ५८६ और ५८७ . . ८०४—८३६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ८३७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८३७–८३८

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

जमुना में बाढ़ और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही . . ८३८–८३९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ८४०—८६९

दिल्ली में पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . ८६९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ८७०—८७४

अंक ८—बुधवार, २० अगस्त, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२ से २७४, २७७, २७८, २८१, २८२, २८५ से २८९ और २९१ से २९६ . . ८७५—९००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ और २ . . . ९००-९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७६, २७९, २८३, २८४, २९० और २९७ से ३२७ . ९०१—९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८८ से ६५६ . . ९१७—९४६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ९४७

श्री बीरकिशोर रे का निधन . . ९४७-४८

स्थगन प्रस्ताव . . ९४८—९५०

१. कोयम्बटूर में मिल का बन्दा हो जाना ९४८-९४९

२. जयपुर में स्थिति . ९४९-९५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . ९५१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . ९५२—९६१

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ९६२—१०००

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ९८०

कार्य मंत्रणा समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ९९१

दैनिक संक्षेपिका . १००१—१००७

अंक ९, गुरुवार, २१ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३०, ३३२, ३३३, ३५५, ३३५ से ३३७ ३३९, ३४०, ३४२, ३४४ और ३४५ . . १००९—१०३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१, ३३४, ३४१, ३४३, ३४६ से ३५४ और ३५६ से ३९१ . . . . १०३१—१०५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६१, ६६३ से ७०५ और ७०७ से ७२४ १०५०—१०७४

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०७४

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक १०७५

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १०७५

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य—सभा पटल पर रखा गया । . १०७५

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन १०७५–७६

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव १०७६—११२६

दैनिक संक्षेपिका ११२७—११३२

अंक १०, शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०४, ४१०, ४११, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ और ४२९ ११३३—११६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०१, ४०५ से ४०९, ४१२, ४१४ से ४१६ ४१८, ४१९, ४२७ और ४३० से ४३५ . . ११६१—११६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२५ से ७३१, ७३३ से ७४४ और ७४६ से ७८९ ११६९—११९५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११९५

सभा का कार्य ११९६

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना । ११९६–११९७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—पुरस्थापित . ११९७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११९७—१२१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . . . १२११

तेलों के उद्जनीकरण पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित . १२११

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा ३ का संशोधन तथा धारा १० और ११ आदि के स्थान पर अन्य धाराओं का रखा जाना)—पुरस्थापित. . १२११

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा १३ और द्वितीय अनुसूची का संशोधन)—पुरस्थापित . १२१२

	पृष्ठ
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८—(अनुसूची १ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८— (धारा ११६-क का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२–१२१३
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक, १९५८— (धारा ६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१३
पशुओं के चारे में निर्यात पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१३
विस्थापित व्यक्तियों का (प्राकृतिक आपत्तियों से) पुनर्वास विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
एकाधिकार और व्यापार सम्बन्धी अनुचित तरीके (जांच तथा रोक) विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४–१३१५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	१२१५
संविधान संशोधन विधेयक, १९५८— (अनुच्छेद १३६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१५
भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२१५—१२२५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२२५—१२३२
दैनिक संक्षेपिका	१२३३—१२३७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, १३ अगस्त १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तेल शोधक कारखाने के लिये रूमानिया की सहायता

+

†*७१. **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री राधा रमण :
श्री सरजू पांडे :
श्री वाजपेयी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१०५ से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूमानिया के शिष्टमंडल के यहां आने से पहले भारत सरकार ने जो प्रारम्भिक जानकारी मांगी थी क्या वह मिल गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

† **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :**

(क) जी हां।

(ख) एक भारतीय शिष्टमंडल और आगे वार्त्ता के लिये हाल ही में रूमानिया भेजा गया था। उसका प्रतिवेदन मिल गया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री वि० च० शुल्क** : क्या यह सच है कि इंटरनेशनल पैट्रोलियम कन्सल्टेंट्स ने यह सिफारिश की है कि एक ऐसे बड़े तेल-शोधक कारखाने का प्रस्ताव ही सबसे अधिक बचत वाला रहेगा जिसमें अपरिष्कृत तेल की एक पाइपलाइन तेल के कुओं से कारखाने तक जाती हो और परिष्कृत तेल-पदार्थों की एक पाइपलाइन उपभोग करने वाले केन्द्र तक जाती हो, और यदि हां, तो इस विशेष सिफारिश के बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : आसाम आयल कम्पनी के परामर्शदाताओं से एक प्रतिवेदन मिला है और सरकार अभी उस प्रतिवेदन पर विचार कर रही है ।

†**श्री वि० च० शुल्क** : क्या आसाम सरकार ने भारत सरकार से आसाम में एक बड़े तेल शोधक कारखाने की स्थापना का अनुरोध किया है, और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार कुछ अन्तिम निर्णय करने से पहले आसाम सरकार से परामर्श करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक आसाम सरकार से परामर्श करने का संबंध है, हम उनसे कई बार चर्चा कर चुके हैं और अभी उनसे परामर्श करने का विशेष कुछ मौका नहीं है । प्रतिवेदन हैं ही, हमने प्रायः हरेक बात पर विचार कर लिया है । अब अन्तिम रूप से विचार हो रहा है और मुझे आशा है कि सरकार शीघ्र ही कुछ निर्णय कर लेगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इंटरनेशनल पैट्रोलियम कन्सल्टेन्ट्स ने आसाम में केवल एक लेकिन अधिक बड़े तेल शोधक कारखाने की स्थापना की सिफारिश की है, परामर्शदाताओं की इस अन्तराष्ट्रीय फर्म का प्रतिवेदन आने से पहले रूमानिया सरकार से बातचीत क्यों चलायी गयी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : माननीय सदस्य ने घटनाओं का क्रम बिल्कुल ठीक ठीक नहीं बताया है । रूमानिया सरकार से बातचीत उस समय से चल रही है जब यह फर्म शायद बनी भी नहीं थी । इसलिये सरकार के सामने कई बातें हैं और हर चीज का ध्यान रखते हुये मेरा ख्याल है कि रूमानिया का प्रस्ताव ऐसा है जिस पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : सरकार ने रूमानिया का प्रस्ताव बिना परियोजना प्रतिवेदन के ही क्यों स्वीकार कर लिया क्यों कि परियोजना प्रतिवेदन-तेलशोधक कारखाने की स्थापना के लिये अत्यावश्यक होता है ?

†**श्री के०दे० मालवीय** : रूमानिया के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन उस पर अनुकूल ढंग से विचार करने का कारण यह है कि उनका प्रस्ताव बड़ा आकर्षक है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भारत सरकार ने तेलशोधक कारखाने की स्थापना के लिये स्थान चुनने के लिये जो समिति मूल रूप से नियुक्त की थी उसके प्रतिवेदन में, जो अब तक गोपनीय दस्तावेज है, आसाम में केवल एक लेकिन अधिक बड़ा तेलशोधक कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की गयी थी, क्या कारण है कि सरकार ने इस कारखाने को तो भागों में बांट देना उचित समझा और इसी आधार पर रूमानिया सरकार से अपनी बात चीत चलाई ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री के० दे० : मालवीय** माननीय : मित्र जानते हैं....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी प्रश्न का उत्तर देने में इतना ब्यौरा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

टेक्निकल विद्यार्थियों को छात्रवृतियां

†*७२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेक्निकल शिक्षा संस्थाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना पर अभी अन्तिम रूप से विचार नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) और (ख). जी नहीं। १९४९-५० से ही कुछ गवेषणा छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। १९५३ में कुछ स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां भी दी गई थीं और अवरस्नातक अध्ययन के लिये कुछ छात्रवृत्तियां कार्यान्वित की जाने वाली है।

† **श्री स० म० बनर्जी** : १९५७-५८ में कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां मिलीं ?

† **श्री हुमायूं कबिर** : किस श्रेणी में ?

† **श्री स० म० बनर्जी** : टेक्निकल सहायता।

† **श्री हुमायूं कबिर** : मैंने उन्हें अलग-अलग बांट कर बताया है कि कुछ गवेषणा छात्रवृतियां हैं और कुछ स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां हैं। गवेषणा छात्रवृत्तियां इस समय ६८० लोगों को मिल रही है।

† **श्री तंगामणि** : क्या ये छात्रवृत्तियां कलकत्ता के मेरीन इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों को भी मिलती हैं ?

† **श्री हुमायूं कबिर** : स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिये अब तक बीस शिक्षण संस्थायें चुनी गई हैं और यह पता लगाने के लिये कि यह कालेज विशेष उनमें से एक है अथवा नहीं मुझे वह सारी सूची देखनी पड़ेगी।

† **श्री तंगामणि** : इस कालेज में स्नातकोत्तर कक्षा नहीं है। कलकत्ता में इस प्रकार का यही एक मात्र कालेज हैं जिसमें प्रतिवर्ष ५० छात्र लिये जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये छात्रवृत्तियां मेरीन इंजीनियरिंग कालेज के लिये भी हैं अथवा नहीं।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : यह संस्था विशेष उस सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं यह जानने के लिये वह सारी सूची देखनी होगी।

† **श्री तंगामणि** : यह संस्था बड़ी महत्वपूर्ण है इस प्रकार की यह एकमात्र संस्था है।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने समय के अन्दर प्रश्न नहीं पूछा।

सोने के बाण्ड योजना

†*७३ **श्री तंगामणि :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम राज :
श्री कुमारन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जमा किये गये बेकार सोने को गतिशील बनाने के लिये सोने के बाण्ड जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) निर्णय किस प्रकार का है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) विषय विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री तंगामणि :** क्या सोने के प्रति तोला विश्व बाजार मूल्य और भारतीय बाजार मूल्य (६२ रु० विश्व बाजार मूल्य और १०६ रु० भारत) में इतनी विभिन्नता को दृष्टि में रखते हुये इस विषय में कोई शीघ्रता की जायेगी और क्या तस्कर व्यापार को रोकने के लिये भी तत्काल इसको लागू किया जायेगा ?

† **श्री मोरारजी देसाई :** इन वाहक[1] बांडों से मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** इन स्वर्ण ऋणों को जारी न करने में क्या कठिनाइयां हैं अथवा उसके क्या कारण हैं जिनसे विदेशी विनिमय स्थिति सुलभ हो जायेगी ?

† **श्री मोरारजी देसाई :** चूंकि मामला अभी विचाराधीन है, अतः सम्पूर्ण प्रक्रिया बता सकना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

†**श्री दामानी :** क्या किसी विदेशी सरकार ने इस प्रकार के स्वर्ण ऋण लागू किये हैं; और यदि हां, तो उसमें उन्हें कहां तक सफलता मिली है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जहां तक मुझे ज्ञात है फ्रांसीसी सरकार ने हाल ही में स्वर्ण ऋण जारी किया और उसने लगभग ७५ करोड़ रुपये कमाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Bearer.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि सरकार जो इस बात पर विचार कर रही है कि सोने के लिये बांडस जारी किये जायेंगे तो क्या इस योजना के अन्तर्गत ज्वेलरी, जवाहिरात और दूसरी मूल्यवान वस्तुयें भी रहेंगी या केवल सोना ही रहेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** सारा विचार हो रहा है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में बैंकों एवं अन्यत्र तिजोरियों में जमा किये गये सोने के बारे में कोई अनुमान है, और यदि हमें कोई निश्चित अनुमान नहीं है तो क्या हम उन विधिक उपबन्धों को लागू करने जा रहे हैं जिनके द्वारा हम यह जान सकें कि जमा की गई राशि वास्तव में कितनी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** ये सब निष्कर्ष सम्बन्धी मामले हैं । जो मामले अभी तक तय नहीं हुये उनके बारे में कुछ कह सकना मेले लिये कठिन है ।

†**श्री नाथ पाई :** मंत्री महोदय ने यह बताने की कृपा की है कि मामला विचाराधीन है । हम जानना यह चाहेंगे कि ऐसा सोना कितना होगा इसका कुछ पता लगाया गया है—जमा किये गये सोने से मुझे कोई मतलब नहीं है । चूंकि आप यह कहते हैं कि आप इस पर विचार कर रहे हैं, तो सम्भवत: इसका कुछ हिसाब भी लगाया गया होगा ।

†**श्री मोरार जी देसाई :** रिजर्व बैंक और कुछ अर्थशास्त्रियों की ओर से कुछ लोगों ने इसका अनुमान लगाया था और यह अनुमान लगभग २,५०० करोड़ रुपये है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री कमल नयन बजाज :** चूंकि योजना विचाराधीन है....

†**उपध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है कि माननीय सदस्य देर से खड़े हुये ।

पटियाला निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन

†***७५. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९५८ में पटियाला नगर निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन अचानक ११ मई, से २५ मई के लिये मत पत्र न छपने के कारण स्थगित कर दिया गया था जब कि पहले यह घोषणा की जा चुकी थी कि निर्वाचन ११ मई को होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार निर्वाचन स्थगित कर देने से उम्मीदवारों और मतदाताओं को हुई अत्याधिक असुविधा के कारणों की जांच कोई की गई है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजार नबीस) : (क) मतपत्रों के समय के अन्दर छपने में अप्रत्याशित कठिनाइयों के कारण यह उप-चुनाव स्थगित करना पड़ा था ।

(ख) चूंकि स्थगन कुछ परिस्थितियों के कारण विवश हो कर करना पड़ा था जोकि निर्वाचन आयोग को ज्ञात थीं, अत: जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी ।** क्या मुद्रकों को कोई समय दिया गया था जिससे पहले वे मत-पत्र छाप कर दे दें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हज़ार नबीस :** इस पर हमारे पास कोई संक्षिप्त जानकारी नहीं है। किन्तु यदि माननीय सदस्य वह विशिष्ट तारीख जानना चाहते हैं तो पूर्व सूचना दे सकते हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच नहीं कि मतपत्र समय के भीतर न छपने के कारण कुछ अकुशलता और शिथिलता आ गई थी और कुछ समय के लिये निर्वाचन स्थगित करना पड़ा था ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** जी नहीं। निर्वाचन आयोग इस बात से सन्तुष्ट है कि इसमें कोई शिथिलता नहीं आने पाई थी। संक्षेप में कारण निम्न है। इस उप-चुनाव में नई निर्वाचन पद्धति लागू करने के लिये मतपत्रों पर कुछ चिह्न विशेष लगाये जाने थे। उन्हें मुद्रकों के पास समय के भीतर भेज दिया गया था। प्रूफ देखने के लिये आने पर पता लगा कि पंजाब सरकार द्वारा जो मूल डिजाइन तैयार किया गया था उसके मुकाबले उसमें कुछ परिवर्तन हो गया था। अतः वे वापस लौटा दिये गये और ५ मई को फिर प्राप्त हुये जबकि चुनाव की तिथि ११ मई थी। समय बहुत कम रह गया था। इसके साथ ही बारह उम्मीदवारों में से उस समय तक चार के अलावा और सब बैठ गये थे। अतः जो चार उम्मीदवार रह गये थे उन्हीं के नाम वाले मत पत्र पुनः छपवाने पड़े। अतः ११ मई के बजाय चुनाव २५ मई के लिये स्थगित किया गया था, यह अन्तर बहुत कम दिनों का था और हम इस बात से सन्तुष्ट हैं कि इससे किसी को भी कोई असुविधा नहीं हुई।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या प्रूफ की जांच करते समय समय को ध्यान में रखा गया था ?

†**श्री अ० कु० सेन :** यह चीज़ हमेशा ध्यान में रखी जाती है।

इंजीनियरिंग के स्नातक

+

†* ७६ { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री राम कृष्ण :
श्री हेम बरूआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस सुझाव को क्या रूप दिया गया कि इंजीनियरिंग के स्नातकों को जब तक कि उन्हें स्थायी रूप से काम न मिल जाये तब तक उनकी सूची तैयार रहनी चाहिये और ३५० रुपये प्रति मास उन्हें दिया जाना चाहिये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** विदेशों से प्रशिक्षित हो कर आये हुये उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों और प्रविधिज्ञों को अस्थायी रूप से काम देने के लिये एक संवर्ग[२] बनाने का निश्चय कर लिया गया है। भारतीय विश्वविद्यालयों के अभूतपूर्व शैक्षणिक रेकार्ड वाले एवं विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में उच्च श्रेणी में पास स्नातकोत्तर भी इस संवर्ग के लिये उपयुक्त होंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जो स्नातक विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर निकलते हैं उन्हें काम दिलाने के लिये अथवा उन्हें स्थायी रूप से काम न मिलने तक उनकी एक सूची बनाई जाने के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया सुझाव किस प्रकार का था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[२]Pool.

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं अभी कह चुका हूं कि एक संवर्ग बनाया जा रहा है जिसमें अभूतपूर्व प्रतिभावान व्यक्तियों को स्थान मिलेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं उत्तर समझ गया कि अभूतपूर्व प्रतिभावान लोगों का एक संवर्ग बनेगा। किन्तु मैं जानना यह चाहता हूं कि कोई सुझाव था अथवा नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब प्रयोजन पूरा हो जायेगा।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : निस्सन्देह प्रधान मंत्री ने सुझाव दिये थे .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का तात्पर्य यह था कि उन्हें अस्थायी रूप से काम दिया जाय और वे बेकार न रहें। इसका उत्तर दिया जा चुका है कि एक संवर्ग बनाया जा रहा है, अतः वे बेकार नहीं रहेंगे। और उच्च प्रशिक्षित इंजीनियरों को उसमें लिया जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह संवर्ग बिल्कुल दूसरे वर्ग के इंजीनियरों के लिये बनाया जा रहा है। मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या यह संवर्ग विदेशों से लौटे ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिकों के लिये ही है और यह जो ३५० रुपये का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है वह उन्हीं को मिलेंगे जो ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक हैं और जिन्हें विदेशों में काम मिल सकता है तथा जिनके लिये यहां कोई विशेष जगह नहीं है। किन्तु जिनकी यहां आवश्यकता है अथवा यह संवर्ग उन इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये है जो यहां के विश्वविद्यालयों से पास हो कर निकलते हैं और जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, जिससे इस बीच उनका नाम इस सूची में दर्ज कर लिया जाये और कुछ पैसा मिलता रहे। इसका स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं। क्या ये ३५० रुपये वही हैं अथवा कुछ और हैं एवं उन्हें कितना वेतन देने का विचार है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यहां के इंजीनियर बेकार नहीं रहेंगे। यह संवर्ग प्रमुख रूप से उन्हीं व्यक्तियों के लिये है जिन्हें विदेशों में प्रशिक्षण मिल रहा है और जिनमें विशेष योग्यता है। किन्तु अभूतपूर्व प्रतिभा वाले वैज्ञानिकों अथवा इंजीनियरों के लिये भी इसमें गुंजाइश रहेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न यह नहीं था .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् में यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक इंजीनियरिंग के स्नातक को तब तक ३५० रुपये दिये जायेंगे जब तक कि उसे स्थायी नौकरी नहीं मिल जाती। राष्ट्रीय विकास परिषद् में यह सुझाव दिया गया था। गृह-कार्य मंत्री ने यह उत्तर दिया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी इस संवर्ग में शामिल किया जायेगा और उन्हें भी वही सुविधा मिलेगी।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कोई आंकड़े बताये हों अथवा प्रत्येक इंजीनियर का उल्लेख किया हो। मैंने तो यह कहा था कि मुख्यतया जो नये लोग भारत आ रहे थे और जिन्होंने हाल ही में शिक्षा समाप्त की थी तथा जो पूर्णरूपेण शिक्षित हो चुके थे उनका एक संवर्ग बनाया जाना चाहिये, भले ही उन्हें तत्काल नौकरी न मिले, ऐसे व्यक्तियों को कुछ न कुछ काम पर लगाया जाना चाहिये। मेरे मस्तिष्क में विदेशों में शिक्षित वे भारतीय थे जो वहां से पूर्णरूपेण प्रशिक्षित हो कर आये हैं और जिन्हें कुछ समय तक काम नहीं मिल सकता था। अतः उन्हें काम मिलने का कुछ आश्वासन मिलना चाहिये और जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उनका कुछ उपयोग किया जाना चाहिये और

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्हें काम मिल जायेगा। यह चीज़ यहां के लोगों के लिये भी लागू होती है, बशर्तेकि वे अभूतपूर्व प्रतिभावान हों, जैसा कि माननीय मित्र ने कहा है। किन्तु वस्तुतः इंजीनियरों को इस देश में नौकरी मिल ही जाती है और वे बेकार नहीं रहने पाते।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : संवर्ग किस प्रकार का होगा और कितना वेतन देने का विचार है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : संवर्ग के लिये चुने गये प्रत्येक व्यक्ति को सामान्यतः ३०० और ६०० रुपये के बीच आरम्भ में वेतन मिलेगा, जो उसकी योग्यता एवं प्रतिभा पर निर्भर करेगा। कुछ विशेष अवस्थाओं में जो व्यक्ति अन्य कहीं नौकर हैं उन्हें भी विशेष शर्तों पर इस संवर्ग के लिये चुना जा सकेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये पहले ही क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : रजिस्टर तैयार किया जा चुका है और आशा है कि उनका चुनाव यथासमय हो जायेगा।

†**श्री बोस** : इंजीनियरिंग की कई किस्में हैं। सामान्य मशीनरी सम्बन्धी और विद्युत सम्बन्धी इंजीनियरिंग के अतिरिक्त खान, रसायन तथा कृषि सम्बन्धी इंजीनियर भी होते हैं ; इन सभी किस्मों में से सरकार किसको प्रधानता देने का विचार करती है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इंजीनियर भी बहुत प्रकार के हैं यह सच है।

†**श्री त्यागी** : इस प्रयोजन के लिये कुल कितना वार्षिक अनुमानित व्यय नियम किया गया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : अभी तक कोई राशि नियत नहीं की गई है। अभी हमारी प्रारम्भिक अवस्था है और योजना पर अन्तिम निर्णय हो जाने के पश्चात् इस पर काम किया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : क्या प्रधान मंत्री ने ऐसी योजना के लिये बचन देने से पूर्व सरकार और वित्त मंत्री अथवा सरकारी कोष से परामर्श नहीं किया था कि वे इस भार के सहन करने में हिस्सा बंटायेंगे अथवा नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें पहले से कोई बात नहीं की गई, बचन दे दिया गया है।

†**श्री त्यागी** : योजना के लिये धन की आवश्यकता है और यह राशि उन लोगों को दी जायेगी जो बेकार हैं। मैं जानना यह चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय ने कितनी राशि स्वीकृत की है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह पहले ही कहा जा चुका है कि यह चीज़ अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और कुछ भी निश्चय नहीं किया गया है और न ही आय-व्ययक द्वारा स्वीकृति दी गई है।

†**श्री त्यागी** : तब फिर उन्होंने बचन कैसे दे दिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर :** यह सुविधा केवल इंजीनियरों के लिये ही है अथवा अन्य वृत्तियों के लोग भी इस योजना में सम्मिलित किये जायेंगे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति इसमें शामिल किये जायेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

प्रतिरक्षा उत्पादन योजना समिति

\+

†*७७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १३ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा उत्पादन योजना समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अनुमानतः किस तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा उप मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने में तीनों सेनाओं के लिये विभिन्न शस्त्र एवं उपकरण भारत में उत्पादन करने की एक तृवर्षीय योजना अन्तर्ग्रस्त है । यह योजना यथार्थ आवश्यकता उपलब्ध उत्पादन क्षमता और प्राप्य राशियां तथा विशेष रूप से विदेशी मुद्रा पर आधारित है । यह विषय अत्यधिक-टेक्निकल और जटिल है । अतः इसका सावधानी पूर्वक और विस्तृत परीक्षण आवश्यक है । यह निश्चित है कि इस कार्य में कुछ और अधिक समय लगेगा ।

(घ) समिति की अन्तिम रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायेगी ।

† **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या कुछ टेक्निकल विशेषज्ञ जिनका हमारे उत्पादन कार्य से संबंध था, इस समिति से उनका संबंध सरकारी रूप में था अथवा निजी रूप से, और यदि हां, तो देश में प्रतिरक्षा संबंधी उत्पादन के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है ?

† **प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** मैं समझता हूं कि इस तथाकथित समिति के बारे में कुछ गलतफहमी है । वास्तव में यह मंत्रालय के अन्दर की एक विभागीय कार्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

की कार्य समिति है। कुछ हद तक रिपोर्ट में जितना बताया गया है उससे कहीं अधिक उत्पादन हुआ है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह कार्यसमिति कुछ नये प्रकार का उत्पादन भी आरम्भ करने वाली है अथवा जिस प्रकार का कार्य अभी हो रहा है उसी तक सीमित रहेगा?

†**श्री रघुरामैया :** उत्तर स्पष्ट है कि यह नये प्रकार का उत्पादन आरम्भ करेगी।

†**श्री भक्त दर्शन :** मैं समझता हूं कि कुछ समय पहले इस समिति ने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ?

†**श्री रघुरामैया :** सरकार रिपोर्ट के अनुसार कार्य कर रही है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या इस समिति ने आयुध कारखानों में ट्रैक्टर बनाने की भी सिफारिश की है? यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा कोई अन्तिम निर्णय इस बारे में किया गया है?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जैसा कि मैं कह चुका हूं यह कार्यकारिणी दल एक सामान्य विभागीय प्रक्रिया सम्बन्धी समिति है। चूंकि कुछ समाचार पत्रों के रिपोर्टरों द्वारा इसका प्रचार किया गया था, इस कारण इसका नाम समिति रख दिया गया। ट्रैक्टर परियोजना इसमें सम्मिलित नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मेरा प्रश्न यह है कि क्या इसने यह सिफारिश की है कि आयुध कारखानों में ट्रैक्टर बनाये जायें?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह इसके अन्तर्गत नहीं आयेगा और इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी :** यह एक समिति थी जिसकी नियुक्ति आयुध कारखानों की अधिक्य उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिये तरीके बताने के लिये की गई थी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ट्रैक्टर परियोजना इसमें शामिल नहीं की गई है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** समिति ने यह सिफारिश की थी कि आयुध कारखानों में ट्रैक्टर बनाये जाने चाहिये। क्या यह सच है?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जैसा कि मैं कह चुका हूँ यह मंत्रालय के कर्मचारियों का एक कार्यकारी दल है इसके साथ ही इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी आयुध कारखानों से संबंधित विशेष कार्य के लिये आवश्यकता होती है क्योंकि समस्या काफी गम्भीर हो गई है। यह संसदीय सरकारी अथवा अन्य किसी प्रकार की समिति नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** इसी १३ फरवरी को तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के उत्तर में यह कहा गया था कि प्रारम्भिक रिपोर्ट पर कार्य किया जा रहा है। प्रारम्भिक रिपोर्ट पर कार्य करने के परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

†**श्री रघुरामैया :** जिस प्रकार मेरे माननीय मित्र चाहते हैं उस प्रकार आंकड़ों में उत्पादन की वृद्धि बता सकना बड़ा कठिन है। इतना निश्चय है कि उत्पादन में वृद्धि अवश्य हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : क्या इस समिति को भारत में टैंक बनाने की प्रस्थापना करने के संबंध में सिफारिश करने का भी अधिकार दिया गया है ?

†श्री कृष्ण मेनन : मुझे भय है कि यह चीज़ उस तथाकथित समिति से भी आगे बढ़ती जा रही है। इस समिति ने टैंक बनाने पर कभी विचार नहीं किया । इस मामले पर विचार किया जा चुका था और श्री त्यागी जिन्होंने स्वयं विभिन्न प्रक्रमों पर इस बारे में निर्णय किया था, स्थिति जानते हैं।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी ? अथवा क्या इस पर सभा में वाद-विवाद होगा ?

†श्री रघुरामैया : ऐसा करना लोक हित में नहीं होगा वह पूर्णरूपेण केवल विभागीय निकाय है जिसकी रिपोर्ट का उपयोग मंत्रालय के लिये ही किया जायेगा।

चोरी-छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना ।

\+

†*३८. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने २ जून, १९५८ को एक स्विस के नागरिक के पास बहुत बड़ी संख्या में घड़ियां पकड़ी ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) २ जून, १९५८ को बी० ओ० ए० सी० के एक जहाज से पालम हवाई अड्डे पर मिस्टर चार्लस हेनरी सेंडोज नामक एक स्विस नागरिक आया। औचित्य सन्देह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उसकी पूर्ण तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग ४२,००० रुपये के मूल्य की ११५० घड़ियां बरामद की गई । घड़ियों को कब्जे में लेकर उन्हें जब्त कर लिया गया और उस पर १,००,००० रुपये जुर्माना किया गया।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या उन स्थानों एवं व्यक्तियों की भी जांच-पड़ताल की गई जहां वह उन घड़ियों को बेचने के लिये लोगों से मिलने जा रहा था ?

†श्री ब० रा० भगत : इसकी जांच की गई थी किन्तु यह पता नहीं लग सका कि वह कहां और किससे मिलने जा रहा था।

†श्री प्रभातकार : घड़ियों के निर्यात पर नियंत्रण लगने के पश्चात् से अब तक चोरी-छिपे लाई गई कितनी बरामद हो चुकी हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : प्रतिबन्ध लग जाने के पश्चात् कितने काल में ? मैं इसके लिये अलग पूर्वसूचना चाहूँगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : उसका आना किस प्रकार का था? वह कोई व्यापारी था अथवा पर्यटक?

†**श्री ब० रा० भगत** : उसके पास से बरामद हुई घड़ियों से ही पता लग जाता है कि उसका आना कैसे हुआ था।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि केवल पालम हवाई अड्डे से ही नहीं बल्कि पूर्वी और पश्चिमी बंगाल से और गोआ से घड़ियां स्मगल हो कर बराबर हिन्दुस्तान में आ रही हैं और इस काम को रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक बड़ा प्रश्न है । यह केवल प्रश्न इतना है कि क्या उसके पास कुछ मिला था।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या इस व्यक्ति के पास कुछ और चीज़ें भी मिली थीं? यदि हां, तो उनका क्या हुआ और वे चीज़ें कौन-कौन सी हैं?

†**श्री ब० रा० भगत** : घड़ियों के साथ-साथ उसके पास कुछ डालर चलार्थ भी थे। वह भी जब्त कर लिये गये थे।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : कितनी राशि के थे?

†**श्री ब० रा० भगत** : १२,००१ डालर।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस देश में चोरी-छिपे घड़ियां लाने के व्यवसाय को अलाभ-प्रद बनाने के लिये कुछ किया जा रहा है?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस समय तो यह लाभप्रद ही है किन्तु हम उसे केवल रोक ही सकते हैं।

विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां

+

†*७९. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुमारन् :
श्री तंगामणि :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दामानी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री जगन्नाथ राव :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को अब भी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो हमारे रक्षित स्टर्लिंग और डालर की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) भारत के विदेशी मुद्रा रक्षित कोष जो सोने और स्टर्लिंग के रूप में है, १ जून १९५८ को क्रमशः ११७.८ करोड़ और १९२.७ करोड़ रुपये तथा कुल मिला कर ३१०.५ करोड़ रुपये था। स्टर्लिंग क्षेत्र के सदस्य होने के नाते डालर अलग रक्षित नहीं किये जाते, हमारी डालर सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति सोने और डालर के केन्द्रीय रक्षित कोष में से स्टर्लिंग क्षेत्र द्वारा होती है।

(ग) मैं माननीय सदस्य का ध्यान इकनामिक सर्वे, १९५७–५८ के पैरा ३१ से ३६ की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो २८ फरवरी, १९५८ को आय-व्ययक सम्बन्धी कागजात के साथ संसद् में प्रस्तुत किया गया था।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : १९५०–५१ में जब ब्रिटेन को डालर की कठिनाई थी उस समय भारत ने डालर 'पूल' बनाना स्वीकार कर लिया था। अब जबकि हमें कठिनाई है क्या ब्रिटेन ने किसी प्रकार की सहायता करने की इच्छा प्रकट की है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम इस समस्या पर उन से बातचीत कर रहे हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या हमने प्रत्यक्ष रूप से अमरीका से कुछ डालर मांगे हैं ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

† **श्री मोरारजी देसाई** : प्रश्न काल समाप्त होने के बाद में विदेशी मुद्रा के बारे में एक वक्तव्य देने वाला हूं।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : कुछ समय पहले सरकार पूंजीगत वस्तुओं को बाद में भुगतान की शर्त पर खरीदने के लिये प्रोत्साहित कर रही थी परन्तु अब उनकी राय इससे बिल्कुल उलटी हो गई है। इसका क्या कारण है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : थोड़े समय बाद जो भुगतान किये जाने होते हैं उनसे हमारी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं क्योंकि हम कुछ वर्षों के बाद एकमुश्त बड़ी राशियां देना पड़ेती हैं। यदि काफी समय के बाद भुगतान किया जाना हो तो हम उसे लाभप्रद समझते हैं और यदि सयंत्र की आय में से भुगतान किया जाना हो तो उसकी भी अनुमति दी जा सकती है।

†**श्री तंगमणि** : क्या अक्तूबर-दिसम्बर के लिये और धन आवंटित किया जायगा या पहले आवंटित की गई राशि में से ही खर्च किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उन साथों के लिये पुनः कोई आवंटन किया जायेगा जिन्हें इस प्रतिबन्ध के कारण हानि पहुंची हो ।

† **श्री मोरारजी देसाई** : इस बारे में एक अलग प्रश्न है। शायद उसका नम्बर ८७ है।

†**श्री प्रभात कार** : गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष स्थिति कैसी है ?

† **श्री मोरारजी देसाई** : मैंने बताया कि प्रश्न काल की समाप्ति पर मैं एक वक्तव्य देने वाला हूं।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल के समाप्त होने पर एक विस्तृत वक्तव्य दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : क्या भारत सरकार को यह आश्वासन मिल गया है कि परियोजनाओं के लिये छोड़ा गया ९६२ करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा का आयव्ययक प्राप्त हो जायेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जो कुछ आश्वासन मिला है वह सभा को बताया जा चुका है ।

†**श्री दामानी** : क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा का कोई अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन आय-व्ययक तैयार किया है; यदि हां, तो हमारी कठिनाइयां कब तक दूर होंगी ?

† **श्री मोरारजी देसाई** : मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं ।

† **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : खण्ड (ग) के अन्तर्गत, मैं जानना चाहती हूं कि निर्यात बढ़ जाने से सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है ?

† **श्री मोरारजी देसाई** : मैंने अभी बताया है कि मैं एक वक्तव्य देने वाला हूं ।

भारत–पाक वित्तीय मामले

+

†*८०. **सरदार इकबाल सिंह**
श्री रामकृष्ण :
श्री दामानी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री २६ फरवरी, १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बकाया वित्तीय मामलों को सुलझाने के लिये एक बैठक की तिथि निश्चित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह तिथि कौन सी है ?

† **वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी नहीं, ऐसी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस बारे में पाकिस्तान सरकार से अन्तिम पत्र कब प्राप्त हुआ था ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : दिसम्बर, १९५७ में जबकि वह तिथि निश्चित करना चाहते थे । उसके बाद कोई बात नहीं उठी ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : भारत और पाकिस्तान में कौन-कौन से वित्तीय मामलों का निर्णय होना शेष है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस विषय में ५ सितम्बर, १९५७ को सभा में एक वक्तव्य दिया गया था । माननीय सदस्य उसे देखें ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : विभाजन के समय भारत ने पाकिस्तान को जो ऋण दिया था क्या पाकिस्तान ने उसमें से कुछ लौटाया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : शायद नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दामानी :** कुल मिलाकर हमें पाकिस्तान से कितनी राशि लेना है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** शायद कुल राशि २३ करोड़ रुपये होगी ।

श्री वाजपेयी : यह बकाया राशि वसूल करने के लिये सरकार क्या ठोस कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** वार्ता ।

†**श्री वाजपेयी :** कब तक ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जब तक सफलता नहीं मिलती ।

मैसर्ज़ होचटिफ गैमन, बम्बई के लिये इंजीनियरिंग का ठेका

†***८१. श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान तथा ईंधन** मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के मेसर्ज़ होचटिफ गैमन को ७,७७,९४,००० रुपये का जो ठेका दिया गया उसकी असल शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या संसार के सभी देशों से टेडर मंगवाये गये थे; और

(ग) इस ठेके को अन्तिम रूप कहां दिया गया था भारत में या जर्मनी में ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७४]**

(ख) सभी देशों से टेंडर नहीं मांगे गये थे परन्तु जिन दो विदेशी सार्थों के टेंडर भेजने की सम्भावना थी उन्हें कहा गया था और एक ब्रिटेन की और एक अमरीकी सार्थ ने टेडर भेजे थे ।

(ग) ठेके को भारत में ही अन्तिम रूप दिया गया था ।

†**श्री मुरारका :** विवरण से पता चलता है कि ७.७८ करोड़ रुपये में से २.७२ करोड़ रुपये अधीक्षण तथा उपकरण की फीस है । अधीक्षण के लिये इतनी अधिक फीस क्यों मुकर्रर की गई ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** काफी बातचीत करने के बाद यह राशि तय हुई थी । मैं यह भी बता दूं कि इसमें कुछ बचत हो सकती है परन्तु इससे अधिक खच नहीं होगा ।

†**श्री मोरारका :** माननीय मन्त्री ने अभी-अभी कहा कि काफी बातचीत के बाद यह तय हुआ था । क्या यह सच है कि इस्पात कारखाने के लिये सरकारी मंत्रणाकार ही इस ठेके के बड़े हिस्सेदार हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** 'सरकारी मंत्रणाकारों' का क्या अर्थ है। यह सच है कि इस फर्म का, जिसे ठेका मिला है, एक विदेशी हिस्सेदार पहले अन्य ऐसी फर्मों का हिस्सेदार था जो कम्पनियों को टैक्नीकल परामर्श देती है ।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच है कि इस फर्म, का, जिसे यह ठेका दिया गया है, एक हिस्सेदार पहले एक ऐसी फर्म का हिस्सेदार था जिसे खांडला में एक ठेका दिया गया था परन्तु उसने वह काम सन्तोषजनक ढंग से नहीं किया और भारत सरकार को उस फर्म पर २५ लाख रुपया जुर्माना करना पड़ा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शायद माननीय सदस्य को इस बारे में बहुत कुछ मालूम है। एक और ठेके के बारे में भी उन्होंने इस फर्म के आचरण पर कुछ प्रकाश डाला था। परन्तु मुझे यह सब मालूम नहीं है। मैं पता लगाने का प्रयत्न करूंगा।

†**श्री दासप्पा** : अधीक्षण तथा उपकरण के लिये १५७ लाख रुपये की राशि बताई गई है क्या दोनों मदों की अलग-अलग राशि बताई जा सकती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह ब्यौरा मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या इस ठेके पर हस्ताक्षर होने से पूर्व मन्त्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया था और हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के किसी डायरेक्टर ने आपत्ति की थी और यदि हां, तो आपत्ति किस प्रकार की थी ?

इस बारे में कुछ और प्रश्न पूछे जाने चाहियें। हम तो इस पर वाद-विवाद करना चाहते थे परन्तु उसकी अनुमति नहीं दी गई। कृपया आप कुछ और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद यह ठेका दिया गया था। इस समय यह बताना तो कठिन है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बैठक में किसी ने आपत्ति की थी या नहीं। वैसे बोर्ड की राय ली जाती है और बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज़ में बहुमत की राय से जो निर्णय होता है सरकार के पास केवल वही भेजा जाता है।

†**श्री नारायणन कुट्टी मेनन**: विवरण से पता चलता है कि यदि ठेका २० सितम्बर, १९६० से पूर्व पूरा हो जाता है तो इस फर्म का लगभग २ लाख रुपये के बराबर लाभांश प्रति मास के हिसाब से दिया जायेगा परन्तु काम के पूरा होने में विलम्ब हो जाने पर जुर्माने की शर्त क्यों तय नहीं की गई ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ऐसा हो सकता था। अपनी-अपनी राय अलग होती है .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि यदि काम निश्चित समय में नहीं होता तो क्या उस हालत में जुर्माना किया जायेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसके लिये अलग पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री प्रभात कार** : प्रत्येक ठेके (संविदा) में जुर्माने की शर्त होती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : या तो यह उपबन्ध नहीं होगा या इस समय उन्हें मालूम नहीं है।

†**श्री प्रभातकार** : जो भी प्रश्न पूछा जाता है माननीय मन्त्री उसके लिये नोटिस मांगते हैं। ये प्रश्न संविदा की शर्तों के बारे में है। उन्हें ऐसे प्रश्नों के लिये तैयार होना चाहिये था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह और बात है।

†**श्री प्रभात कार** : क्या माननीय मन्त्री ठीक ढंग से प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात का ख्याल रखूंगा।

†**श्री सूपकार** : इस ठेके का अधीक्षण कितने प्रकार के परामर्शदाता और अधीक्षक कर रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्य का अभिप्राय नहीं समझा क्या उनका अभिप्राय उस काम से है जिसके लिये यह ठेका दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार** : इस प्रकार के ठेकों में परामर्श देने और देखभाल करने के लिये रुरकेला में कितने अधीक्षक और कितने वर्गों के अधीक्षक और परामर्शदाता हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय के लिये इसका उत्तर देना कठिन होगा ।

†**श्री नाथ पाई** : मैसर्ज होचटिफ गैमन को अब तक कितना भुगतान किया जा चुका है और ठेका पूरा होने से पहले और कितना भुगतान किया जायेगा और ठेके पर हस्ताक्षर होने के समय सरकार के मंत्रणाकार कौन थे । इस प्रश्न के लिये कुछ और समय दिया जाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: वही प्रश्न पुनः पूछा गया है और यदि सम्भव हुआ तो इसका उत्तर दे दिया जायेगा ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: ज़ाहिर है कि मेरे पास इतनी विस्तृत जानकारी नहीं होती कि मैं बता सकूं कि कितना भुगतान किया जा चुका है । इसके लिये काफी जानकारी एकत्र करना होगी । यदि कोई तिथि निश्चित की जाये तो मैं हिन्दुस्तान स्टील से जानकारी मांग सकता हूं ।

प्रश्न का दूसरा भाग मंत्रणाकारों के बारे में है । क्या उनका अभिप्राय ठेके को अन्तिम रूप प्रदान करने के समय के मंत्रणाकारों से है ? मंत्रणाकार तो कई प्रकार के होते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी हां, ठेका देते समय ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ठेके पर हस्ताक्षर करते समय महाप्रबन्धक और टैक्नीकल मंत्रणाकारों का सहयोग प्राप्त किया गया था ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मैंने अध्यक्ष महोदय से अपील की थी कि हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड का जो प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा गया था उस पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये परन्तु मुझे कहा गया कि क्योंकि उस मन्त्रालय की मांगों पर मतदान के समय इस पर चर्चा हो चुकी थी इसलिये इसके लिये समय नहीं है । हम आप से अपील करते हैं और हम यह कहना चाहते हैं । इतने प्रश्नों को देखते हुए .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सूची में दिये गये प्रश्न पर आधे घंटे की अथवा दो घंटे की चर्चा नहीं की जा सकती । एक ही प्रश्न को इतना अधिक समय नहीं दिया जा सकता । मैंने काफी समय दे दिया है । इस पर चर्चा करने के अन्य भी उपाय हैं ।

केरल उच्च न्यायालय की बैंच

†*८२. **श्री कुमारन्** : क्या गृह-कार्य मंत्री ९ मई, १९५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय का बेंच स्थायी रूप से स्थापित करने के बारे में, जिसके बारे में केरल विधान सभा में संकल्प भी पारित किया गया था, वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)** : इस बारे में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री कुमारन्**: पहले जब गृह-कार्य मन्त्री ने मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया था उस समय त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय का अस्थायी बैंच मौजूद था परन्तु वह भी हटा दिया गया । केरल विधान सभा की प्रार्थना के अनुसार वहां स्थायी बैंच स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पंत :** त्रिवेन्द्रम स्थित बैंच के लिये मुकदमा दायर करने की शक्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था परन्तु वहाँ का उच्च न्यायालय इस से सहमत नहीं है । मुझे आशा थी कि शायद ऐसी अपील अथवा उच्चतम न्यायालय को अपील करने की अनुमति मांगी जायेगी और मेरी राय थी—और मैंने इस समस्या में रुचि रखने वाले लोगों को बताया भी था—कि न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने के बाद दूसरे प्रश्न पर विचार किया जायेगा । अभी वही निर्णय ही नहीं हुआ है और मैं यह नहीं कहता कि हमने इस पर विचार करना छोड़ दिया है ।

†**श्री कुमारन :** मेरा प्रश्न यह नहीं था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि इस में कितना समय लगेगा ।

†**श्री कुमारन :** जी नहीं । राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ५१(३) के अनुसार अस्थायी बैंच स्थापित किया गया था । केरल विधान सभा ने अधिनियम की धारा ५१(२) के अन्तर्गत स्थायी उच्च न्यायालय की स्थापना की मांग की थी । इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उस पर भी विचार हो रहा होगा ।

†**श्री ईश्वर अय्यर :** यह देखते हुए कि केरल उच्च न्यायालय की शक्तियों सम्बन्धी मामला उच्चतम न्यायालय में नहीं जा रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, स्थायी बैंच की स्थापना के सम्बन्ध में क्या होगा जिसकी सिफारिश केरल विधान सभा ने भी की है और गृह-कार्य मंत्री इस पर कब तक विचार करेंगे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** सरकार को अभी केरल उच्च न्यायालय की राय का पता नहीं चला है और हमारा विचार था कि ऐसे मामलों पर उच्च न्यायालय की राय के साथ ही विचार किया जा सकता है । अतः मैं इस बात की प्रतीक्षा करता रहा हूं कि क्या मुकदमा दायर करने की शक्ति के बारे में उच्चतम न्यायाधिकरण द्वारा कोई न्यायिक घोषणा की जाती है । इस मामले के समाप्त हो जाने पर मैं इस सुझाव पर आगे विचार करना चाहता हूं । इसके उपयोगों के बारे में मैं पहले बता ही चुका हूं और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता ।

†**श्री ईश्वर अय्यर :** समाचारपत्रों में बताया गया है कि एक विख्यात कांग्रेस सदस्य जिन्होंने इस उद्देश्य से त्रिवेन्द्रम में सत्याग्रह किया, दिल्ली आकर सत्याग्रह करने की धमकी दे रहे हैं?

"अन्य पिछड़े वर्ग"

†*८३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या गृह-कार्य मंत्री २४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संविधान में सरकारों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त "अन्य पिछड़े वर्गों" के बारे में भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं;

(ख) क्या उन प्रभारों और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के अतिरिक्त "अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां देने की भी व्यवस्था है ;

(ग) इस लिये यह जो निश्चय किया गया है कि आगामी जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त शेष लोगों की जाति नहीं लिखी जायेगी क्या इसका अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को ये छात्र वृत्तियां देने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) २४-४-१९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९० के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में दिये गये विवरणों का ठीक-ठीक अर्थ अर्थात "जब प्रशासनिक कारणों से अथवा संविधि सम्बन्धी प्रभारों के लिये यह आवश्यक हो" ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भी व्यवस्था की गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें ये छात्रवृत्तियां देती रही हैं।

(ग) आवश्यक नहीं।

(घ) विवरण बिल्कुल स्पष्ट है।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : यह जो निर्णय किया गया है कि आगामी जनगणना में किसी की जाति नहीं लिखी जायेगी क्या इस से संविधान के अनुच्छेद १५(४) में दिये गये आधारभूत अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा जिसमें लिखा है कि सरकार सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुये नागरिकों के वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की उन्नति की व्यवस्था करेगी ? सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है कि उन लोगों को वे सुविधायें मिलती रहें जो अनुच्छेद १५(४) में उल्लिखित हैं ?

†श्रीमती आल्वा : पिछड़े वर्गों के लिये संविधान में कुछ उपबन्ध किये गये हैं पिछड़े वर्ग आयोग प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने भाग (ग) राज्यों के कई सर्वेक्षण किये और सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी छानबीन गृह-कार्य मंत्रालय में की जा रही है। अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां शिक्षा मंत्रालय देता है ; उन्होंने बोर्ड बना रखा है जो चुनाव करता है।

†श्री पु० र० पटेल : क्या सरकार को विदित है कि गुजरात में एक बहुत बड़ा ठाकुर समुदाय है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हरिजनों से भी अधिक पिछड़ा हुआ है परन्तु उन्हें कोई छात्रवृत्ति अथवा अन्य सहायता नहीं दी जाती ?

†उपाध्यक्ष महोदय : उनका मामला आप किसी अन्य अवसर पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने बताया कि पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब जातियों का उल्लेख नहीं किया जायेगा तो यह पता कैसे चलेगा कि कौन विद्यार्थी पिछड़े वर्गों के हैं और क्या उन्हें ही छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ?

†श्रीमती आल्वा : शिक्षा मंत्रालय में एक बोर्ड है जिसका सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का आयुक्त भी है। वह बोर्ड छात्रों का चुनाव करता है। सम्भव है कि किसी के साथ अन्याय हो जाये और उसे छात्रवृत्ति न मिले परन्तु संख्या इतनी अधिक होती है कि शिक्षा मंत्रालय ही चुनाव करता है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इसका यह अर्थ है कि पिछड़े वर्गों के छात्रों को अन्य छात्रों के साथ परीक्षा में बैठ मुकाबला करना पड़ेगा या कि इनकी परीक्षा अलग से होगी।

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : पिछड़े वर्गों के लिये राशि अलग रखी गई है। उसमें से अन्य लोगों पर एक कोड़ी भी खर्च नहीं की जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : यह भय प्रकट किया गया है कि यदि जनगणना में वर्गभेद को समाप्त कर दिया जायेगा तो सरकार इन छात्रों को छात्रवृत्तियां कैसे देगी ?

†पंडित गो० ब० पन्त : अभी हम ने यह हिदायतें दी हैं कि जिन्हें अब तक पिछड़े वर्ग समझा जाता था—शिक्षा मंत्रालय में एक सूची रखी गई है—उन्हें ही छात्रवृत्तियां दी जायें ।

बिहार को लोहे तथा इस्पात का सम्भरण

+

†*८४. { श्री झूलन सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में बिहार को लोहे तथा इस्पात का कुल कितना अभ्यंश आवंटित किया गया और उस ही कालावधि में उनको वास्तव में कुल कितना सम्भरित किया गया ; और

(ख) बिहार को लोहे तथा इस्पात के सम्भरण में वृद्धि करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) बिहार राज्य को १९५६–५७ में २४,८०४ टन और १९५७–५८ में १७,५६७ टन इस्पात का आवंटन किया गया जिसमें से क्रमशः १२,८३६ टन और ९,६४५ टन उनको भेजा गया ।

(ख) देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिये पग उठाये गये हैं और देशीय सम्भरण में वृद्धि करने के लिये विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर इस्पात के आयात करने की प्रस्थापना है ।

†श्री झूलन सिंह : आवंटित मात्रा और वास्तव में सम्भारित मात्रा में अधिक कमी को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने यह बात सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि इतनी अधिक गिरावट भविष्य में न हो ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वास्तविक आवंटन और संभरण में बहुत अन्तर है और मैं ने पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं कि सम्भरण को आवंटन के स्तर पर करने के लिये कार्यवाही की जाये ।

†श्री फ० गो० सेन : १८-४-१९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७४६ के उत्तर से पता चलता है कि कुछ राज्यों को उनके अभ्यंश से अधिक दिया गया जब कि बिहार को केवल ४९.७ प्रतिशत सम्भरित किया गया । अतः यह बात अब स्पष्ट है कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने बिहार के साथ अनुचित व्यवहार किया । इसके लिये सरकार बिहार की किस प्रकार क्षतिपूर्ति करना चाहती है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के बारे में माननीय सदस्य की शिकायत से मैं सहमत नहीं हो सकता । वहां पर परिवहन कठिनाइयां थीं और विशेषतः मोकामा पुल पर अवरोध के कारण बिहार के उत्तर में । मैं ने इस विषय पर विचार किया है और परिवहन कठिनाई को रेलवे मंत्रालय परामर्श करके दूर करने के लिये कुछ कार्यवाही की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : उत्तर में उल्लिखित लोहे तथा इस्पात की प्रस्तावित मात्रा में बड़े औद्योगिक उपक्रमों तथा इंजीनियरिंग उपक्रमों की आवंटित मात्रा भी सम्मिलित है या ये सार्थ पृथक् रूप से अपना अभ्यंश प्राप्त करेंगी ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उत्तर में दी गयी मात्रा में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत आवंटन सम्मिलित है ; गैर-कृषि अभ्यंश, कृषि अभ्यंश, छोटे पैमाने के उद्योग और सामुदायिक विकास योजना ।

राजकीय कोयला खानों के अस्पतालों के कर्मचारी

+

*†८५. { **श्री हाल्दर** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कोयला खानों के अस्पतालों के कर्मचारियों की साप्ताहिक आराम और राजपत्रित छुट्टियों के सम्बन्ध में शिकायतों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी, हां ; एक सरकारी समवाय राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा जिसको १–१०–१९५६ से सरकारी कोयला खानों का प्रबन्ध और स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया गया था ।

(ख) समवाय से यह निर्णय किया कि वर्तमान व्यवस्था को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं ।

†**श्री हाल्दर** : सरकारी कोयला खानों के कर्मचारियों को ये सुविधायें क्यों नहीं दी जाती हैं जब कि रेलवे मंत्रालय के अन्तर्गत उस ही प्रकार से नियोजित कर्मचारियों को ये सुविधायें दी जाती हैं और यह भेदभाव क्यों न दूर किया जाये ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे । हमने इस पर विचार किया और हमने सोचा कि जो व्यक्ति इन शर्तों पर इस सेवा में आये हैं उनके लिये वर्तमान शर्तें चालू रहें

ऑयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड

†***८६. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऑयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को हस्तांतरण के लिये मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकित आसाम के नये पता लगाये गये तेल क्षेत्र में आँसाम आयल कम्पनी की आस्तियों का कुल क्या मूल्य है ; और

(ख) ऑयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड किस तारीख से कार्य आरम्भ करेगी ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन पर अभी विचार हो रहा है ।

(ख) औपचारिक रूप से इसके स्थापित होने तक ऑयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड पहले ही एक तदर्थ संचालक मंडल के तत्वावधान में काम कर रहा है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : ऑयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के स्थापित करने के लिये करार का क्या आधार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : यह लोक-सभा में पहले ही बताया जा चुका है और यदि माननीय सदस्या चाहें तो मैं उनको करार की सामान्य योजना भेज दूं ।

†**श्री नारायण कुट्टी मेनन** : क्या इस करार में कोई गोपनीय खंड हैं और यदि कोई हैं तो क्या माननीय मंत्री आसाम ऑयल कम्पनी और ऑयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ हुये पूरे करार को लोक-सभा पटल पर रखेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : करार में कोई गोपनीय खंड नहीं हैं और यदि माननीय सदस्य चाहें तो समूचा करार लोक-सभा पटल पर रखा जा सकता है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या यह सच नहीं है कि ऑयल इण्डिया के भागीदार आसाम आयल कम्पनी के अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोल परामर्शदाता प्रतिवेदन को सरकार को भेजते समय आसाम में तेल क्षेत्रों के समीप एक संयुक्त परिष्करणी स्थापित करने और परिष्कृत उत्पादों को देश के अन्य भागों में भेजने के लिये एक उत्पाद पाइप लाइन बिछाने का सुझाव दिया और यदि हां तो इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: यह अनुपूरक प्रश्न माननीय सदस्या द्वारा पूछे गये प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यदि वह चाहें तो एक पृथक् प्रश्न पूछ सकती हैं और मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं ।

विदेशी मुद्रा लेखा

\+

*†८७. **श्री पाणिग्रही** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अर्द्ध वर्ष के लिये विदेशी मुद्रा लेखा को तीन महीने और बढ़ा देने की प्रस्थापना है ; और

(ख) क्या चालू अर्द्ध वर्ष में भारत की निर्यात से आय में कुछ कमी होने की आशा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) लोक-सभा को कठिन विदेशी मुद्रा की स्थिति का पता है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है और जिससे हमारे लिये वर्तमान संसाधनों से अधिकाधिक लाभ उठाना अति आवश्यक है । अतः यह निर्णय किया गया है कि बहुत से प्रयोजनों

†मूल अंग्रेजी में

के लिये मूलतः ६ महीनों के लिये आवंटित विदेशी मुद्रा से हमें ९ महीने तक काम चलाना पड़ेगा। परन्तु इस प्रश्न पर, कि किस हद तक और किन प्रयोजनों के लिये हम अनुपूरक आवंटन करें या कर सकें, सब परिस्थितियों को देखते हुये सितम्बर में निश्चय किया जायेगा।

(ख) हमारे मूल निर्यात के मूल्य और उनकी मांग पर प्रभाव डालने वाली संसार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये, हमारे लिये निर्यात आय को बराबर रखना कठिन हो सकता है परन्तु विशेष संवर्धन प्रयत्नों द्वारा हम यथासम्भव कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : योजना के पिछले दो वर्षों में हमारी निर्यात आय से, जैसा कि आयोजित किया गया है, कुल कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी और यदि हम इस लक्ष्य पर पहुंचने में समर्थ नहीं हैं तो इस लक्ष्य में किस हद तक कमी होगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हमें आशा थी कि हम ६५० करोड़ रुपयों तक पहुंचेंगे परन्तु जैसा कि अब अनुमान लगाया गया है, हम समझते हैं कि यह केवल ६०० करोड़ रुपये होगा। अतः यह कहना कठिन है कि इन दो वर्षों में हम कहां तक पहुंचेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय वित्त मंत्री अपने उत्तर को शुद्ध करना चाहते थे।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी, हां। पाकिस्तान से हमको मिलने वाले ऋण के सम्बन्ध में जिसके बारे में बातचीत चल रही है, प्रश्न संख्या ८० के विषय में मैं ने गलत बात बताई।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आंकड़ों के बारे में मुझे भी आश्चर्य हुआ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने २३ करोड़ रुपये बताये। वह केवल एक ही मद थी। चार मुख्य मदें हैं, : एक ५० करोड़ रुपये है, दूसरी ४९ करोड़ रुपये है, तीसरी २३ करोड़ रुपये है और चौथी १६·५ करोड़ रुपये हैं। और अन्य कई छोटी मदें हैं जिनके बारे में मैं अनुमानित आंकड़े नहीं बता सकता।

†**श्री विमल घोश** : और हमारे ऊपर पाकिस्तान की मांग भी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†*७४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या गृह-कार्य मंत्री २१ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को धोखा देने के लिये कथित आपराधिक षडयंत्र के लिये भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध चलाये गये अभियोग के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि एक पदाधिकारी मर चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) अपराधियों को छोड़ दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

अस्पृश्यता

†*८८. **श्री वै० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९५६–५७ की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन भाग १ के पृष्ठ १४, मद संख्या १२ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पृश्यता निवारण में की गयी प्रगति के मूल्यांकन कार्य को संविधान की धारा ३३९ के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयोग को सौंप देने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) संविधान की धारा ३३९ के अन्तर्गत नियुक्त आयोग केवल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन दे सकता है । अस्पृश्यता निवारण में की गयी प्रगति के मूल्यांकन का कार्य इसको नहीं सौंपा जा सकता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में उत्पादन

†*८९. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में उत्पादन पर विचार करने के लिये मई, १९५८ में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) क्या आयुध कारखानों में असैनिक सामान के उत्पादन के बारे में भी विचार किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रतिरक्षा भंडारों के उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाने के लिये आपस में विचार, जानकारी और अनुभव का आदान प्रदान करने के लिये सेवाओं और उत्पादन तथा गवेषणा और विकास संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक थी । यह बैठक कोई निर्णय करने के लिये नहीं बुलाई गई थी ।

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आजाद हिन्द फौज

†*९०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व अफसरों व सैनिकों के सम्बन्ध में क्या इस बीच सब जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने के कार्य को और अधिक तेजी से करने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़) : (क) जम्मू-काश्मीर के सिवाय सभी से सितम्बर १९५७ तक की जानकारी इकट्ठी कर ली गई है ।

(ख) १५ अप्रैल, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या १६५३ के उत्तर में जो आश्वासन दिया गया था उसको पूरा करने के लिये संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा ११ अगस्त, १९५८ को एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) आप का ध्यान २६ नवम्बर, १९५७ को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६७२ के भाग (घ) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

मध्य क्षेत्रीय परिषद्

†*९१. { श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) मध्य क्षेत्रीय परिषद् की तीसरी बैठक में कौन कौन से विषयों पर विचार किया गया ; और

(ख) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) लोक-सभा पटल पर बैठक के कार्यावलि की प्रति रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७५]**

(ख) बैठक की कार्यवाहियों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । जब भी वे तैयार हो जायेंगी, कार्यवाहियों की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी जावेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

*९२. श्री सरजू पाण्डे :
श्री घोषाल :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुशासन योजना अब तक किन-किन राज्यों में लागू की जा चुकी है ;

(ख) उन स्कूलों के छात्रों की कुल संख्या कितनी है जिन में यह योजना लागू की गई है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस योजना पर अब तक कुल कितना खर्च किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) दिल्ली, पंजाब (पेप्सू समेत), उत्तर प्रदेश, बम्बई (सौराष्ट्र समेत), मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, और पश्चिम बंगाल ।

(ख) लगभग एक लाख ।

(ग) लगभग १७.५० लाख रुपये ।

(१३.५० लाख रुपये पुनर्वास मंत्रालय ने नवम्बर ५७ तक)

(२.०० लाख रुपये शिक्षा मंत्रालय ने मार्च ५८ तक)

(२.०० लाख रुपये शिक्षा मंत्रालय ने १९५८–५९ में)

स्कूल के बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन

†*९३. श्री कोडियान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कालिका सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्कूल के बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन देने के लिये राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दोहरे कराधान को रोकने के लिये करार

†*९४. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वोडियार :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री संगण्णा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दोहरे कराधान को रोकने के लिये ब्रिटेन और अन्य योरोपीय देशों के साथ करार की शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो करारों की क्या शर्तें हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें स्थिति बताई गयी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७]**

उड़ीसी नृत्य

†*९५. श्री जगन्नाथ राव :
श्री संगण्णा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संगीत नाटक अकादमी द्वारा जारी किये गये एक प्रैस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि 'उड़ीसी नृत्य' को भारत के शास्त्रीय नृत्यों में नहीं माना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी, हां। परन्तु वह प्रैस नोट मेरे उत्तर से असंगत नहीं है। अपने उत्तर म म न कहा था कि अकादमी ने नृत्य की उड़ीसी पद्धति को मान्यता दी है और इसकी उन्नति तथा विकास के लिये अनुदान दिये हैं जब कि प्रैस नोट से पता चलता है कि अकादमी ने अभी इसको शास्त्रीय नृत्य की एक मुद्रा नहीं माना है ?

सीमा-शुल्क निवारक पदाधिकारी की गिरफ्तारी

†*९६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लगभग १,२५,००० रुपये के मूल्य की ९७ सोने की छड़ों को एक जहाज से चोरी छिपे ले जाने में एक व्यक्ति की सहायता करने के आरोप में बम्बई में ४ जुलाई, १९५८ को एक सीमा-शुल्क निवारक पदाधिकारी गिरफ्तार किया गया था ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** जी, हां। इसके सिवाय कि १,७४,२४० रुपये के मूल्य की ९९ सोने की छड़े थीं, जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा, वह सत्य है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में विटामिन 'सी' का निर्माण

†*९७. **श्री आसर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने भारत में विटामिन 'सी' बनाने का एक नया तरीका निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विटामिन 'सी' उतना ही उपयुक्त है जितने कि ब्रिटिश और अमरीकी उत्पादन ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस तरीक से बड़े पैमाने पर विटामिन 'सी' उत्पादन करने के लिये सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना का क्या स्वरूप है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने एक जानकार तरीके पर आधारित पद्धति के द्वारा विटामिन 'सी' के निर्माण के लिये प्रयोगशाला और रसायन इंजीनियरिंग ब्यौरा बनाया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय गवषेणा विकास निगम इस तरीके के वाणिज्यिक विकास के लिये अभिरुचित सार्थों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ।

कारतूस

*९८. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारतूसों की कीमत १०० रुपये फी सैंकड़ा तक हो गई है और इस पर भी ये काफी मात्रा में नहीं मिल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भिखारी समस्या

†*९९. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेषत: केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में भिखारियों की समस्या का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली में भिखारियों को पुनः बसाने के लिये कितनी संस्थायें कार्य कर रही हैं ; और

(ग) पिछले दो वर्षों में दिल्ली में कितने भिखारियों को पुनः बसाया गया ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) १९५१ की जनगणना के पश्चात भारत में भिखारियों का देश-वार कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रदेश, और बम्बई राज्यों तथा दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में स्थानीय रूप से छोटे पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया है ।

(ख) एक ।

(ग) १-१-१९५६ से १४-७-१९५८ तक ३१ व्यक्ति बसाये गये ।

इण्डिया आफिस पुस्तकालय

†*१००. श्री दो० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया आफिस पुस्तकालय के सम्बन्ध में ब्रिटेन के साथ बातचीत में कोई अग्रेतर प्रगति की गयी है ; और

(ख) इस विषय में सरकार का अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) १३ फरवरी, १९५८ को इस विषय से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ११८ के लोक-सभा में उत्तर दिये जाने के पश्चात से इस विषय में कोई अग्रेतर बातचीत नहीं हुई है ।

(ख) ब्रिटिश सरकार को १० फरवरी, १९५६ को भेजे गये हमारे नोट के उत्तर को ध्यान में रख कर आगे कार्यवाही पर विचार किया जावेगा ।

कृत्रिम वर्षा

†*१०१. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाप से कृत्रिम वर्षा कराने के प्रयोग किस हद तक सफल सिद्ध हुए हैं ; और

(ख) क्या ये प्रयोग वाणिज्यिक आधार पर और सस्ते तरीके से प्रयोग में लाये जा सकते हैं ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कृत्रिम वर्षा की भाप की पद्धति सफल हुयी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी विनियोजन

*१०२. श्री वि० च० शुक्ल :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वर्तमान और संभाव्य विदेशी विनियोजन में अधिक वृद्धि करने के लिये सरकार ने हाल ही में कोई ठोस उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). विदेशी पूंजी के विनियोजन के लिये इस देश में विद्यमान उत्प्रेरणा का लोक-सभा को पता ही है । सरकार का विचार है कि ये उत्प्रेरणा सामान्यत: देश में अग्रेतर विदेशी विनियोजन के लिये आकर्षक है ।

हाल ही में, राजस्व पदाधिकारियों के एक दल ने दोहरे कराधान को रोकने के लिये समुचित व्यवस्था करने के लिये बहुत से योरोपीय देशों से बातचीत की । जब ये बातचीत अन्तिम रूप से पूरी हो जायें और करारों पर हस्ताक्षर हो जायें तो इससे विदेशी विनियोजन में अतिरिक्त सुविधा मिलेगी ।

नागाओं को शस्त्रास्त्रों का सम्भरण

†*१०३. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २११२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस घटना की जांच करने वाले जांच न्यायालय की कार्यवाही के परीक्षण का क्या परिणाम निकला जिसमें चार सैनिक नागा विद्रोहियों को शस्त्रास्त्र का सम्भरण करते पाया गया था ;

(ख) क्या इन घटनाओं में असैनिक भी अन्तर्ग्रस्त थे ; और

(ग) क्या इन नागाओं से कोई शस्त्रास्त्र बरामद किये गये ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जांच न्यायालय की कार्यवाही के परीक्षण के फलस्वरूप घटना के लिये 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष' रूप से उत्तरदायी पाये जाने वाले सैनिकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) दुर्घटना में कुछ असैनिकों के भी अन्तर्गस्त होने का सन्देह है ।

(ग) नागाओं से किसी शस्त्रास्त्रों के बरामद होने के बारे में सरकार को कोई पता नहीं है ।

केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति

*१०४. श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री ३ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति के सदस्यों, कार्यक्रम और अधिकार-क्षेत्र के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) इस समिति का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' में हो, तो देरी होने का क्या कारण है ; और

(ङ) कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ङ) तक. इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

'एम० वी० निकोबार' जहाज की खरीद

†*१०५. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६ में सरकार ने एक जहाज खरीदा था जिसका नाम अब 'एम० वी० निकोबार' है ;

(ख) यदि हां, तो इस खरीद के लिये कितना मूल्य दिया गया ;

(ग) क्या खरीद के सम्बन्ध में भारत सरकार के एक उच्च पदाधिकारी के बारे में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ;

(घ) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थान ने इस विषय में जांच पड़ताल की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) २,४०,००० पौंड ।

(ग) से (ङ). कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाये गये । विशेष पुलिस संस्थान ने जिस ने इस विषय की जांच पड़ताल की है, सम्बन्धित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की है । उनकी सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर

†*१०६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रोद्यौगिकीय संस्था, खड़गपुर की गवेषणा प्रयोगशाला नौवहन और नाविक प्रविधि और राडार सम्बन्धी विषयों में गवेषणा कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा संगठन के विज्ञान विभाग और कथित गवेषणा प्रयोगशाला के बीच सहयोजन और समन्वय लाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर के नौवहन और नाविक प्रविधि विभाग के अध्यक्ष को प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास मंत्रणा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है और उनसे अन्यथा भी परामर्श लिया जाता है ।

प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा संस्था में और संस्था के वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा संगठन में सम्पर्क दौरे किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकीय जानकारी का भी आदान प्रदान होता है ।

पंजाब विश्वविद्यालय (कैम्प) कालिज, नई दिल्ली

*†१०७. श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब विश्वविद्यालय (कैम्प) कालिज, नयी दिल्ली को दिल्ली विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति की गई है ;

(ख) पंजाब विश्वविद्यालय (कैम्प) कालिज, नई दिल्ली के कर्मचारियों को खपाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या इस कालिज को पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन चालू रखने के लिये बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट, १, अनुबन्ध संख्या ७८]

अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक से ऋण

†*१०८. श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दामानी :
श्री पाणिग्रही :
श्री त्यागी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक से हाल ही में स्वीकृत १,५०० लाख डालर ऋण के उपयोग के लिये निर्धारित कार्यक्रम और परियोजनायें क्या हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या इस ऋण से सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र को पूंजी उपकरण उपबंधित करने के लिये आवंटन को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये इस ऋण में से कितनी कितनी रकम पृथक नियत की जायेगी ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ७९]

(ख) और (ग). जी हां। सरकारी उद्योग क्षेत्र परियोजनाओं के लिये फिलहाल लगभग ५० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये लगभग २१ करोड़ रुपये रखे गये हैं। अभी अलग-अलग परियोजनाओं के लिये विस्तृत आवंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

कुतुब मीनार में बिजली लगाना

†*१०९. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुतुब मीनार में बिजली लगाने का कार्य पूरा हो गया है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : जी नहीं। सब से ऊंची मंजिल में अभी बिजली लगाना शेष है ।

अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष

११०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या शिक्षा मंत्री २० मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अंग्रेजी हिन्दी शब्दकोष के प्रकाशन में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : शब्दकोष के प्रथम खंड (ए से एफ तक के अक्षरों) की प्रेस कापी तैयार हो रही है। जी से एम तक के शब्द समन्वय समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित हो कर अभी सोसाइटी से आने हैं। एन से जैड तक के बाकी शब्द समन्वय समिति के पास विचार के लिये अभी तक नहीं आये हैं ।

अनैतिक व्यापार का दमन

†*१११. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, १९५६ की क्रियान्विति में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्र प्रशासित राज्य क्षेत्र और देश के अन्य भागों में कितने सुरक्षात्मक गृह अथवा इस से मिलती जुलती संस्थायें स्थापित की गई हैं;

(ग) उपरोक्त सुरक्षात्मक गृह में अभी कितना आवास उपलब्ध है;

(घ) १ मई, १९५८ के पश्चात कितनी ऐसी वैश्याओं का पुनर्वास कर दिया गया है जो पहले वेश्या वृत्ति करती थीं; और

(ङ) क्या इस अधिनियम की क्रियान्विति के बारे में विभिन्न राज्यों में समान नीति का अनुसरण किया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) से (ङ) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८०]**

माध्यमिक शिक्षा

†१८३. **श्री दामानी** : क्या **शिक्षा मंत्री** लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि विभिन्न राज्यों द्वारा माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय अनुदान का १९५७–५८ में कितना उपयोग किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात कारखानों के लिये भारतीय टेकनीशियनों का प्रशिक्षण

†*१८४. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये विभिन्न परामर्शदाताओं के साथ किये गये ठेकों में क्या-क्या उत्तरदायित्व निहित हैं ?

(ख) इन उत्तरदायित्वों की किस सीमा तक पूर्ति हुई है; और

(ग) उनके उत्तरदायित्व की पूर्ण कार्यान्विति के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१]**

इस्पात कारखानों का प्राक्कलन

†१८५. { **श्री मुरारका** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन उपकरण तथा अन्य सामग्री, उपनगर, परामर्शदाता और विशेषज्ञों का शुल्क आदि सम्मिलित करते हुए विभिन्न इस्पात कारखानों की लागत के नवीनतम प्राक्कलन क्या हैं;

(ख) मूल प्राक्कलन और इन में कितना अन्तर है; और

(ग) इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) मुख्य इस्पात कारखानों की लागत का प्राक्कलन इस प्रकार है :—

रूरकेला	१७० करोड़ रुपये
भिलाई	१३१ करोड़ रुपये
दुर्गापुर	१३८ करोड़ रुपये

इन प्राक्कलनों में उपनगरियों, अयस्क, खान तथा खनिज-स्थल, भूमि, भावी रूप तैयार करने और डिजाइन बनाने, जल स्रोत संसाधन का विकास, कारखाने के पैरीमीटर तक जल संभरण सम्बन्धी सुविधायें, प्रशिक्षण की लागत समेत इन के संचालन के लिये आवश्यक कर्मचारी, कारखाने के पैरीमीटर के बाहर रेलवे सम्बन्धी निर्माण-कार्य, परियोजना में सीधे भरती किये गये कर्मचारी, सीमा-शुल्क, कार्यालय व्यय और अन्य सम्बन्धित खर्च इस में सम्मिलित नहीं हैं।

इस समय निश्चित प्राक्कलन देना कठिन है किन्तु अभी तक हमें इस दिशा में जो अनुभव प्राप्त हैं उन के आधार पर यह बताया जा सकता है कि अन्य मदों पर निम्न खर्च युक्तिसंगत हैं :—

तीन उपनगरियां	४२ करोड़ रुपये
लौह अयस्क खान तथा चूने के पत्थर के खनिज स्थल	२० करोड़ रुपये
परामर्शदाताओं को शुल्क	९.२५ करोड़ रुपये
सोवियत कर्मचारियों पर खर्च	४.५ करोड़ रुपये
जल संभरण व्यवस्था	४.५ करोड़ रुपये

खंडों के लागत लेखा में सम्भाव्य वृद्धि के लिये इन में से किसी भी प्राक्कलन में उपबन्ध नहीं किया गया है। इस का निर्धारण विशेष रूप से वर्तमान परिस्थितियों में कठिन है क्योंकि आजकल भाव में वृद्धि के पश्चात कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

(ख) और (ग). प्रारम्भ में निम्न प्राक्कलन किये गये थे :—

रूरकेला	१२८ करोड़ रुपये
भिलाई	११० करोड़ रुपये
दुर्गापुर	११५ करोड़ रुपये

ये मुख्य इस्पात कारखाने हैं और निम्न आशय के प्राक्कलनों पर आधारित थे :—

(१) भारतीय-जेमीनशेफ्ट द्वारा अक्तूबर-नवम्बर १९५५ में प्रस्तुत रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन;

(२) रूसियों द्वारा दिसम्बर, १९५५ में प्रस्तुत भिलाई इस्पात कारखाने के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन;

(३) इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा जनवरी, १९५६ में प्रस्तुत कीमतों का संक्षेप और प्रारम्भिक प्रमाप।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल तथा पुनरीक्षित प्राक्कलनों में अन्तर के मुख्यत: निम्न कारण हैं :—

(क) परियोजना प्रतिवेदनों में के किये गये संशोधन एवं परिवर्द्धन;

(ख) निर्माण सम्बन्धी इस्पात, रिफ्रेक्टरी तथा उस सामान का विदेशों में खरीदा जाना जिन के बारे में पहले यह अनुमान था कि वह भारत में ही उपलब्ध हो जायेगा । इन वस्तुओं की कीमत विदेशों में प्राय: भारत से अधिक है;

(ग) प्राक्कलन बनाने और ठेके सम्पन्न होने की अवधि के बीच यूरोप में मजूरी बढ़ जाने और कीमतों में वृद्धि होने के बारे में परामर्शदाताओं द्वारा सही अनुमान का अभाव यह बात, विशेष रूप से रूरकेला के बारे में लागू होती है; और

(घ) इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा सिविल इंजीनियरिंग और भारत में स्थापना-प्रभार की लागत का अल्प प्राक्कलन ।

मूल परियोजना प्राक्कलन का महत्व भिन्न है और तीन परियोजनाओं के बारे में एक समान नहीं है । भिलाई इस्पात कारखाने के बारे में रूसी परियोजना प्राक्कलन पूर्णत: उतना ही था जो प्रतिवेदन में रूस से सम्भारित की जाने वाली मशीनों और उपकरण के बारे में संभरणकर्ता का मूल्य-कथन है । भारतीय लागत का प्राक्कलन कतिपय धारणाओं पर आधारित था और उसे किसी भी अवस्था में मूल्य-कथन नहीं कहा जा सकता है ।

दुर्गापुर में ब्रिटेन से आयात की जाने वाली मशीनों और संयंत्र का प्रारम्भिक प्राक्कलन अन्तिम मूल्य-कथन में, किन्हीं भागों में ५ प्रतिशत से अनधिक वृद्धि की शर्त के साथ था । स्थापना, सिविल इंजीनियरिंग, नौवहन और परिवहन के जो आंकड़े मूल प्राक्कलन में दिये गये हैं वे ठेकेदार के प्राथमिक प्राक्कलन हैं और 'इस्कोन' (iscon) ने यह कह दिया था कि जो समय उस समय उपलब्ध था उस में इन की लागत का विस्तृत प्राक्लकन देना संभव नहीं था ।

रूरकेला के विषय में संयंत्र और उपकरण तथा सिविल इंजीनियरिंग और स्थापना-लागत दोनों के प्राक्कलन के बारे में परामर्शदाता ने केवल सम्भावित लागत के बारे में सम्मति दी थी और संभरणकर्ताओं की ओर से उस में किसी प्रस्ताव का संकेत नहीं था ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†१८६. **श्री मुरारका :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश बैंक और ब्रिटिश सरकार द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये अभी तक कितनी अग्रिम राशि दी गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में ऋणस्वरूप कितनी अनुमानित रकम प्राप्त की जायेगी;

(ग) उन्हें अभी तक कुल कितना ब्याज देना है अथवा दिया जायेगा; और

(घ) प्रत्येक को देय ब्याज दर कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) ब्रिटिश बैंकों द्वारा ५,००,००० पौण्ड स्टर्लिंग; ब्रिटिश सरकार से कुछ नहीं ।

(ख) (१) ब्रिटिश बैंकों से ७० लाख पौण्ड स्टर्लिंग लेने की संभावना है; और

(२) ब्रिटिश सरकार के उधार में से १५० लाख पौण्ड स्टर्लिंग लिये जाने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में :

(ग) ३० जून, १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि में २,९८,७६ पौण्ड १४ शिलिंग २ पैंस दिये हैं।

(घ) ब्रिटिश बैंकों के सिंडीकेट से प्राप्त ऋण पर बैंक आफ इंगलैण्ड की तत्कालीन दर से १ प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जायेगा। यह कम से कम ४॥ प्रतिशत है।

ब्रिटिश सरकार से प्राप्त ऋण के लिये ब्याज की दर वह प्रचलित दर है जो निर्यात प्रतिभूति अधिनियम १९४९ की धारा ३(२) के अधीन संचित निधि से अपेक्षाकृत अवधि के लिये प्राप्त ऋण के समय व्याप्त की दर थी और प्रशासन प्रभार के १ प्रतिशत प्रति वर्ष का $^{1}/_{8}$ भाग भी इस में जोड़ा जायेगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

†१८७. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त इण्टरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने क्या सेवाएं प्रदान की हैं;

(ख) उन्हें अभी तक कुल कितना शुल्क दिया गया है; और

(ग) क्या इस समझौते के अन्तर्गत उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में समवाय के साथ हुए समझौते के अनुसार उन्हें निम्नलिखित कार्य करना है :—

(१) दुर्गापुर में हो रहे निर्माण कार्य के सामान्य कार्यक्रम की सर्वांगीण योजना तैयार करना।

(२) प्रत्येक मुख्य तथा सहायक विभाग स्थापित करने और तत्सम्बन्धी संयन्त्र और मशीन तथा उनका ब्यौरा तैयार करना।

(३) टेंडर पत्र तैयार करना, जानकारी प्रचारित करना, टेंडर तथा नमूनों का परीक्षण और जांच, सरकार को इस विषय पर परामर्श देना कि वे उत्पादन प्रमाप की पूर्ति करने में कहां तक समर्थ हैं; वे सरकार को इस विषय की भी सम्मति प्रदान करेंगे कि जो संयंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है वह उपयुक्त है अथवा नहीं और विश्व के बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में उसकी उचित कीमत कितनी है।

(४) आर्डर दिये गये सम्पूर्ण संयन्त्रों और मशीनों का डिजायन अनुमोदन करना और उनके निर्माण की देखरेख करना; और सम्बन्धित स्थानों पर भेजने के पहले उनके निर्माण की प्रगति, जांच तथा परीक्षा करना।

(५) निर्यात की जाने वाली सामग्री, संयन्त्र, मशीनों और उपकरण का इस्पात कारखाने के निर्माण की प्रगति के अनुसार सम्पूर्ण वस्तुओं के निर्माण का समन्वय और अधिकतम परिमाण में भारतीय जहाजों का प्रयोग कर उन्हें निर्दिष्ट स्थानों पर भेजना, इस कार्य की विभिन्न अवस्थाओं की यथासम्भव शीघ्र समय निर्देशिका तैयार करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) इस निर्माण-कार्य के लिये प्रगति योजना के अनुसार भारत से सम्भरित की जाने वाली सामग्री का निर्माण और उसे सम्बन्धित स्थान पर भेजने की देखभाल करना ।

(७) सम्बन्धित स्थान पर स्थापना और निर्माण की इस दृष्टि से देखरेख करना कि वह संयन्त्र को पूरा करने की अपेक्षित गति और क्रय की पूर्ति कर निर्धारित तिथि से कार्य आरम्भ कर दे ।

(८) इस निर्माण कार्य के प्रत्येक विभाग और समूचे निर्माण कार्य के संतोषजनक रूप से पूरा होने के बारे में सरकार के लिये उपयुक्त प्रमाणपत्र तैयार कर उन्हें जारी करना कि लोहा तथा इस्पात कारखाना समझौते में निर्दिष्ट उत्पादन की पूर्ति में समर्थ है ।

(६) कारखाने की सीमा के बाहर सेवा की व्यवस्था में सरकार के साथ सहयोग एवं सामान्य परामर्श ।

(१०) परामर्शदाता इंजीनीयरों के परामर्श पर सरकार ने जिन संयन्त्रों, मशीनों और उपकरण का आदेश दिया है उनके निर्माण की प्रगति और उस स्थान पर किये जाने वाले कार्यों के बारे में सरकार को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना—इसके साथ ही उन मदों की ओर संकेत करना जिनमें विलम्ब हो रहा है तथा उस अवस्था में सुधार करने के लिये उपाय करना ।

जब भी आवश्यकता अनुभव हो तो उपरोक्त प्रतिवेदनों के अतिरिक्त अन्तर्कालीन प्रतिवेदन भी जारी किये जायेंगे ।

(११) प्रगति भुगतान के दावों की जांच, भारत तथा विदेशों में किये गये कार्यों के लिये प्रमाणपत्र जारी करना और जहाजों पर देय भुगतान के प्रमाणपत्र जारी करना और नवीनतम भुगतान प्रमाणपत्रों के बारे में मासिक विवरण प्रस्तुत करना ।

(१२) कारखाना जारी करने के लिये समुचित रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए परामर्शदाता इंजीनीयर इस बात का भरसक प्रयत्न करेंगे कि वे समुचित प्रशिक्षण योजनाएं तैयार करने में सरकार की सहायता करेंगे तथा चुने हुए प्रशिक्षणार्थियों का व्यावहारिक अनुभव बढ़ाने के लिये विदेशों में प्रयत्न करेंगे ।

यह स्पष्ट है कि इस खण्ड में सम्मिलित विषय में उन डिजाइनों को तैयार करने और निर्माणकारी प्रयोजनों के लिये संचालन सम्बन्धी विस्तृत ड्राइंग नहीं हैं जिनका उपबंध सामान्यतया निर्माणकर्ता करते हैं । इनका उपबंध परामर्शदाता इंजीनीयरों को संतोष प्रदान करते हुए वे ठेकेदार करेंगे जो इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये हैं । परामर्शदाता इंजीनीयर, समझौते में अन्यथा उपबंध की स्थिति को छोड़ कर, कारखाने के निर्माण की अवधि और उसके पश्चात् सरकार की दृष्टि में संतोषजनक रूप से कार्य प्रारम्भ करने की अवधि तक, वे सामान्यतया सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे । (इस विषय में सरकार का निर्णय अन्तिम और मान्य है) यह १ दिसम्बर १६५५ से आरम्भ होकर ६ वर्ष की अवधि तक के लिये है ।

(ख) ७,८४०,००० रुपये ।

(ग) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†१८८. **श्री मुरारका:** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाना, १९५५ के लिये समझौते के खण्ड ३(जे) के अधीन सरकार को इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार और कितने समय के पश्चात् रिपोर्ट मिली है; और

(ग) दुर्गापुर कारखाना और मशीनों के बारे में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रगति की क्या स्थिति है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) पांच रिपोर्ट; त्रैमासिक ।

(ग) संयंत्र और उपकरण के सम्बन्ध में निर्माण स्थिति संतोषजनक है और कारखाने के विभिन्न भागों में कार्य संचलन की तिथियों के अनुसार काम हो रहा है ।

इस्पात, कारखानों के परामशदाताओं को भुगतान

†१८९. **श्री मुरारका :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीन इस्पात कारखानों के विभिन्न परामर्शदाताओं को कुल कितना टेक्नीकल शुल्क दिया गया है;

(ख) कितनी रकम देना शेष है; और

(ग) यह राशि कब देय है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८२]**

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

†१९०. **श्री मुरारका :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेक्नीकल परामर्शदाता समझौता—२१ दिसम्बर, १९५३ के खण्ड ३(७) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के जर्मन परामर्शदाताओं ने सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिवेदन हैं और कितने समय पश्चात प्रस्तुत किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :**(क) और (ख). जी, हां । जर्मन परामर्शदाता प्रत्येक महीने के अंत में हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । जून, १९५८ के अन्त तक तीस रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं ।

मैंगनीज़ अयस्क

†१९१. **श्री मुरारका :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में प्रथम श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का कुल अनुमानित निक्षेप कितना है; और

(ख) देश में प्रथम श्रेणी के मैंगनीज अयस्क की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और प्रति वर्ष यह कितनी मात्रा में बाहर भेजा जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) अनुमान है कि देश में मैंगनीज अयस्क का कुल संचय १००० लाख टन से अधिक है देश में मैंगनीज अयस्क का श्रेणी-बद्ध निर्धारण नहीं किया गया है किन्तु उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का संचय लगभग १५० लाख टन है।

(ख) देश में प्रयुक्त मैंगनीज अयस्क की श्रेणीवार सांख्यकी और निर्यात की जाने वाली मात्रा का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। सब श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क का उपभोग देश में पिछले तीन वर्ष में ६०,००० टन था और पिछले तीन वर्ष में १,३४५,००० टन प्रति वर्ष इसका निर्यात किया गया था।

उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

†१९२. श्री स० म० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अभावग्रस्त स्थिति का सामना करने के लिये १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक स्वीकृत राशी बताने की कृपा करेंगे ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : प्राकृतिक विपदाओं के लिये केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत राज्यों को अभावग्रस्त स्थितियों के लिये सहायता दी जाती है इनमें बाढ़, सूखा चक्रवात, भूचाल आदि सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को १९५७-५८ और १९५८-५९ में निम्न रकम स्वीकार की गई थी :

	अनुदान	ऋण
	(लाख रुपयों में)	
१९५७-५८	२१.७४	४०
१९५८-५९	कुछ नहीं	७०

इनमें से १९५७-५८ में केवल ४० लाख रुपये का ऋण विशेष रूप से छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए स्वीकार किया गया था। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की अभावग्रस्त स्थिति को ध्यान में रख कर किया गया था। दूसरी रकम राज्य सरकार को बाढ़ और सूखे की स्थिति में खर्च उठाने के लिये दी गई थी। इसमें किसी विशेष प्रदेश का उल्लेख नहीं था।

युद्धास्त्र कारखानों में कुशल श्रमिक

†१९३. श्री स० म० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री युद्धास्त्र कारखानों में नियोजित ऐसे कुशल श्रमिकों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो १९५७-५८ में कुशल श्रमिकों की श्रेणी में पदोन्नत कर दिये गये ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) : युद्धास्त्र कारखानों में नियुक्त कुशल कर्मचारी १९५७ और १९५८ में निम्न संख्या में कुशल कर्मचारियों की उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिये गये :—

१९५७	१९५८ (२३ जुलाई, १९५८ तक)
४५	१०

†मूल अंग्रेजी में

पूंजी लाभ कर

†१९४. **श्री मुरारका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजी लाभ कर के रूप में इसके प्रारम्भ से अभी तक (वर्ष वार) कुल कितनी रकम वसूल हुई है; और

(ख) कुल कितनी निर्धारित रकम वसूल होना बाकी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) आरम्भ से लेकर ३० जून, १९५८ तक पूंजी-लाभ कर के रूप में वसूल रकम निम्न प्रकार है :—

वर्ष	वसूल हुआ कर (लाख रुपयों में)
१९४७-४८ (विभाजन पश्चात) . . .	३४.५
१९४८-४९	११९.९
१९४९-५०	४७.१
१९५०-५१	३६.३
१९५१-५२	२०.१
१९५२-५३	८२.६
१९५३-५४	९.१
१९५४-५५	८.८
१९५५-५६	४.३
१९५६-५७	६.९
१९५७-५८	२२.१
१९५८-५९ (३० जून, १९५८ तक) . . .	४.५ (अभी कोष से पुष्टि नहीं की गई है)

पूंजी लाभ कर १९४६-४७ के निर्धार्य वर्ष में प्रथम बार कर लगाया गया था । १ अप्रैल, १९४८ से यह कर समाप्त कर दिया गया था किन्तु १ अप्रैल १९५७ से पुनः आरम्भ कर दिया गया है ।

(ख) ३० जून, १९५८ को कुल निर्धार्य रकम जो वसूल करना बाकी है वह ४४.७ लाख रुपये है ।

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

†१९५. **श्री त्रिदिबकुमार चौधरी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री लोक सभा के पटल पर निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान के साथ हुए व्यापार समझौते के अधीन १९५८ में अभी तक पाकिस्तान को भेजे गये कोयले की माहवारी मात्रा;

(ख) क्या हम ने वायदे के अनुसार पूरा कोयला भेजा है;

(ग) कोयले के दाम का भुगतान किस प्रकार प्राप्त होता है; और

(घ) पाकिस्तान को कोयला भेजने के लिये किन प्राधिकारियों से वसूली की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में पूर्वी पाकिस्तान को भेजे गये कोयले की माहवारी तादाद बताई गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८३]**

(ख) कुल मिला कर पूर्ति कर दी गई है।

(ग) और (घ). कोयले की पूरी कीमत को मिलाते हुए, जिसमें सीमा प्रदेश तक का भाड़ा, उपकर और कर आदि भी सम्मिलित हैं, पाकिस्तान सरकार द्वारा खोले गये साख पत्र के बदले सामान्य व्यापार माध्यम की सहायता से निर्यात की व्यवस्था की जाती है।

योजना अवधि में राज्यों को सहायता अनुदान

†१९६. **श्री वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंच वर्षीय योजना और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अभी तक सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का उन्होंने पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं—शर्त के साथ और शर्तरहित। शर्तरहित अनुदान राज्य के राजस्व में विलीन हो जाती है और उन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। शर्तसहित दिये जाने वाले अनुदान में, जो अधिकांश वैयक्तिक योजनाओं के यथार्थ व्यय से सम्बन्धित हैं—खर्च न होने वाली राशि पश्चाद्वर्ती वर्षों में संप्रेषित कर उसका समायोजन कर दिया जाता है। इस समायोजन के अतिरिक्त प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में अभी तक राज्यों को दिये गये अनुदान के बारे में यह समझ लिया जाये कि उसका उपयोग कर लिया गया है।

आयकर की बकाया राशि

†१९७. **श्री वाजपेयी** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री बीरेन राय :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर की (राज्यवार) कुल बकाया राशि ३० जून, १९५८ तक;

(ख) उपर्युक्त रकम में से १९५१-५२ से १९५७-५८ तक (वर्ष वार) बकाया राशि; **और**

(ग) इस रकम को शीघ्र वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है। जानकारी देने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर यथासम्भव शीघ्र रख दिया जायेगा।

(ग) लोक सभा के पटल पर जानकारी बताने वाला विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

आयकर सम्बन्धी निलम्बित अपीलें

†१९८. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५८ को अपीलीय असिस्टेंट कमिश्नर के समक्ष आयकर की कितनी अपीलें निलम्बित थीं;

(ख) इन अपीलों में से कितनी दो वर्ष से अधिक समय से और कितनी एक वर्ष से अधिक निलम्बित हैं; और

(ग) इन अपीलों के निबटान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अपीलीय असिटेंट कमिश्नर के समक्ष निलम्बित अपीलों की सख्या ३१ मार्च, १९५८ को ८३,२८० थी।

(ख) इन ८३,२८० अपीलों में से ३१ मार्च, १९५८ को दो वर्ष से आधक निलम्बित अपीलें ८४४६ और एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम समय से निलम्बित अपीलें १३,१११ थीं।

(ग) इन अपीलों के निबटान न होने के कारण इस प्रकार हैं :—

(१) न्यायाधिकरण, उच्चन्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में एक मामले में अथवा समान मामले में निर्णय की प्रतीक्षा करने वाले अपीलें . . .	१,६५१
(२) आयकर अधिनियम की धारा २७ के अधीन आयकार अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्रों के निपटारे की प्रतीक्षा करने वाली अपीलें	१,६८३
(३) रिमांड रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने वाली अपीलें . .	८१३
(४) दण्ड अथवा अभियोग कार्यवाही पूरी होने की प्रतीक्षा में रुकी हुई अपीलें	२९
(५) करदाता की प्रार्थना पर निलम्बित अपीलें . .	७८३
(६) सुनवाई के लिये निश्चित की गईं अपीलें . .	९,२९८
(७) अन्य विभिन्न कारणों से विलम्बित अपीलें . .	१०,३००
कुल . .	२१,५५७

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान

†१९९. **श्री वाजपेयी**: क्या **शिक्षा** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें उत्तर प्रदेश की उन सार्वजनिक संस्थाओं और संगठनों के नाम बताये गये हों जिन्हें १९५६–५७ और १९५७–५८ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान दिये गयें हैं तथा यह भी बताया गया हो कि प्रत्येक संस्था को अनुदान स्वरूप कितनी रकम दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा०का० ला० श्रीमाली) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८५]

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा

†२००. श्री वाजपेयी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिये १९५८–५९ में कितनी योजनाएं प्रस्तुत की गई है ;

(ख) क्या इन में से कोई योजनाएँ स्वीकार की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी रकम दी गई है अथवा देने का प्रस्ताव है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) बीस।

(ख) जी हां।

(ग) ३२.९६८ लाख रुपये देने का प्रस्ताव है।

व्यय-कर

†२०१. श्री सूपकार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यय-कर के लिये कुल कितने कर दाता अभी निश्चित किये गये हैं अथवा पंजीकृत किये गये हैं।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : विभाग के रजिस्टरों में ३० जून १९५८ को व्यय-कर के सम्बन्ध में कुल ६,९५७ कर दाताओं का उल्लेख है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†२०२. श्री पागंरकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रिहायशी मकान बनाने के लिये १९५६–५७ और १९५७–५८ में बम्बई सरकार को आवंटित राशि प्रस्तावित योजनाओं पर तदनुसार खर्च की गई है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात का उत्पादन

†२०३. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में इस्पात का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ख) विदेशों को उपरोक्त अवधि में प्रत्येक देश को अलग-अलग कुल कितना इस्पात भेजा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये **परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६**]

चूने का पत्थर

†२०४. **श्री पांगरकर** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में चूने के पत्थर का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक देश को चूने का कितना पत्थर निर्यात किया गया ?

†**खान, और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) चूने के पत्थर का ब्यौरा प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिय प्राप्त होता है। १९५७ के कलेण्डर वर्ष के लिये चूने के पत्थर के राज्य-वार उत्पादन के आंकडे इस प्रकार हैं :—

राज्य	परिमाण (टनों में)
आंध्र प्रदेश	४८३,४६२
आसाम	७४,८०२
बंगाल	२६,१६४
बिहार	१,४९८,६५३
बम्बई	६१७,४८०
मध्य प्रदेश	१,०५०,८९६
मद्रास	१,११६,६६१
मैसूर	९१३,१३८
उड़ीसा	१,३६३,०२०
पंजाब	५१८,८०९
राजस्थान	१,२७४,१०९
उत्तर प्रदेश	४८२,६७५

(ख) भवन निर्माण के लिये प्रयुक्त होने वाले चूने के पत्थर को छोड़कर विभिन्न देशों को १९५७–५८ में चूने के पत्थर का निर्यात इस प्रकार है :—

देश	१९५७–५८ परिमाण (टनों में)
पूर्वी पाकिस्तान	९२,७३०
श्री लंका	१९८

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न वेतन क्रम के सरकारी कर्मचारियों की संख्या

†२०५. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १६५८ को (सैन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(१) जिन्हें २५० रुपये मासिक अथवा उससे अधिक वेतन मिलता है ;

(२) जिन्हें १०० रुपये मासिक से अधिक किन्तु २५० रुपये मासिक से कम वेतन मिलता है ; और

(३) जिन्हें १०० रुपये मासिक से कम वेतन मिलता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायगी।

राजस्थान में अल्प बचत

†२०६. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **वित्त** मंत्री राजस्थान में १६५६ और १६५७ में प्रत्येक डिवीजन में अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत एकत्र की गई रकम बताने की कृपा करेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

सिगार पर उत्पादन-शुल्क

†२०७. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६–५७ और १६५७–५८ में सिगार पर उत्पादन शुल्क के रूप में अभी तक कुल कितना राजस्व वसूल हुआ है ;

(ख) मद्रास राज्य में कितना राजस्व शुल्क एकत्र हुआ है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस शुल्क के फलस्वरूप पिछले एक वर्ष में सिगार का उत्पादन घट गया है ;

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७]**

(ग) कर लगाने वाले सिगारों का उत्पादन १६५७–५८ में मद्रास राज्य में कुछ घट गया है किन्तु आंध्र प्रदेश राज्य में बढ़ गया है। मद्रास राज्य में इसकी कमी का कारण निसंदेह ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं है।

बेसिकोत्तर संस्थायें

†२०८. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बेसिकोत्तर संस्थाओं की स्थापना के लिये १ जनवरी, १६५७ के पश्चात वहां से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ये सब प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं; और

(ग) इन संस्थाओं की शीघ्र स्थापना के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नौ।

(ख) एक प्रस्ताव जो बेसिकोत्तर शिक्षा से मेल नहीं रखता है उसे छोड़ कर सब प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) बेसिकोत्तर संस्थाओं की स्थापना मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को इस प्रयोजन के लिये वित्तीय सहायता देने की एक योजना तैयार की है।

लड़कियों की शिक्षा और महिला अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के विस्तार की केन्द्रीय योजना

†२०९. **श्री सुबोध हंसदा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लड़कियों की शिक्षा और माहिला अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की केन्द्रीय योजना के सम्बन्ध में योजना के प्रारम्भ काल से अभी तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या इन प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है और उन्हें क्रियान्वित किया गया है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क)

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
१९५७–५८	४
१९५८–५९	६

(ख) (१) १९५७–५८ में चार प्रस्ताव यथोचित रूप में स्वीकार किये गये हैं।

(२) १९५८–५९ में राज्यों को दिये जाने वाले वित्तीय आवंटन राज्य सरकारों को संप्रेषित कर दिये गये हैं और उनसे ये योजनाएँ क्रियान्वित करने के लिये कहा गया है। अभी प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं और यथासमय औपचारिक प्रशासनिक अनुमोदन जारी कर दिया जायेगा।

नम प्रदेश गवेषणा केन्द्र

†२१०. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में इस समय कितने नम प्रदेश गवेषणा केन्द्र संचालित हो रहे हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इन केन्द्रों में की जाने वाली नम प्रदेश सम्बन्धी गवेषणाओं के विभिन्न पहलू कौन-कौन से हैं; और

(ग) क्या गवेषणा कार्य के लिये किसी विदेशी सहायता की मांग की गई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) निम्नलिखित १४ केन्द्र हैं :—

१. कलकत्ता

२. मद्रास

३. पूना

४. बेलाटी

५. नई दिल्ली

६, टोकली (आसाम)

७. कटक

८. पटना

९. मैसूर

१०. हजारीबाग

११. उटकमंड

१२. कोचीन

१३. देहरादून

१४. कानपुर

(ख) इन केन्द्रों में किये जाने वाले गवेषणा कार्य के विभिन्न पहलुओं में ऋतु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, कृषि ऋतु विज्ञान और भारत के विभिन्न भागों में (नम प्रदेशीय भाग सहित) पाये जाने वाले पशुओं का सर्वेक्षण सम्मिलित है।

(ग) सात योजनाओं के लिये यूनेस्को से वित्तीय सहायता की प्रार्थना की गई है।

भारत-जर्मन औद्योगिक सहकारिता योजना छात्र वृत्तियां

†२११. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मन औद्योगिक सहकारिता योजना १९५६–५७ के अन्तर्गत पश्चिमी जर्मनी के उद्योगों में इंजीनियरिंग और टेक्नीलाजी की विभिन्न प्रशाखाओं में व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धी अप्रयुक्त छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये उम्मीदवारों का अन्तिम चुनाव कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) चुने गये उम्मीदवारों की राज्यवार कितनी संख्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ग). अस्थायी चुनाव किया गया है किन्तु अभी सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। ये चुनाव राज्यवार नहीं प्रत्युत अखिल भारतीय आधार पर किये गये हैं।

(ख) २३२ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

केन्द्रीय अधिनियम

†२१२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **विधि मंत्री** २८ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित किये गये केन्द्रीय अधिनियमों के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जानकारी का क्या स्वरूप है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: (क) जी हां।

(ख) २६ जनवरी, १९५० से २८ अप्रैल, १९५८ तक की अवधि में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा एक केन्द्रीय अधिनियम समूचे रुप में और पन्द्रह आंशिक रूप में अवैध घोषित किये गये ।

पंजाब में विज्ञान मन्दिर

†२१३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में १९५८–५९ में विज्ञान मन्दिर कहां कहां स्थापित किये जायगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : पंजाब राज्य में नीलोखेड़ी में एक विज्ञान मंदिर स्थापित किया जा चुका है और इसी वित्तीय वर्ष में पांच विज्ञान मन्दिर और विस्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी उनका स्थान निर्धारित किया गया है। क्योंकि इस विषय में राज्य सरकार से परामर्श. किया जायेगा।

कोत्तागुदम में खनिज संस्था

†२१४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कोत्तागुदम में खनिज संस्था स्थापित करने के लिये भवन निर्माण की अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस भवन पर अभी तक कुल कितनी रकम खर्च हुई है ; और

(ग) यह कब तक पूरी होन की संभावना है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है कि भवन निर्माण के लिये प्राप्त टेडरों पर विचार किया जा रहा है और टेंडर तय होने के पश्चात कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुछ नहीं।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, ठेका देने के पश्चात १२ महीने के भीतर भवन बन जायगा।

भारत अमरीकी टैक्नीकल सहायता कार्यक्रम

†२१५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-अमरीकी समझौते के अनुसार, जिस पर २७ मई, १९५८ को हस्ताक्षर किये गये थे, भारत को जमीन के नीचे पानी खोजने और पशुओं की नस्ल सुधारने आदि के लिये टैकनीकल सहायता के रूप में २८५,५५५ डालर मिलेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि इस राशि का प्रत्येक राज्य में किस प्रकार आंवटन किया जायेगा और इसे निस्पादित करने का क्या माध्यम है ; और

(ग) इस प्रकार के निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). भारत-अमरीकी टेक्नीकल सहकारिता कार्यक्रम के अधीन २७ मई, १९५८ को आठ परियोजना समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे। इनके अन्तर्गत २८५,३५५ डालर की टैकनीकल सहायता मिलेगी।

यह रकम नकद नहीं मिलेगी और इसके आवंटन का राज्यवार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। परियोजना समझौतों में लिखा हुआ है उसके अनुसार अमरीकी टैकनीशियनों, विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में टेकनीकल सहायता की लागत उठाने, सहायक उपकरण और वस्तुओं की व्यवस्था करने एवं अमेरिका में भारतीयों की प्रशिक्षण सुविधाओं पर यह रकम खर्च की जायेगी। समझौते की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रखी हुई हैं ?

जैट विमानों के लिये राकेट

†२१६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान सेवा के जेट विमानों के लिये राकेट भारत म निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्या स्वरूप है ; और

(ग) इन परियोजना पर अनुमानित खर्च कितना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघूरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). लोक-सभा के पटल पर यह जानकारी प्रकट करना लोक-हित में नहीं है।

---

†मूल अग्रजी में

आसाम में पर्वतीय-क्षेत्र मंत्रालय की रचना

†२१७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेवरेंट निकोलय राय के नेतृत्व में आसाम में एक पर्वतीय क्षेत्र-मंत्रालय की मांग के लिये प्रस्तुत ज्ञापन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : पर्वतीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आसाम मंत्रि-मंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त है और संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है।

राष्ट्रीय रंगमंच

†२१८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : आर्थिक संकट के कारण अभी यह परियोजना स्थगित कर दी गई है।

अध्यापकों के लिये त्रिरूप लाभ परियोजना

†२१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में अध्यापकों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता और उनके बच्चों को स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की त्रिरूप लाभ योजना के बारे में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित करने में अभी कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ये सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं किन्तु सरकार यह अनुभव करती है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर ही वे इस विषय पर निर्णय कर सकते हैं।

वैज्ञानिक सिविल सर्विस

†२२०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वैज्ञानिक सिविल सर्विस की रचना के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : वैज्ञानिक सर्विस के अखिल भारत संवर्ग की स्थापना के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकारों की सम्मति मालूम कर रही है । ब्रिटेन में वैज्ञानिक सिविल सर्विस की रचना सिद्धान्त, शर्तें और अवस्थाएँ तथा अमेरिका रूस, और अन्य देशों में वैज्ञानिकों की सिविल सर्विस के बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारी

†२२१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा सेवाओं में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक नागरिक कर्मचारियों के अवकाश तथा छुट्टी संबंधी अन्तर को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) :** इस अन्तर को दूर करने के बारे में एक तदर्थ समिति विचार कर रही है जिसे इस मंत्रालय ने इसी उद्देश्य से नियुक्त किया है ।

हिन्दी विश्वकोष

†२२२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री २६ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काशी नागरी प्रचारणी सभा, वारानसी ने हिन्दी विश्व कोष तैयार करने में और कितनी प्रगति की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** २६ फरवरी, १९५८ तक, जब कि तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ का उत्तर दिया गया था, प्रकाशित निर्देश पुस्तकों में से जो ७०,००० शब्द एकत्र किये गये थे उनमें से हिन्दी के शब्द देने के लिये ४०,००० शब्द चुने गये हैं जो कि विश्व कोष के लिये सामग्री तैयार करने के लिये विद्वानों में बांट दिये जायेंगे। विषयों का वर्गीकरण हो चुका है और लगभग एक चौथाई शब्दों के हिन्दी शब्द दिये जा चुके हैं।

२. मंत्रणा बोर्ड ने पचास सहयोगी सम्पादकों और एक हजार सहयोगियों की सूची का अनुमोदन कर दिया है ।

भारतीय प्रशासन सेवा पदाली

†२२३. **श्री दामानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक प्रशासकीय कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुये भारतीय प्रशासन सेवा पदाली में स्थानों की संख्या बढ़ा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो संख्या में वृद्धि किस प्रकार की गई है ;

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां ।

भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों की कुल प्राधिकृत संख्या १५३९ से बढ़ा कर १७०५ कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों की गिरफ्तारियां

†२२४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में काश्मीर में कितने पाकिस्तानी सैनिक भारत विरोधी कार्यों के कारण गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई पत्र भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) दो ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में सड़क निर्माण कार्यक्रम

†२२५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के सिप्ती और लाहौल के अनुसूचित क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ; और

(ख) इसमें केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८८]**

नरतत्व सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड

†२२६. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ७ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में नरतत्व संबंधी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड का जो सम्मेलन हुआ उसमें क्या निश्चय किये गये ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबीर)** : बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वेच्छा से वेतनों में कटौती कराना

†२२७. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न ग्रेडों में काम करने वाले कितने पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों ने स्वेच्छा से वेतनों में कटौती कराई है ;

(ख) विभिन्न ग्रेडों में कितने पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों ने अपने वेतनों का कुछ अंश राष्ट्रीय बचत योजनाओं में जमा कराना शुरू किया है ; और

(ग) इस प्रकार कुल कितनी बचत हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) केन्द्रीय सरकार के उन पदाधिकारियों की संख्या का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है जिन्होंने स्वेच्छा से अपने वेतनों में कटौती कराई। इनकी संख्या बहुत कम थी और सरकार ने कटौती करना स्वीकार नहीं किया।

(ख) और (ग). मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का कुछ अंश किसी भी राष्ट्रीय बचत योजनाओं में विनियोजित कर सकते हैं।

पंजाब में राज्य-गृह

†२२८. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५८–५९ में राज्य गृहों और जिला आश्रमों के निर्माण के बारे में पंजाब सरकार से कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ये कहां खोले जायेंगे ; और

(ग) १९५८–५९ में इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अध्यापकों से व्यवसाय कर लेना

†२२९. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों से १९५७-५८ में कितना व्यवसाय कर एकत्र किया गया ; और

(ख) यह १९५६–५७ की वसूली से कितना कम या अधिक है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ७३२ रुपये।

(ख) १९५६–५७ में ७८० रुपये एकत्र किये गये थे अतः यह कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाल अपराध

†२३०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में किस हद तक और क्यों बाल अपराध होते हैं इस बारे में नमूना सर्वेक्षण करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** मद्रास स्कूल आफ सोशल वर्क, मद्रास ने इस बारे में मद्रास की गन्दी बस्तियों में ही नमूना सर्वेक्षण कराया था । इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार ने उस संस्था को ८००० रुपये का अनुदान दिया । उस संस्था ने अभी भारत सरकार को अपना अन्तिम प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

जेरिकनों का निर्माण

†२३१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री २६, फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जेरिकन के निर्माण को आयुद्ध कारखानों तक ही सीमित रखने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) :** उसके बाद जरिकन के निर्माण के लिये जिन मशीनों और प्लांट की आवश्यकता होती है वे सफाई के लिये कानपुर भेज दी गई है । फासफेटिंग प्लांट की व्यवस्था करना उपकरण की मरम्मत, मौजूदा इमारतों का रूपभेद, बिजली लगाना और कच्चा माल जुटाने आदि के बारे में ठोस कार्यवाही हो रही है ताकि १९५९ के मध्य में जरिकन का निर्माण पुनः आरम्भ हो जाये ।

लन्दन के एक बैंक में भूतपूर्व हैदराबाद का धन

†२३२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वि० चं० शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भोगजी भाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री ३ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की दस लाख पौंड से अधिक जो राशि लन्दन के वैस्टमिस्टर बैंक में जमा है भारत सरकार ने उसे प्राप्त करने के लिये और क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

भारतीय नौ-सेना

†२३३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में भारतीय नौ-सेना में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** आइ० एन० एस० ब्रह्मपुत्र जो कि एक ऐंटी एयरक्राफ्ट फ्रिगेट है बेड़े में शामिल हो जायेगा । आइ० एन० एस० कुकरी को हाल ही में कमिशन प्राप्त हुआ । कुछ प्रारम्भिक अभ्यास के बाद वह भी समुद्री बेड़े में शामिल हो जायेगा । ऐंटी एयरक्राफट फ्रिगेट आइ० एन० एस० त्रिशूल फिट किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ये जहाज नौसेना के विकास कार्यक्रम में शामिल हैं।

२. नेवल एयर आर्म के लिये एक वैम्पायर जैट सक्वैड्रन तैयार किया जा रहा है और वह शीघ्र ही बन जायेगा। आशा है कि कुछ 'फायर फ्लाई' विमान भी शीघ्र ही चालू हो जायेंगे।

३. बम्बई में नेवल डाकयार्ड के विस्तार संबंधी योजना के कार्य में विलम्ब हो गया है परन्तु जो निर्माण कार्य सम्भव है वह किया जा रहा है और यह प्रयत्न भी हो रहा है कि कार्यक्रम में जो विलम्ब हुआ है वह पूरा हो जाये।

४. पदाधिकारियों और भाटकों के सभी प्रशिक्षण, सिवाये उच्च टैक्नीकल कोर्स के, भारत में दिये जाते हैं। नौसेना उड्डयन शाखा में केवल "कैरियर आप्रेशन" संबंधी प्रशिक्षण ही विदेशों में कराये जाते हैं।

कोचीन (आइ० एन० एस० वेंदुरथी), लोनावला (आइ० एन० एस० शिवाजी) और जामनगर (आई० एन० एस० वालसुर) में टैक्नीकल स्कूलों में और उपकरण लगाया जा रहा है।

५. नौसेना के स्टोर का सामान देश में ही तैयार करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रगति हो रही है। विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिये भी हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

भारतीय विमान बल

†२३४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अब तक भारतीय विमान बल में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** मांगी गई जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

पंजाब में संगमरमर का निक्षेप

†२३५. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कांगड़ा, होशियारपुर और गुरदासपुर जिलों में संगमरमर के निक्षेप मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक दृष्टि से उनका मूल्य क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शिक्षा के लिये योजना बनाना

†२३७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री १२ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के विकास के लिये उद्देश्यपूर्ण योजना बनाने के बारे में मद्रास सरकार ने जो नोट भेजा है उस पर शेष राज्यों ने किस प्रकार की टिप्पणियां की ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्री माली)** : (क) एक विवरण जिसमें आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य की टिप्पणियां दी गई हैं, सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९**] अन्य राज्यों से अभी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) सभी राज्य सरकारों की राय पता चल जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जयेगी ।

स्टेनलैस स्टील का आयात

२३८. **श्री पद्म देव** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में भारत में कुल कितने मूल्य के स्टेनलेस स्टील (चमकदार इस्पात) का आयात किया गया और यह किन किन देशों से आयात किया गया ; और

(ख) इस आयात को निर्यात में बदलने के लिये भारत ने क्या-क्या साधन अपनाये हैं ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) एक वक्तव्य सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०**]

(ख) इस समय निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भारत में स्टेनलेस स्टील (चमकदार इस्पात) का उत्पादन नहीं होता है । स्टेनलेस स्टील के उत्पादन की एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

हिमाचल प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा

२३९. **श्री पद्म देव** : क्या शिक्षा मंत्री ८ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों के अतिरिक्त अन्य छात्रों को दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा कब तक दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में इस विषय में कोई व्यवस्था नहीं है ।

विज्ञान को लोक प्रिय बनाना

†२४०. **श्री वें० पे० नायर** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तो वह क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबीर)** : एक विवरण जिसमें बताया गया है कि विज्ञान को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है । सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१**]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

त्रिपुरा में आदिम जातियों के छात्र

†२४१. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सातवीं से दसवीं श्रेणी में पढ़ने वाले आदिम जातियों के कितने छात्रों को इस वर्ष पाठय पुस्तकों के लिये सहायता दी गई :

(ख) प्रत्येक छात्र को औसतन कितनी राशि दी गई !

(ग) त्रिपुरा के नगरीय क्षेत्रों में स्थित सैकडरी स्कूलों में देहातों की आदिम जातियों की कितनी छात्रायें शिक्षा पा रही हैं ; और

(घ) नगरों में रहने के लिये आदिम जातियों की उन छात्राओं को क्या सहायता और सुविधायें दी जा रही हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी तक कुछ नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिजली की भट्टियों, इस्पात की फाउंडरियों और इस्पात पुनर्बेलन मिलों के लिये समिति

†२४२. **श्री झूलन सिंह** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली की भट्टियों, इस्पात की फाउंडरियों और इस्पात पुनर्बेलन मिलों सम्बन्धी समिति की विभिन्न सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार सवर्ण सिंह)**

सिफारिश (१)

सरकार ने २८ वर्तमान मिलों को मान्यता देने का निश्चय किया है और कुछ और आवेदन पत्रों पर भी सरकार विचार कर रही है ।

सिफारिशें (१), (२), (३) और (६)

जैसा कि १३ नवम्बर, १९५७ के सरकारी संकल्प संख्या पी० एल० जी० बी०–५५ (३३)/५७ में बताया गया है कच्चे माल के आवंटन के लिये मिल की क्षमता के आंकड़ों को स्वीकार करने से पूर्व प्रत्येक पुनर्बेलन मिल की क्षमता का टैक्नीकल सर्वेक्षण किया जायेगा। यह टैक्नीकल सर्वेक्षण यथासमय हो जायेगा ।

सिफारिशें (४), (८) और (९)

भारत सरकार ने निश्चय किया है कि पुनर्बेलन मिलों को कच्चे माल और बिलैट के वितरण का वर्तमान तरीका जारी रखा जाये और बिलैट की उपलब्ध मात्रा को देखते हुये समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन कर दिये जायें ।

सिफारिश (५)

बिदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को देखते हुये पुनर्बेलन मिलों के लिये 'बिलेट' का आयात नहीं बढ़ाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सिफारिश (७)

सरकार ने आसाम, आंध्र, केरल और बिहार (गंगा के उत्तर में) में एक-एक यूनिट स्थापित करना स्वीकार कर लिया है। आसाम और आंध्र के लिये एक-एक नये यूनिट की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। बिहार और केरल के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

सिफारिशें (१०), (११) और (१२)

इन सिफारिशों को देखते हुये इस्पात फाउंडरियों, इस्पात कास्टिंग और बिजली की भट्टियां लगाने के आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

सिफारिश (१३)

इस सिफारिश पर सरकार उपयुक्त समय पर विचार करेगी।

उज्जैन में मिली वस्तुएं

†२४३. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ६ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उज्जैन के निकट एक पहाड़ी की खुदाई करते समय जो वस्तु मिली उसके विश्लेषण का क्या परिणाम रहा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : एक विवरण जिसमें विश्लेषण का परिणाम बताया गया है सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२]**

नई दिल्ली नगरपालिका समिति का पुनर्गठन

†२४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका समिति के पुनर्गठन के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) यह निर्णय किया गया है कि जब तक वर्तमान समिति की पदावधि सितम्बर, १९५९ में समाप्त नहीं हो जाती तब इस नई दिल्ली नगरपालिका समिति को नया रूप न दिया जाये। यह देखते हुये कि नई दिल्ली नगरपालिका समिति के अधीन का बहुत सा क्षेत्र कारपोरेशन में शामिल कर दिया गया है और शेष की देख भाल सरकार और सरकारी कर्मचारियों को ही करनी है वर्तमान समिति में ६ स्थान बढ़ा दिये गये हैं ताकि नगर प्रशासन से घनिष्ट सम्बन्ध रखने वाले पदाधिकारियों को उसमें शामिल कर लिया जाये। यह भी निर्णय किया गया है कि समिति का सभापति पूरा समय काम करने वाला व्यक्ति हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सांयकालीन कालेज

†२४५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सायंकाल को खुलने वाले कालेज खोलने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) १९५८ में कितने विद्यार्थी दाखिल किये गये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन इस शिक्षा सम्बन्धी वर्ष से चार सायंकाल को खुलने वाले कालेज स्थापित किये गये हैं ।

(ख) ६६६ ।

वैशाली के निकट खुदाई

†२४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरपुर जिला (बिहार) में वैशाली के निकट खुदाई में और क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबीर)** : खुदाई का काम पूरा हो चुका है । सम्भव है कि जो स्तूप खोद कर निकाला गया है उसमें बुद्ध के अवशेष हों परन्तु इस समय उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता ।

सैकंडरी स्टेज में भाषाओं का अध्यापन

†२४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने सैकंडरी स्टेज में तीन भाषाओं में अनिवार्य अध्यापन की जो सिफारिश की थी उसे लागू करने के लिये और क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३]**

'गजेटियरों' का पुनरीक्षण

†२४८. **श्री मू० चं० जैन :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में 'गजेटीयरों' के पुनरीक्षण के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) नई योजना को कब अन्तिम रूप दिया गया था और कब तक कार्य पूरा होने की आशा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबीर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सुन्दरगढ़ में चूने और डौलोमाइट के निक्षेप

†२४९. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में चूने और डौलोमाइट के बहुत बड़े निक्षेपों का पता चला है ; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में और सर्वेक्षण करने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) कोई नये निक्षेपों का पता नहीं चला है। परन्तु चूने और 'डौलोमाइट' के बहुत बड़े निक्षेप उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिला में हैं।

(ख) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा

†२५०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८–५९ में माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिये विभिन्न राज्यों को अब तक कितना धन दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**

१९५७–५८

	राज्य	प्रदत्त राशि (रुपयों में)
१.	आन्ध्र प्रदेश	५,६६,५२५
२.	आसाम	१२,३६,८९३
३.	बिहार	५,७५,०००
४.	बम्बई	३५,७३,७५१
५.	केरल	१३,७३,२७२
६.	मध्य प्रदेश	१६,३३,२५०
७.	मद्रास	३३,४२,९००
८.	मैसूर	१६,६६,६००
९.	उड़ीसा	५,५५,४७८
१०.	पंजाब	—
११.	राजस्थान	१४,९४,४३५
१२.	उत्तर प्रदेश	२२,७९,९०९
१३.	पश्चिमी बंगाल	७३,८९,५४०
१४.	जम्मू तथा काश्मीर	९,१०,५००
	योग	२,६६,०७,०५३

†मूल अंग्रेजी में

१९५८-५९

नयी प्रक्रिया के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को अपनी योजनायें क्रियान्वित करने के लिये "मार्गोपाय अग्रिम धन[1]" के रूप में अनुदान दिये जाते हैं। कुल राशि का तीन-चौथाई इस प्रकार मई, १९५८ से आरम्भ हो कर नौ बराबर मासिक किस्तों में दिया जाना है। अन्तिम मंजूरी फरवरी, १९५९ में दी जानी है ।

परीक्षा पद्धतियां

†२५१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इक्बाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री बाल्मीकी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परीक्षा सुधार सम्बन्धी विदेशी प्राधिकारियों की सहायता से विश्वविद्यालय स्तर तथा माध्यमिक शिक्षा प्रक्रम पर वर्तमान परीक्षा पद्धति का परिनिरीक्षण किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने कौन से विदेशी प्राधिकार को आमंत्रित किया है; और

(ग) यह परिनिरीक्षण कब तक समाप्त होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) शिकागो विश्वविद्यालय परीक्षक मंडल के अध्यक्ष, डा० बेन्जामिन एस० ब्लूम ।

(ग) इस समय यह अनुमान लगाया गया है कि यह कार्य लगभग तीन वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

दिल्ली में प्रौढ़ पाठशालायें

†२५२. **श्री राधा रमण :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी प्रौढ़ पाठशालायें हैं और १९५६ से १९५८ तक उनको अब तक कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है ;

(ख) इन पाठशालाओं में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उनको क्या स्तर प्राप्त है;

(ग) क्या भविष्य में उनकी संख्या बढ़ाई जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९५]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Ways and Means Advances.

दरियागंज दिल्ली में छात्रवृत्ति विभाग के कार्यालयों में आग

†२५३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बाल्मीकी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ जून, १९५८ को दरियागंज, दिल्ली में छात्रवृत्ति विभाग के कार्यालयों में आग लग गयी ।

(ख) यदि हां, तो सरकारी सम्पत्ति की कितनी हानि हुई और किस प्रकार के अभिलेख नष्ट हो गये ;

(ग) आग के क्या कारण थे ;

(घ) क्या आग के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच समिति नियुक्त की गई थी; और

(ङ) नष्ट फाइलों को दुबारा बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६**]

निवेली लिग्नाइट परियोजना

†२५४. **श्री ना० रा० मुनिस्वामी :**
श्री ओझा :
श्री दामानी :
श्री तंगामणि :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत निवेली लिग्नाइट परियोजना का तापीय संयंत्र, उर्वरक, परियोजना और खनन-कार्य में लक्ष्य के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) विलम्ब को रोकने के लिये क्या कोई और कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या परियोजना के प्राक्कलन और रूप के बारे में कोई परिवर्तन अपेक्षित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). स्थिति निम्न प्रकार है :—

मूल समय-लक्ष्य के अनुसार, १९६० के मध्य तक लिग्नाइट का खनन के लिये पता लगने की आशा थी और कुल उत्पादन (३५ लाख टन प्रतिवर्ष) कर दिसम्बर, १९६० तक प्राप्त करने की आशा थी। तथापि प्रारम्भिक जांच के समय जर्मनी के सम्भरण कर्ताओं द्वारा कुछ विशेष प्रकार की खनन मशीनों के देने की तारीख में फेर बदल के परिणाम स्वरूप इस लक्ष्य में कुछ विलम्ब हुआ। दूसरी ओर इन सम्भरणकर्ताओं को पता चला कि निवेली में भूमिगत तह कहीं और स्थान पर प्राप्त लिग्नाइट की खानों से अधिक कड़ी थी, अतः उनको विशेष प्रकार की खनन मशीनों, विशेषतः बकेट ह्वील एक्सकेवेटर्स[1] का डिज़ाइन दुबारा बनाना पड़ा। कम से कम विलम्ब को अंशतः दूर करने के लिये ऊपर की मिट्टी को हटाने के लिये प्रचलित खनन मशीनें लगाई गयी हैं।

मूल समय-लक्ष्य में विलम्ब का दूसरा कारण एकीकृत परियोजना के उपभोक्ता एकक को पूरा करने की अनुमानित तिथि के सम्बन्ध में अत्याज्य देरी है। मूल लक्ष्य के अन्तर्गत तापीय पावर स्टेशन के लिये उपकरणों के लिये व्यादेश जुलाई, १९५७ में दिये जाने थे और पावर स्टेशन को दिसम्बर, १९६० तक चालू हो जाना है। तदुपरान्त विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय किया गया कि तापीय पावर स्टेशन को ५००० लाख रूसी रूबल के ऋण से स्थापित किया जाये। पुनरीक्षित लक्ष्य-तिथि के अनुसार तापीय पावर स्टेशन में जनवरी और मार्च, १९६१ के बीच उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और दिसम्बर, १९६१ तक पूरा उत्पादन प्राप्त कर लिया जायेगा।

विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त विदेशी ऋण उपलब्ध होने पर भारत सरकार ने २१ करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से निवेली में एक उर्वरक योजना की स्वीकृति दी। पूर्व समय लक्ष्य के अनुसार अपेक्षित मशीनों के लिये जुलाई, १९५७ में टेंडर जारी किये जाने थे। दोहरे नमक के बजाय केवल उरिया का उत्पादन करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुये और क्योंकि योजना विदेशी ऋण की उपलब्धता पर निर्भर थी और उपयुक्त ऋण की शर्तों को टेंडर नोटिसों में लगाने के लिये निश्चित करना था, ये नोटिस मई, १९५८ में जारी किये जा सके। वर्तमान लक्ष्य के अनुसार उरिया का उत्पादन दिसम्बर, १९६१ तक आरम्भ होना है।

उपरोक्त बातों तथा अन्य तथ्यों को, कि खनन योजना उपभोक्ता एकक के साथ पूरी होनी चाहिये, ध्यान में रखते हुये—क्योंकि लिग्नाइट स्वतः ही उत्तेजक होता है—खनन योजना के लिये एक पुनरीक्षित समय लक्ष्य बनाया गया है जिसमें दिसम्बर, १९६१ तक पूरा उत्पादन होने की व्यवस्था है। पुनरीक्षित समय-लक्ष्य के अनुसार परियोजना पर कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है।

(घ) और (ङ). परियोजना की रूप रेखा में परिवर्तन अर्थात् लक्ष्य-तिथि और उसके कारणों के बारे में पूर्व कंडिकाओं में व्याख्या की जा चुकी है।

जहां तक प्राक्कलनों में परिवर्तन का सम्बन्ध है इस योजना के लिये अपेक्षित विशेष तथा प्रचलित खनन उपकरणों के निर्माण करने वाले देशों में श्रम लागत और इस्पात के मूल्यों में सामान्य वृद्धि तथा निम्नलिखित अतिरिक्त कारणों के कारण खनन योजना की अनुमानित लागत में वृद्धि होने की सम्भावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] 1. Bucket wheel Excavators.

मूल प्राक्कलन विशेष प्रकार के खनन उपकरणों के विभिन्न निर्माताओं से प्राप्त प्रारम्भिक जानकारी के आधार पर बनाये गये थे। तथापि क्योंकि विशेष प्रकार की खनन मशीनों के संभरण-कर्ताओं द्वारा संभरण के लिये वास्तव में बतायी गयी तिथि में वृद्धि की गयी, अतः विलम्ब को अंशतः दूर करने के लिये अतिरिक्त प्रचलित खनन उपकरण काम पर लगाने पड़े। उस उपकरण के प्रभावोत्पादक रूप से प्रयोग में लाने से पूर्व भूमि को तैयार करने और भूमि को उड़ा देने के लिये विस्फोटकों के प्रयोग के कारण भी अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। निवेली में कड़ी तह को ठीक करने के लिये विशेष प्रकार की खनन मशीनों का डिज़ाइन दुबारा बनाना पड़ा। भूमिगत जल नियंत्रण के लिये उपकरण की ठीक लागत का अभी पता नहीं लगा है क्योंकि भूमिगत जल नियंत्रण के लिये काम में लाये जाने वाले सर्वोत्तम तरीकों का निश्चय करने के लिये परीक्षण पूरे नहीं हुये हैं। खनिकों के लिये क्वार्टर बनाने की लागत में भी वृद्धि हो गयी है। इन सब बातों से खनन योजना की समूची लागत पर प्रभाव पड़ेगा। लागत में वास्तविक वृद्धि का पता लगाया जा रहा है।

तापीय संयंत्र पर लागत के बारे में किसी वृद्धि अथवा कमी का तभी पता लगेगा जब रूसी व्यक्ति अपना परियोजना प्रतिवेदन दे दें और उर्वरक योजना पर लागत के बारे में भी तभी पता लगेगा जब संसार के संभरणकर्त्ता टेंडर भेज दें।

ब्रिकेटिंग और कार्बोनाइजिंग योजना[1] के बारे में टेक्निकल कोआपरेशन मिशन सहायता के अन्तर्गत प्राप्त पाइन्ट ब्रिकेटिंग और कार्बोनाइजिंग संयंत्र की सहायता से निवेली में चल रहे निवेली लिग्नाइट सम्बन्धी परीक्षणों के पूरा हो जाने पर निर्णय किया जायेगा। योजना की वास्तविक लागत का इन परीक्षणों के पूरा हो जाने और परियोजना प्रतिवेदन बनने पर ही पता लगेगा।

सामग्री और श्रम की लागत में सामान्य वृद्धि के कारण भी तापीय शक्ति, उर्वरक और ब्रिकेटिंग और कार्बोनाइज़िंग योजनाओं की पृथक पृथक् लागत में वृद्धि होगी।

हरिजनों के लिये केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड

†२५५. **श्री वै० च० मलिक**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरिजनों के लिये केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड का वर्ष १९५८–५९ के लिये पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में जारी किये गये एक संकल्प की प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९७]**

मचकुण्ड क्षेत्र में अनुसूचित आदिम जातियां

†२५६. **श्री संगण्णा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने कोरापुर जिला (उड़ीसा) में मचकुण्ड क्षेत्र में अनुसूचित आदिम जातियों के उपनिवेशन के लिये एक योजना स्वीकृत की है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Briquetting and Carbonising Scheme.

(ख) यदि हां, तो योजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). मचकुण्ड क्षेत्र में अनुसूचित आदिम जातियों के उपनिवेशन के लिये कोई योजना नहीं है । तथापि मचकुण्ड जल-विद्युत परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों के अन्यत्र उपनिवेशन के लिये राज्य सरकार ने एक मिली जुली पुनर्वास तथा कल्याण योजना स्वीकृत की है । योजना की अनुमानित लागत निम्न प्रकार है :—

	रुपये
१९५६–५७	५,११,९४५
१९५७–५८	१०,७५,०००
१९५८–५९	४०,०००

सन्थाल परगना में स्वर्ण निक्षेप

†२५७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन्थाल परगना, बिहार में सोने के कण मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में सोने के कणों के होने को पक्का करने के लिये कोई जांच पड़ताल की गयी है ; और

(ग) जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) सन्थाल परगना, बिहार से किसी भी महत्व के सोने के होने का पता नहीं चला है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

गोरखपुर में अभ्रक और सोने के निक्षेप

†२५८. **श्री अनिरुद्ध सिंह :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में महाराजगंज उप-विभाग में एक स्थान पर अभ्रक और सोने वाले निक्षेप प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उनको निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण की पटना बेंच

†२५९. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पटना बेंच के स्थानान्तरण के समय कितने मामले निर्णय के लिये लम्बित थे ;

(ख) तत्पश्चात् ३० जून, १९५८ तक कितने मामले दायर किये गये ;

(ग) स्थानान्तरण की तारीख के बाद से ३० जून, १९५८ तक कितने मामलों की सुनवाई हुई और निबटाया गया ; और

(घ) सुने गये और निपटाये गये मामले सदर मुकाम में थे या शाखा न्यायालय में थे ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) ४६९ ।

(ख) ७६२ ।

(ग) ५१ ।

(घ) मामले इलाहाबाद और कलकत्ता सदर मुकामों में सुने अथवा निबटाये गये क्योंकि जिन क्षेत्रों से वे संबंधित थे वे न्यायाधिकरण की इलाहाबाद बेंच अथवा कलकत्ता बेंच के क्षेत्राधिकार में थे ।

मनीपुर में आग बुझाने की सर्विस

†२६०. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की आग बुझाने वाली सेना के व्यक्तियों को वर्दी नहीं दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) मनीपुर की आग बुझाने वाली सेना के व्यक्तियों को वर्दियां दी जाती हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में चलचित्रों पर मनोरंजन-कर

२६१. **श्री वाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में दिल्ली में कितने चल-चित्रों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मनोरंजन-कर से किसी भी चित्र को मुक्त नहीं किया गया लेकिन विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा दान देने के वास्ते धन इकट्ठा करने के लिये जो फिल्म दिखाये गये उन्हें और नई दिल्ली की चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा बच्चों के लिये दिखाई गई फिल्मों को मनोरंजन-कर से मुक्त किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र

†२६२. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० के० अकादमी, बोधजंग हाई स्कूल, महारानी तुलसीबती गर्ल्स हाई स्कूल और अगरतला, त्रिपुरा और अभयनगर के सीनियर तथा जूनियर बेसिक तथा सहायता प्राप्त स्कूलों समेत अन्य सरकारी स्कूलों में अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों के लिये कोई स्थान सुरक्षित है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकारी स्कूल में पृथक रूप से कितने स्थान सुरक्षित हैं ;

(ग) प्रत्येक सरकारी स्कूल में पृथक रूप से कुल कितने छात्र हैं ; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९८]**

नागा विद्रोही

†२६३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० जून, १९५८ को सशस्त्र नागा विद्रोही मनीपुर क्षेत्र में घुस आये और बोल्कत स्थित आसाम लोक-निर्माण विभाग के कार्यालय में लूटमार की ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). यद्यपि २० जून, १९५८ को ऐसी कोई घटना नहीं हुई । कुछ नागा विद्रोहियों ने १६/१७ जून की रात्रि को बोल्कत स्थित आसाम लोक-निर्माण विभाग के कार्यालय को लूटा । लूटी गयी सम्पत्ति का मूल्य ३,००० रुपये बताया जाता है ।

जैट लडाकू 'ग्नैट' विमान का निर्माण

†२६४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री वोडयार :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री शिवनंजप्पा

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा जेट लड़ाकू 'ग्नैट' विमान के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड "ग्नैट" विमान निर्माण की परियोजना में संतोषजनक प्रगति हो रही है । तथापि इसके बारे में अग्रेतर तथ्य और ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय खान ब्यूरो

†२६५. **श्री घोषाल :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर स्थानान्तरित किये जा रहे भारतीय खान ब्यूरो, कलकत्ता के कार्यालयों के कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधायें दी गयी हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) कलकत्ता में भारतीय खान ब्यूरो के कार्यालयों के कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधायें नहीं दी गयी हैं परन्तु उनको वे सब रियायतें और सुविधायें दी गयी हैं जो दिल्ली में भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों को दी गयी हैं, जो कि स्थानान्तरित किया जा रहा है ।

(ख) ये रियायतें और सुविधायें निम्नलिखित हैं :—

(१) अराजपत्रित कर्मचारियों को सामान्य यात्रा भत्ता अग्रिम धन के अतिरिक्त दो महीनों का पेशगी वेतन ।

(२) अराजपत्रित कमचारियों को वेतन का १२ प्रतिशत और अधिकतम २५ रुपये प्रतिमाह एक वर्ष तक विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता ।

(३) भूतपूर्व सदर मुकाम पर ६ महीनों तक साधारण किराया देकर अथवा नागपुर में आवास स्थान मिलने तक जो भी शीघ्र हो, सरकारी आवास रखने की आज्ञा ।

(४) स्थानान्तरण की तिथि से १२ महीने तक भारतीय खान ब्यूरो के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों द्वारा किये गये सफर और वैयक्तिक सामान के लाने के किये पूर्ण रूप से यात्रा भत्ते के लिये दावों की स्वीकृति ।

निम्नलिखित अग्रेतर रियायतों के देने के बारे में विचार हो रहा है :—

(१) अराजपत्रित कर्मचारियों को दो महीने का पेशगी वेतन ।

(२) जिन पदाधिकारियों के पास भूतपूर्व सदर मुकाम में सरकारी आवास स्थान नहीं था, उनको स्वीकार्य दरों पर अपने भूतपूर्व सदर मुकाम में नागपुर में आने की तिथि से छः महीनों के लिये अथवा उतने समय तक जब तक कि उनको कोई परिवार आवास स्थान नहीं दिया जाता है या वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो भी कम हो, मकान किराया भत्ता देना यदि उनका परिवार वहां पर रहे।

(३) उनको जिनको नागपुर में स्थानान्तरित आवास स्थान दिया गया है और जो उसका लाभ उठाते हैं जब कि उनके परिवार उनके पुराने सदर मुकाम में रहते हैं उस समय तक जब तक वे स्थानान्तरित आवास स्थान में रहे अथवा अधिकतम छः महीनों तक वेतन का १० प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर भत्ता अथवा अधिकतम १५ रुपये प्रतिमाह देना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गूंगे-बहरे

†२६६. **डा० सुशीला नायर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में विभिन्न राज्यों में गूंगे बहरों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े हैं ; और

(ख) राज्य-वार ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिये क्या सुविधायें उपलब्ध हैं और किस हद तक उनको आवश्यकताओं की कमी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९९]**

अंकों के रूप

†२६७. **श्री रामम् :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के हिन्दी दस्तावेजों में किस प्रकार के अंक प्रयोग में लाये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या अरबी अंकों को प्रयोग में लाने की भारत सरकार की नीति का राज्यों में भी अनुसरण किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी दस्तावेजों में भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग किया जा रहा है । इस संबंध में अन्य मंत्रालयों से जानकारी मांगी गयी है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जहां तक राज्य सरकारों के सरकारी प्रयोजनों का संबंध है, यह उन पर छोड़ दिया गया है । परन्तु उनसे भारत सरकार को भेजे जाने वाले लेखों, सांख्यकी विवरणों इत्यादि और भारत सरकार के साथ सब पत्र-व्यवहारों में केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप को प्रयोग करने को कहा गया है ।

विदेशियों का पंजीयन अधिनियम का उल्लंघन

†२६८. **{श्री वोडयार :**
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने भारत में विदेशियों का पंजीयन अधिनियम का उल्लंघन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५८ में उनमें से कितनों को राज्यवार अभियोजित किया गया अथवा भारत से निकाला गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख) विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ और उसके अधीन बनाये गये विदेशियों के पंजीयन नियमों, १९३९ के उपबन्ध पाकिस्तानी राष्ट्रजनों पर लागू नहीं होते । अतः इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उन के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में आय-कर का बकाया

†२६९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५८ को हिमाचल प्रदेश में आय-कर की कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) २,९४,००० रुपये ।

(ख) बकाया आय-कर की वसूली के लिये सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १००]**

पंजाब की गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†२७०. **श्री सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की किन-किन गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं ने १९५८ में अब तक केन्द्रीय सरकार को अनावर्त्तक अनुदानों के लिये आवेदन भेजे हैं ;

(ख) प्रत्येक संस्था को कितनी कितनी राशि मंजूर की गयी है ;

(ग) ऐसे कितने मामले अब भी विचाराधीन हैं ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) से (घ). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०१]**

पंजाब में कैम्पों के लिये मैदान

†२७१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) पंजाब में प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन कैम्पों के लिये कितने मैदान हैं ;

(ख) इनका क्षेत्रफल, स्थान, तहसील और जिले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष में इनसे कितनी-कितनी आय होती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ७८ ।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०२]**

फीरोजपुर में अफ़सरों के बंगले

†२७२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) फिरोजपुर में अफसरों के लिये कितने बंगले किराये पर लिये गये हैं और सरकार महीने में इनका कुल कितना किराया देती है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) फिरोजपुर में अफसरों के लिये और भी क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की या कर रही है ;

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कुल कितने नये बंगले बनाये जायेंगे ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) (१) २२ ।

(२) १,८९३.३६ रुपये प्रतिमास ।

(ख) नियमानुसार आवश्यक बोर्डों की स्थापना के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की गयी है ।

(ग) और (घ). मौजूदा जांच पूरी होने के बाद ही यह जानकारी मिल सकेगी ।

आय-कर संग्रह

†२७३. **श्री बीरेन राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य में कितना कितना आय-कर संग्रह हुआ ; और

(ख) इसमें से कितनी राशि विभिन्न राज्यों में आय-कर की पिछले वर्षों की बकाया की वसूली की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) आय-कर संग्रह के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते । फिर भी, लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह दिखाया गया है कि प्रत्येक आय-कर आयुक्त के अधीन कितना कितना आय-कर जमा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०३]**

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्रत्येक आय-कर आयुक्त के प्रभार के संबंध में जानकारी दे दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०३]**

दिल्ली के स्कूलों के लिये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२७४. **श्री कुन्हन** : क्या **शिक्षा मंत्री** ९ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ९-५-५८ को जिस अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४८ का उत्तर दिया गया था उसके संबंध में अपेक्षित जानकारी लोक-सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

दिल्ली राज्य स्कूल चतुर्थ श्रेणी वर्ग कर्मचारी संघ

†२७५. **श्री कुन्हन** : क्या **शिक्षा मंत्री** ९ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से दिल्ली राज्य स्कूल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की मांगों पर विचार किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०४**]

सिन्धी भाषा

†२७६. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सिन्धी भाषा को एक भारतीय भाषा स्वीकार करने के लिये सिन्धी विस्थापित व्यक्तियों और उनके संघों की ओर से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) सिन्धी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लेने के लिये अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) सिन्धी पहले ही भारतीय भाषा मानी जा चुकी है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना

†२७७. **श्री रा० चं० माझी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०५**]

मद्रास और हैदराबाद के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क संग्रह-कार्यालय

†२७८. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मद्रास और हैदराबाद के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संग्रह कार्यालयों में 'वि-रक्षित' रिक्तियों में नियुक्त किये गये वार-सर्विस वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये सेवा अन्तराय[1] को माफ कर देने के निश्चय को क्रियान्वित किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : भारत सरकार ने मद्रास, हैदराबाद और मैसूर के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टरों को यह हिदायत दी थी कि 'वि-रक्षित' रिक्तियों में नियुक्त किये गये वार-सर्विस वाले अभ्यार्थियों के सेवा अन्तराय को माफ कर उनकी वरिष्ठता पुनःनिर्धारित की जाय। तीनों केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टरों ने सूचना दी है कि अधिकांश मामलों में वरिष्ठता पुनर्निर्धारित कर दी गयी है। कुछ मामले मुख्यतः उनकी वार-सर्विस के संबंध में आवश्यक विवरण न मिलने के कारण अब भी विचाराधीन पड़े हैं। यह विवरण या तो स्वयं कर्मचारियों से मिलना है या संबंधी प्रतिरक्षा अधिकारियों से।

पश्चिम क्षेत्रीय परिषद्

†२७९. **श्री पांगरकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक पश्चिम क्षेत्रीय परिषद् की कुल कितनी बैठकें हुई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Break in Service

(ख) इन बैठकों में किन समस्याओं पर चर्चा की गयी ; और

(ग) क्या १९५८–५९ के अवशिष्ट भाग में भी कोई बैठक होने वाली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) एक भी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां।

लोक-सहायक सेना के शिविर

†२८०. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक देश में लोक-सहायक सेना के कुल कितने शिविर हुए हैं ;

(ख) इन में से प्रत्येक में औसतन कितने व्यक्तियों ने भाग लिया ;

(ग) क्या जनता की जानकारी के लिये कुछ साहित्य तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०६]**

(ग) लोक-सहायक सेना के उद्देश्यों, शर्तों और निबंधनों आदि के सम्बन्ध में जनता को ब्यौरेवार जानकारी अंग्रेज़ी, हिन्दी और सभी प्रादेशिक भाषाओं के पोस्टरों, फोल्डरों, सिनेमा, स्लाइडों आदि में कराई जाती है।

(घ) १९५५ में यह योजना बनने के बाद से प्रचार कार्य पर ५६,००० रुपये व्यय हो चुके हैं।

आरम्भिक शिक्षा के बारे में प्रादेशिक गोष्ठियां

†२८१. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरंभिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा के आधार पर नया रूप देने के लिये १९५८ में अब तक कुल कितनी प्रादेशिक गोष्ठियां हुई हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक में क्या क्या निर्णय हुए ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) चार।

(ख) प्रादेशिक गोष्ठियों की सिफारिशों का सारांश लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०७]**

(ग) गोष्ठियों की सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेजी जा रही हैं क्योंकि उनके क्रियान्वय से वे ही संबंधित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कल्कों की परीक्षा

†२८२. **श्री मणियंगाडन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) संघ लोक-सेवा आयोग ने सेन्ट्रल सेक्रेटेरियेट क्लैरिकल सर्विस के लोअर डिवीजन क्लर्कों के चुनाव के लिये परीक्षा लेने के लिये कितने केन्द्र चुने हैं ;

(ख) किन राज्यों में ऐसा एक भी केन्द्र नहीं होगा ; और

(ग) इन राज्यों को छोड़ देने के क्या कारण हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों के केन्द्रों के अलावा भारत के १४ केन्द्रों में यह परीक्षा होगी। इन १४ केन्द्रों का विवरण लोक-सभा पटल तर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०८]**

(ख) मध्यप्रदेश, राजस्थान और केरल।

(ग) संविधान के अनुसार परीक्षा लेना आयोग का कर्त्तव्य है। परीक्षा चलाने के लिये सभी प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी आयोग पर होती है और केन्द्र तय करना इसी प्रबंध का एक अंग होता है। आयोग सभी संबंधित बातों पर, जिनमें परीक्षार्थियों की संख्या भी शामिल है, विचार करने के बाद अपने विवेक के अनुसार उसका निर्णय करता है।

दुष्प्राप्य पांडुलिपियां

†२८३. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **वैज्ञानिक, गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों के पास मौजूद दस्तावेजों और दुष्प्राप्य पांडुलिपियां अर्जित करने के लिये आन्दोलन आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) १९५७–५८ में प्रत्येक राज्य में अर्जित किये गये दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि व्यय की गयी?

†**वैज्ञानिक, गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबीर) :** (क) और (ख). सरकार ने एक अपील निकाली है जिसकी एक प्रति लोक सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०९]**

(ग) जहां तक भारत सरकार को मालूम है १९५७–५८ में किसी भी राज्य में इस अपील के अधीन कोई दस्तावेज आदि नहीं अर्जित किया गया।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

अननुचित बैंकों का परिसमापन

†२८४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में और ३१ जुलाई १९५८ तक देश में प्रत्येक राज्य में कुल कितने अननुचित बैंकों का परिसमापन हुआ या उन्हें काम समाप्त करने का आदेश दिया गया ;

(ख) इस प्रकार के परिसमापन के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) बाद में चल कर इस प्रकार की घटना से बचाने के लिये शुरू में इनके असंतोष-प्रद कार्य में हस्तक्षेप के लिये रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११०]**

(ख) इन बैंकों के परिसमापन के मुख्य कारण थे--बैंक के कार्यों पर प्रबंधकों का अपर्याप्त नियंत्रण, बिना जमानत और वास्तविक सम्पत्ति के बदले दिये गये उधार का बाहुल्य और कुछ छिट फुट मामलों में जालसाजी और गबन हुआ था।

(ग) रिज़र्व बैंक द्वारा नियमित निरीक्षण की प्रणाली शुरू की जाने से बहुत पहले से ही ये बैंकें मरणासन्न अवस्थाओं में थीं और परिसमापन के समय इनकी कुल जमापूंजी कुछ अधिक नहीं थी। अब रिजर्व बैंक समय समय पर होने वाले निरीक्षण के आधार पर जो सलाह और निदेश देती है उसने ऐसे बैंकिंग समवायों की अवस्था को और अधिक बिगड़ने से बचा लिया है जिनकी स्थिति असंतोषप्रद रहा करती थी।

राजनीतिक पीड़ित

†२८५. **श्री सुब्बया अम्बलम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के राजनीतिक पीड़ितों से सहायता के लिये १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को सहायता मंजूर की गयी है और कितनों को अस्वीकार कर दी गयी है ; और

(ग) उनमें से कितने विचाराधीन हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो०व० पन्त) :** (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १११]**

केरल में अस्पृश्यता का प्रचार

†२८६. **श्री इ० ईयाचरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) केरल में अस्पृश्यता के प्रचार के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९५८-५९ के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कोई योजना भेजी है ; और

(ग) जिन योजनाओं पर यह राशि व्यय की जान वाली है उनका स्वरूप क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

अहमदाबाद में स्थिति

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे कई स्थगन प्रस्ताव मिले हैं। पहला श्री गोरे तथा श्री जाधव का है जिसमें अहमदाबाद तथा गुजरात के कुछ भागों में लाठी चार्ज व गोली चलाने से सम्पत्ति की हानि तथा तनाव की स्थिति के बारे में बाताया गया है। दूसरे में श्री डांगे ने १२ अगस्त को अहमदाबाद नें निहत्थे लोगों पर लाठी चार्ज तथा गोली चलाने के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर ध्यान दिलाया है। तीसरा प्रस्ताव श्री स० म० बनर्जी, श्री तंगामणि तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का है जो १२-८-५८ को निहत्थी जनता पर अहमदाबाद तथा अन्य नगरों में अनावयश्यक गोली चलाने तथा सरकार द्वारा नागरिक स्वतंत्रता पर आघात करने और लोक सभा के सदस्य श्री इन्दुलाल याज्ञिक द्वारा सरकार की कार्यवाही पर की गई भूख हड़ताल के सम्बन्ध में है। चौथा श्री नौशीर भरूचा का है जिसमें उन्होंने बताया है कि संघ सरकार संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन किये जाने को रोकने और जनता में असुरक्षा की भावना दूर करने में असफल रही है। इसके अलावा श्री परमार का प्रस्ताव है जिसमें अधिक तनाव की ओर ध्यान दिलाया गया है। छठा श्री खाडिलकर द्वारा दिया गया है कि अहमदाबाद, बड़ौदा, नडियाद तथा महागुजरात के अन्य कितने ही नगरों में बहुत दंगे हो रहे हैं और गोली चलाने से सात व्यक्ति हताहत हुए हैं। श्री आसर ने अपने प्रस्ताव में बताया है कि बम्बई सरकार को गुजरात के देशभक्तों के स्मारकों को हटाने से रोकने में सरकार असफल रही है। राजा महेन्द्र प्रताप ने अपने स्थगन प्रस्ताव में अहमदाबाद गोली कांड, दिल्ली में रिक्शा हड़ताल, तथा जयपुर आन्दोलन सबको मिल कर एक साथ रख दिया है। स्थगन प्रस्ताव में केवल एक विषय ही होना चाहिये। इसलिये राजा महेन्द्र प्रताप के प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मैं मानता हूं कि यह मामला बड़ा गंभीर है और हाल ही का है परन्तु सभा इससे सहमत होगी कि यह मामला शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में है। हां यदि माननीय मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य ज्ञात हैं तो वह उन तथ्यों को बता सकते हैं।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मेरा एक निवेदन है कि अहमदाबाद में जो घटनायें हो रही हैं उनका आधार संसद् द्वारा पारित एक अधिनियम है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि यह झगड़े संसद के अधिनियम के कारण हो रहे हैं तो कोई स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं होना चाहिए। संसद जब तक अन्य कोई निर्णय न करे तब तक हम सबको उस अधिनियम को स्वीकार करना चाहिए।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अहमदाबाद में जो अहिन्सा का गढ़ है, इस प्रकार की घटनायें हों। पिछले साल गोली कांड में कुछ व्यक्ति थे ; जनता उनकी पूजा करती है, फूल चढ़ाती है। मेरा निवेदन है कि यदि उनकी इस पूजा में विघ्न डाला जाता है तो वह मूलभूत अधिकारों का, नागरिक स्वतंत्रता का छीना जाना ही है। इसलिए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल को इस पर ध्यान देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खाडिलकर** (अहमद नगर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब विदेशी हुकूमत के ज़माने में स्थापित स्मारक हटाने की मांग की गई थी तो उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया था परन्तु इसके विपरीत जब हम अपने देशभक्तों की पूजा करते हैं तो हमको क्यों रोका जाता है और उनके समारकों को क्यों हटाया गया है ?

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : मेरा यह निवेदन है कि जब देश में कहीं गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सभा का कर्त्तव्य हो जाता है कि उधर ध्यान दे।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मुझे खेद है कि अहमदाबाद में ऐसी दुर्घटनायें हुईं। जैसा कि आपने ठीक ही बताया अहमदाबाद अहिंसा का गढ़ रहा है। परन्तु मेरा विचार है कि कुछ लोग वहां पर अहिंसा की भावना में बहकर काम कर रहे हैं। मालूम होता है उनके लिए कानून तथा नियम व्यर्थ हो गये हैं ; जीवन तथा सम्पत्ति का उनके लिए कोई मूल्य नहीं रहा है।

इस मामले में बताया गया है कि शहीदों के दो स्मारक सड़क पर बना लिए गये थे। मैं नहीं जानता कि वे सड़क से कितनी दूर थे परन्तु मुझे बताया गया कि वह चौराहे पर या उसके बिलकुल नज़दीक थे। यह स्मारक नगरपालिका बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध और पुलिस की अपील के बावजूद बनाये गये थे, पुलिस द्वारा उनको हटाने की प्रार्थना किए जाने के पश्चात उनको वहां से ११ अगस्त की रात्रि में हटा दिया गया था।

बड़े खेद की बात है कि अगले दिन गुण्डागर्दी का सहारा लिया गया। लगभग ८ पुलिस चौकियों में आग लगा दी गई। ३ डाकखाने जला दिए गए तथा ३ को नुक़सान पहुंचाया गया। नगरपालिका के दो भवन जलाये गये तथा खादी मन्दिर को जलाया गया और लूट लिया गया। नगरपालिका की ६ बसों पर हमला किया गया और नष्ट किया गया। पत्थर फेंकने की कितनी ही घटनायें हुईं। बत्तियों के खंभों, बस स्टैन्डों आदि को नष्ट किया गया।

कल ११.४० तक की घटनाओं के सम्बन्ध में हमें यही पता लगा है। पुलिस को बाध्य होकर आंसू गैस इस्तेमाल करनी पड़ी तथा जहां तक संभव था वहां तक अपने पर नियंत्रण रखा। उसके पश्चात और भी दुर्घटनायें हुई हैं जिनकी सही संख्या में नहीं बता सकता हूँ। समाचार पत्रों में यह समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि दूकानों में भी आग लगाई थी। गुण्डागर्दी की घटनायें समाचार पत्रों के अनुसार १०० के करीब हुईं। मुझे किसी ने यह भी बताया है कि लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई है।

यह बड़े ही खेद की बात है कि सार्वजनिक सम्पत्ति को इस प्रकार नष्ट किया जाये। डाकखाने, पुलिस थाने, बस आदि सभी जनता के हैं। तथा जो व्यक्ति उन्हें आग लगाते हैं यह नहीं सोचते कि इस देश के नागरिक के नाते उनका भी उस सम्पत्ति में कुछ अंश है। यह बड़े शोक की बात है कि इस प्रकार की हिंसात्मक भावना का प्रदर्शन किया जाये।

मैं अन्य मामलों के सम्बन्ध में कुछ न कह कर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे आशा है कि अहमदाबाद की स्थिति अब सामान्य हो जायेगी। मुझे इसका बड़ा दुख है कि विभिन्न सदस्यों द्वारा भेजे गये इतने सारे स्थगन प्रस्ताव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रूप में कहीं पर भी इन घटनाओं को बुरा नहीं बताया गया है। मैं आशा करता हूं कि लोगों की भावनाओं में सुधार हो जायेगा और हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा। हमारे देश में लोकतंत्रीय सरकार है तथा प्रत्येक व्यक्ति सांविधानिक तरीके से अपनी शिकायतों को दूर करा सकता है। परन्तु यदि हम हिंसा को प्रोत्साहन देंगे तो गड़बड़ी फैल जायेगी तथा सभी प्रकार के अधिकार समाप्त हो जायेंगे और देश की प्रगति तथा उन्नति में बाधा पड़ जायेगी। इसलिए मेरी सभी लोगों से अपील है कि इन सभी बातों पर ठीक दृष्टिकोण से विचार करें तथा जो व्यक्ति आदत से ही हिंसक हैं उनके बहकावे में न आयें। शांति बनाये रखने का प्रयत्न करें और जब भी कोई शिकायत हो उसको सांविधानिक तरीके से शांति से दूर कराने का प्रयत्न करें।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह सच है कि ८ तरीख को दो लाख व्यक्तियों ने इकट्ठा हो कर स्मारक बनाये और शहीदों के सम्मान में बैठकें बुलाई और इन स्मारकों को हटाने पर ही अशांति फैली इससे पहले सब ठीक था ? यदि ऐसी घटना हुई है तो क्या इसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या अहमदाबाद नगरपालिका ने सरकार से इन स्मारकों को हटाने की प्रार्थना का संकल्प पारित किया था।

†**पंडित गो० ब० पन्त**: मेरे विचार से तो इससे यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या विधि का प्रशासन तथा वैध आदेशों को लागू करना चाहिए अथवा नहीं। जब कानून तोड़ा जायेगा तो उसके क्या परिणाम होंगे ?

†**श्री श्री० अ० डांगे** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब स्मारक चौराहे पर था तो उससे यातायात में क्या बाधा पड़ सकती थी। दूसरे क्या संसद द्वारा इस राज्य की स्थिति की निष्पक्ष जांच कराने पर मंत्री महोदय विचार कर सकते हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : अन्य स्थानों पर इससे कहीं अधिक गंभीर घटनायें हुई हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार की घटनायें होती हैं। मैं इस मामले पर अपनी राय जाहिर नहीं कर रहा मगर यदि इस प्रकार की घटनायें होती रहीं तो यह जरूर है कि लोकतंत्रिक पद्धति की उन्नति नहीं हो सकती।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या हमें इन घटनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं नहीं कहता मंत्रिमंडल इस पर ध्यान नहीं देगा ; उसे अवश्य ध्यान देना चाहिए परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि एक गलती चाहे वह किसी ने भी की हो, हो जाने पर और गलतियां की जायें। मेरे विचार से स्थगन प्रस्ताव द्वारा इन मामलों पर बहस करना ठीक तरीका नहीं होगा। यह सभी प्रस्ताव शांति तथा व्यवस्था बनायें रखने से सम्बन्धित हैं इसलिए मैं इनके लिये अपनी अनुमति नहीं देता हूँ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : मैं गोली कांड में मारे गये व्यक्तियों के प्रति शोक प्रकट करता हूँ और शहीदों के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ। अपना शोक प्रकट करने के लिए मैं सभा से बाहर जाता हूँ।

[इसके पश्चात श्री डांगे तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से बाहर चले गये]।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ५ सितम्बर, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राईवेट) लिमिटेड का पहला वार्षिक प्रतिवेदन निगम के लेखा-परीक्षित लेखे सहित।

(दो) सरकार द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—७७३/५८]

दिल्ली सीमा-कर नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९५८ की अधिसूचना संख्या ८/५९ डी० एम० कारपोरेशन में प्रकाशित दिल्ली सीमाकर नियम १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—७७४/५८]

दिल्ली नगरपालिका नियम (पारिषदों और नगर वृद्धों के भत्ते) नियम

†**श्री दातार** : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १२ मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या एफ २०/५२—५८—एस० आर० (आर) में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (परिषद्यों और नगर बृद्धों के भत्ते) नियम १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७७५/५८]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**श्री दातार** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ अप्रल, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या २५०।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का वनियमन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ अप्रैल, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या २५१।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ अप्रैल, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या २७०।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—७७६/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्री दातार :** मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, की धारा ३ की उपधारा २ के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १७ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३७६ ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४०१ ।

(तीन) राज्य-सचिव की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४०२ ।

(चार) अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४१८ ।

(पांच) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४४७ ।

(छः) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जून, १९५८ की जी ० एस० आर० संख्या ४४८ ।

(सात) भारतीय असैनिक सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जून, १९४८ की जी० एस० आर० संख्या ४४९ ।

(आठ) : राज्य-सचिव की सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४५० ।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की, अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २१ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४८९ ।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जूलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५४२ ।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ को जी० एस० आर० संख्या ५४५ ।

(बारह) : भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५४६ ।

(तेरह) भारतीय प्रशानिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची में कुछ सशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जो० एस० आर० संख्या ५४८ ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

(चौदह) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५४९।

(पन्द्रह) दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५५० जिसमें अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि तथा परिवार निवृत्ति-वेत्तन निधि से भुगतान और उसमें धन का जमा किया जाना) नियम, १९५८ हैं।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५५१।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ९ अगस्त, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६६२।

(अठारह) : भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ९ अगस्त, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६६३।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ९ अगस्त, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६६८।

(बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ९ अगस्त, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६७१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७७७/५८]

प्रतिलिप्याधिकार नियमों में संशोधन

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)**: मैं प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम १९५७ की धारा ७८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत प्रतिलिप्याधिकार नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ अप्रल, १९५७ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६७ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—७७८/५८]

दान-कर नियम

†**वित्त उप-मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं दान-कर अधिनियम, १९५८ की धारा ४९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ३१ मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४३० में प्रकाशित दान-कर नियम, १९५८ की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—७७९/५२]

व्यय-कर नियमों में संशोधन

†**श्री ब० रा० भगत**: मैं व्यय-कर अधिनियम, १९५७ की धारा ४१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत व्यय-कर नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २० मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—७८०/५८]

†मूल अंग्रेजी में

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियमों में संशोधन

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) दिनांक ३ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या २९४ ।

(दो) दिनांक १७ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३८३ ।

(तीन) दिनांक २८ जून, १९५८ की जी एस० आर० संख्या ५२२ ।

(चार) दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५५२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—७८१/५८]

पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाली छमाही के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—७८२/५८]

भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा ३४ (१क) के अधीन की गई कार्यवाही की प्रगति

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२, की धारा ३४ (१क) के अन्तर्गत चलाये गये मामलों में की गयी कार्यवाही की ३१ मई, १९५८ तक की प्रगति दिखाने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—७८३/५८]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (मोमजामा) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली, दिनांक ३० अप्रैल, १९५८ की जी एस० आर० संख्या ३०३ ।

(दो) दिनांक ६ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३११ । जिसमें सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (काफी) नियम, १९५८ दिये हुये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

(तीन) सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (कृत्रिम रेशम) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४२४ ।

(चार) दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४२५ जिसमें सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (फेट्टो एसिड्स) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(पांच) सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (क्राउन कार्क) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ जून, १९५८ की जी० एस० आर० ४४४ ।

(छः) दिनांक १६ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४३६ जिसमें सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (हरिकेन लेम्प) नियम, १९५८ दिये हुये हैं ।

(सात) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७७ जिसमें सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (पेन्ट) नियम, १९५८ दिये हुये हैं ।

(आठ) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७८ जिसमें सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (स्पार्किंग प्लग्स) नियम, १९५८ दिये हुये हैं ।

(नौ) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५८० जिसमें सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (जूते) नियम, १९५८ दिये हुये हैं ।

(दस) दिनांक ८ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५८१ जिसमें सीम शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (बिजली के पंखे) नियम, १९५८ दिये हुये हैं ।

(ग्यारह) दिनांक १२ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६०७ जिसमें सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मिठाइयां) नियम १९५८, दिये हुये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—७८४/५८]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) दिनांक ६ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३१० ।

(दो) दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४२१ ।

†मूल अंग्रेजी में

(तीन) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (डिसइ फक्टेंट्स और ऐंटी सेप्टिक्स) नियम, १९५८ सम्बन्धी दिनांक ३१ मई, १९५८ की जो० एस० आर० संख्या ४२२ ।

(चार) दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४२३ ।

(पांच) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (कढ़ाई की हुई वस्तुयें) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४५५ ।

(छः) दिनांक ७ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४६६ ।

(सात) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (कोपर डस्टिंग प्रेपरेशन्स) नियम, १९५८ सम्बन्धी ७ जून, १९५८ की जो० एस० आर० संख्या ४६७ ।

(आठ) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (रूफिंग फेल्ट) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ जून १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४७८ ।

(नो) दिनांक १६ जून, १९५८ की जो० एस० आर० संख्या ४८५ ।

(दस) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७३ ।

(ग्यारह) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (कृत्रिम मोती) नियम, १९५८ सम्बन्धी दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७४ ।

(बारह) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७५ ।

(तेरह) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७६ ।

(चौदह) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७९ ।

(पन्द्रह) दिनांक १२ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६०६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी०–७८५/५८]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) दिनांक १० मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३२१ ।

(दो) दिनांक १० मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३२२ ।

(तीन) दिनांक १९ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६१२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–७८६/५८]

तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ के उत्तर की शुद्धि

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** मैं अखिल भारतीय आदिम जाति सम्मेलन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ पर श्री तो० संगण्णा द्वारा १८ अप्रैल, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–७८७/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कोटला बिजली घर का बन्द हो जाना

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"कोटला बिजली घर के बन्द हो जाने के फलस्वरूप दिल्ली को दी जाने वाली बिजली में कमी करना ।"

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : श्रीमान्, कोटला बिजली घर में बिजली उत्पन्न करने के दो यूनिट हैं। ये दोनों एक एक ट्रान्सफोरमर से मिले हुये हैं। १९ मई, १९५८ को एक ट्रान्सफोरमर में कुछ दोष आ गया और उसने काम करना बन्द कर दिया। जांच करने पर पता लगा कि ट्रान्सफोरमर के अन्दर इंसुलेशन में खराबी आ गई है और बिजली घर के शेष यन्त्र जैसे जैनरेटर, टरबाइन, स्विचगियर, केबल आदि ठीक थे। शीघ्रता से ट्रान्सफोरमर को शेष यन्त्रों से अलग कर दिया गया तथा इंसुलेशन में खराबी का पता लगाने के लिये जांच की जाने लगी। यह पता लगा कि ट्रांसफोरमर को एक वाइण्डिंग नष्ट हो गई है। शीघ्रता से मरम्मत प्रारम्भ की गई और ६ अगस्त, १९५८ को पूरी कर दी गई।

इस कारण दिल्ली में बिजली २०,०००/२२,००० किलोवाट से घटा कर १५,००० १६००० किलोवाट दी जाने लगी थी। ७ अगस्त, १९५८ को बिजली सामान्य रूप से दी जाने लगी। नंगल से बिजली कम मिलने के बावजूद, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड अपने सारे यूनिटों और विशेष रूप से अलग रखे गये एक संयंत्र को काम में ला कर पूरी बिजली देता रहा।

तारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के उत्तर की शुद्धि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान्, ९ मई, १९५८ को जेल मैनुअल समिति के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के पहिले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दूसरी बातों के साथ साथ यह बताया गया था कि समिति के सदस्यों की दस बैठक हुई थीं। वस्तुस्थिति यह है कि उन की कुल पांच बैठक हुई और प्रत्येक बैठक तीन या चार दिन तक चलती रही है। मैं अब आवश्यक शुद्धि कर रहा हूं।

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ और १३१५ के उत्तर की शुद्धि

†**श्री दातार (शिक्षा मंत्री की ओर से)** : श्रीमान्, डा० श्रीमाली की ओर से मैं नीचे लिखा वक्तव्य दे रहा हूं :—

"मैं ने यह कहा था कि सन् १९५७–५८ में हम ने राज्य सरकारों को गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के शिक्षक नियुक्त करने के लिये मंजूर किये गये कुल खर्च का ६६ प्रतिशत सहायता के रूप में दिया है। वास्तव में उस वर्ष के दौरान में केन्द्रीय सहायता ६० प्रतिशत दी गई थी।"

†मूल अंग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ के उत्तर की शुद्धि

†**श्री दातार (शिक्षा मंत्री की ओर से)** : श्रीमान्, श्रीमाली की ओर से मैं निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं :—

"श्री नवल प्रभाकर द्वारा स्कूलों की इमारतों के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न संख्या १४८६ के अनुपूरक प्रश्न का मैं ने निम्नलिखित उत्तर दिया था :—

"१९५७–५८ में ४६ इमारतें बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। २४ इमारतें स्थायी आधार पर और १५ अन्य इमारतें जिन में बाल-गृह भी शामिल हैं, अभी बन रही हैं।

इस उत्तर का दूसरा वाक्य कृपया इस प्रकार पढ़ा जाये :—

१५ स्थायी इमारतें जिन में बाल गृह भी शामिल हैं और १४ अस्थायी इमारतें बन रही हैं।"

विदेशी मुद्रा-स्थिति संबंधी वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान्, हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति के सम्बन्ध में आपने सभा के समक्ष मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है, इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। हमारी अर्थ व्यवस्था के इस जटिल स्वरूप के बारे में माननीय सदस्यों ने जो रुचि दिखाई है वह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस से हमारे आर्थिक भविष्य का वह पहलू जनता के सामने हमेशा आता रहता है जो उस का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में जिन कारणों से हमारे विदेशी मुद्रा के रक्षित कोष से लगातार बड़ी बड़ी रकम निकाली गई हैं उन पर कुछ समय पहले सभा में अनेकों बार चर्चा हो चुकी है और वे योजना आयोग के उस पत्र में अंशतः ब्यौरेवार दर्शाये गये हैं जो विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि की कमी को बताता है और जो लोक सभा के पटल पर प्रधान मंत्री के द्वारा २० मार्च, १९५८ को रखा गया था।

माननीय सदस्यों को सरकार द्वारा इसकी रोक थाम के लिये की गई कार्यवाही मालूम है; ज्योंहि यह स्पष्ट हुआ कि हमारे भुगतानों की बकाया रकमों से बड़ा घाटा होने वाला है त्योंही विदेशी मुद्रा की नियंत्रण की सारी प्रणाली को पूर्णतः केन्द्रित करने के लिये विदेशी मुद्रा की आय-व्ययक प्रणाली को फिर से चालू करने के लिये और योजना आयोग के परामर्श से मितोपभोग के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिये विदेशी मुद्रा की आवंटन प्रणाली द्वारा आयातों को कम करने के सभी संभव उपाय अपनाने के लिये उचित कार्यवाही की गई। आयातों पर लगाये गये प्रतिरोधों के अतिरिक्त विदेशों को जाने वाले पर्यटकों को विदेशी मुद्रा की सुविधायें पूर्ण रूप से बन्द कर दी गई और नियंत्रित विदेशी मुद्रा केवल व्यापार सम्बन्धी अथवा स्वास्थ्य संबंधी यात्राओं अथवा किसी विशेष शैक्षणिक अथवा प्राविधिक प्रशिक्षण के लिये ही दी गई है। ऐसे प्रतिरोध के साथ ही साथ निर्यात को बढ़ा कर अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये ठोस कार्यवाही करने का अधिक जोर दिया गया है।

इन उपायों का प्रभाव भी पड़ा है। इस विषय पर सभा में १८ मार्च को बोलते हुए प्रधान मंत्री ने इस वर्ष की तिमाही में होने वाले अस्थायी सुधार का उल्लेख किया था परन्तु उन्हों ने सदस्यों को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

यह चेतावनी भी दी कि वे इस से यह नतीजा न निकालें कि हमने स्थिति को बदल दिया है। उन्हों ने यह स्पष्ट किया था कि गर्मी के मौसम में हमारा आयात हमेशा ही कम होता है। इस बात की ओर इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान न देते हुए कि विदेशों में आर्थिक प्रत्यावर्तन की छाया के फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है और हमारे विदेशी बाजार तथा वस्तुओं के दाम कम हो गये हैं, मैं यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि हम १९५८ के पहिले ७ महीनों में प्रति सप्ताह निकाले जाने वाले पौण्ड पावने की औसतन रकम का कम कर के ४.०९ करोड़ रुपये पर ले आये हैं जब कि वह १९५७ में उसी अवधि में प्रति सप्ताह औसतन ७.२ करोड़ रुपये थी।

अप्रैल से जुलाई १९५८ तक की अवधि पर विचार करने पर हमें मालूम हुआ है कि मार्च १९५८ के अन्त में हमारे विदेशी मुद्रा के रक्षित-कोष में ११८ करोड़ रुपयों के सोने के संचय के अतिरिक्त २६७ करोड़ रुपये पौण्ड पावने के रूप में जमा थे। इसमें से जुलाई १९५८ के अन्त तक, इस बात की उपेक्षा करते हुए भी कि अप्रैल १९५८ की शुरुआत में ब्रिटेन की सरकार को अतिरिक्त निवृत्ति वेतन भुगतान करार के अंतर्गत तीन पेशगियों की रकम के २२ करोड़ रुपये देने पड़े हैं, हमारे पौण्ड पावने के रक्षित कोष में १९३ करोड़ रुपयों की कमी हो गई है। इस प्रकार अप्रैल से जुलाई तक के चार महीनों में लगभग ७४ करोड़ रुपयों की कुल कमी हुई है।

ये केवल आंकड़े ही हैं। इनसे क्या अर्थ लगाया जा सकता है और विशेषकर योजना से इनका क्या सम्बन्ध है? इस प्रश्न से कि इनका योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है कि योजना उन पर क्या असर डालेगी। माननीय सदस्यों को यह मालूम ही है कि योजना कोई जड़वत एवं स्थिर स्वरूप की नहीं है। योजना की हमारी भारतीय धारणा यह है कि हम समय समय पर आर्थिक और सामाजिक कारणों तथा विभिन्न क्रियाशील आंतरिक और बाह्य कारणों का संतुलन करने की चेष्टा करते हैं और यह ऐसा करते हुए भी हम इस बात के लिए सजग रहते हैं कि वह गति धीमी न पड़ जाये जो स्वीकृत लक्ष्य तक देश को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पूरी योजना की सदैव समीक्षा होती है और होती रहनी चाहिए। जनवरी सन १९५७ से हम ने जिस प्रतिरोधात्मक प्रणाली को अपनाया है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयां स्वभावतः उत्पन्न हो गई हैं। फिर भी किसी भी तरह सभी ओर से यह प्रयत्न हो रहा है कि हम ने जिसे योजना का महत्वपूर्ण भाग कहा है, उसे पूरा करने में आगे बढ़ें अर्थात उन परियोजनाओं को पूरा करें जो काफी प्रगति कर चुकी हैं और साथ ही साथ उत्पादन के वर्तमान स्तर के अनुसार अर्थव्यवस्था को बनाये रखें। कुछ क्षेत्रों में आयात किये गये माल के मिलने में अनुपाततः कमी हो जाने के कारण आंतरिक मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है परन्तु वह इतनी विकसित नहीं हुई कि उससे चिंता की स्थिति आए। इसके विपरीत मैं यह अनुभव करता हूं कि उन देशी उद्योगों को एक महान प्रोत्साहन मिल गया है जिन्हें आयात माल के स्थान पर अपने माल को उस स्तर तक लाने की मांग की चेतना मिल गई है। आजकल जो माल और वस्तुएं मंगाई जा रही हैं उनको तैयार करने के लिए कारखाने स्थापित करने के हेतु संयंत्रों और औजारों के आयात करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार का आयात आस्थगित भुगतान की शर्त के इस आधार पर होता है कि उनका पैसा संयंत्रों के उत्पादनों की बिक्री से होने वाली बचत से ही चुकाया जायेगा। फिर भी ढील-ढाल के लिए कोई स्थान नहीं है। चालू वर्ष के दौरान में हमारा महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पूंजी वस्तुओं के जो आदेश प्रारम्भ में दिये गये थे उनके कारण बहुत बड़ी बड़ी रकमें चुकायी जानी हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के वायदों को मिला कर इस प्रकार की जो रकम अब तक चुकाई जानी है वह १ अप्रैल १९५८ को लगभग ८८७ करोड़ रुपये होती है और

उसका एक बड़ा भाग पूंजी वस्तुओं के कारण ही हुआ है । इसके अलावा विदेशी मंडियों में प्रत्यावर्त्तन का रुख होने के कारण फिलहाल के कुछ सप्ताहों में हमारे निर्यात में कमी हो गई है ।

योजना आयोग के "द्वितीय पंच वर्षीय योजना; मूल्यांकन तथा भविष्य"[1] पत्र में यह अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल १९५८ से मार्च १९६१ तक की अवधि में हमारे विदेशी मुद्रा के संतुलन-पत्र में लगभग ५०० करोड़ रुपयों का अंतर होगा । इस सम्बन्ध में, चालू योजना के पहिले तीन वर्षों में दिखाई पड़ने वाले असंतोषजनक आयात के रुख को मद्दे नज़र रखते हुए जो सबसे नया अनुमान तैयार किया गया है उसके अनुसार हमें ५६० करोड रुपयों की विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी । यह इस धारणा पर भी आधारित है कि गेहूं और बर्मा से आयात किये जाने वाले चावल के सम्बन्ध में हमारी सामान्य हाट व्यवस्था के अतिरिक्त यदि खाद्यान्न आयात करना आवश्यक हुआ तो वे पी० एल० ४८० की व्यवस्था के अन्तर्गत किये जायेंगे । इस अनुमान का आधार यह है कि वर्तमान वायदों को शामिल करते हुए योजना के महत्वपूर्ण भाग को पूरा करने के लिए ६१९ करोड़ रुपयों के अतिरिक्त खर्च की जरूरत है और इससे अर्थ-व्यवस्था तथा उसकी सुरक्षा बनी रहेगी । यह भी मान लिया गया है कि योजना अवधि के अन्त में पौण्ड पावने का रक्षित कोष २०० करोड़ रुपये हो जायेगा । फिर भी इसका यह मतलब नहीं है कि रक्षित कोष कभी भी २०० करोड़ रुपयों से किसी भी हालत में कम न होगा । वास्तव में आज वह २०० करोड़ रुपयों से कम है परन्तु यह आवश्यक समझा गया है कि हमें अपनी तृतीय पंच वर्षीय योजना कम से कम २०० करोड़ रुपयों के रक्षित कोष से शुरू करनी चाहिए और हमें यदि संभव हो सके तो इतना रक्षित कोष बना ही लेना चाहिए । इसके बाद, जुलाई सन १९५८ में अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा दामोदर घाटी निगम परियोजना के लिए पुनर्निर्माण तथा विकास योजना के अन्तर्गत १२ करोड़ रुपयों का अतिरिक्त ऋण दे दिया गया है

जो अन्तर बाकी है उसे पूरा करने के लिये हम निरंतर प्रयत्नशील हैं । निर्यात बढ़ाने की दिशा में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनका कुछ विस्तृत रूप से उल्लेख किया जा सकता है । सभा को यह बात पहिले से ही मालूम है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने वैदेशिक व्यापार मंडल तथा निर्यात संवर्धन निदेशालय की स्थापना की है जो मंत्रि मंडल के उन निर्देशों को अपनाने में सहायता दे रहे हैं जिनके अनुसार विदेशी मुद्रा की आमदनी पर प्रभाव डालने वाले मामलों को अत्यन्त प्राथमिकता दी जाती है । विदेशों की माग के अनुसार भारतीय उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । कृषि के क्षेत्र में वाणिज्यिक फसलें विशेष रूप से तिलहन की ओर लोगों का ध्यान गया है । ऐसी आशा की जाती है कोयले और कच्ची धातुओं की अधिक मात्रा निर्यात के लिए उपलब्ध हो सकेगी । हमारे नये उद्योगों के उत्पादों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किया जा रहा है । आधारभूत कच्चे माल उदाहरणार्थ लोहा और कोयला की पूर्त्ति की व्यवस्था अधिक प्रभावी कर दी गई है; निर्यात के लिए माल को तैयार करने में आवश्यक निर्मित सहायक उपकरण तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के आयात के लिए मंजूरी तुरन्त दी जाती है और आयात संवर्धन के प्रयत्नों में भाग लेने वाली औद्योगिक इकाइयों की आयात-आवश्यकताओं को अधिमान दिया जाता है । विदेशी मंडियों में उपभोक्ताओं की रुचि और आवश्यकताओं का अध्ययन हो रहा है और माल की किस्म को नियंत्रित करने वाले तरीकों को अपनाने में विशेष ध्यान दिया जा रहा है । परिवहन के क्षेत्र में, रेलवे बोर्ड निर्यात से संबंधित यातायात को बढ़ाने में विशेष रुचि दिखा रहा है और हम यह आशा कर रहे हैं कि इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन सेवायें पारस्परिक हितों का ध्यान रखते हुए हमारी सहायता करेंगी । चीनी उद्योग की चीनी की अतिरिक्त मात्रा को निर्यात करने के लिए सहायता की जा रही है और राज्य व्यापार निगम अपने व्यापार सहयोगियों की

[1] "Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan".

[श्री मोरारजी देसाई]

सहायता से निर्यात संवर्धन के प्रयत्नों को सीमेंट और जूते जैसी वस्तुओं का निर्यात कर बढ़ावा दे रहा है। "निर्यात जोखिम बीमा निगम[1]" ने उन जोखिमों का पूरा कर जो सामान्यतः अन्य बीमा समवायों द्वारा नहीं उठाये जाते, निर्यात करने वालों की सहायता कर एक अच्छा श्रीगणेश किया है।

मैं निस्संदेह यह कह सकता हूं कि देश की निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो उपाये किये जा रहे हैं अथवा जिन उपायों को अपनाने का विचार है वे उसमें सहायक होंगे। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रत्यावर्तन और निर्यात के दृष्टिकोण में अन्धकार को देखते हुये चालू वर्ष में अपनी निर्यात की आमदनी में महत्वपूर्ण विकास करने के कार्य में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

जानकारी के उचित एवं पूर्ण आदान प्रदान और अन्तर्राष्ट्रीय संथाओं तथा बद्धहित विदेशी सरकारों से पत्र-व्यवहार में शीघ्रता करने की दृष्टि से हम ने आर्थिक कार्य विभाग के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर विदेशों में अपना आर्थिक प्रतिनिधित्व दृढ़ करने का निश्चय किया है। यह अधिकारी वाशिंगटन में रहेगा और संयुक्त राज्य में हमारे आर्थिक मंत्री के कार्यों को बढ़ाता रहेगा।

मुझे सभा को यह सूचित करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक कर्ज जो हम लेते हैं, निस्संदेह फिलहाल तथा भविष्य में हमारे विकास की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है परन्तु फिर भी वह एक दीर्घकालीन दायित्व है विशेषकर इस दृष्टि से कि उसका भुगतान विदेशी मुद्रा में होगा। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम विदेशी सहायता अथवा ऋण प्राप्त करने में जो भी सफलता पा रहे हैं उससे हमारी यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अपने आर्थिक मामलों और वित्त की ऐसी व्यवस्था करें जिससे हम अपनी ऋण लेने की साख को बनाये रखें और उसे बढ़ाते रहें। १-४-१९५८ को जो स्थिति है, उसके अनुसार हमारा विदेशी मुद्रा का दायित्व जो कि पहिले ही काफी कम हो गया है लगभग ७५० करोड़ रुपये होता है, जिसमें से ११० करोड़ रुपये द्वितीय पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में, ३४० करोड़ तृतीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में और शेष राशि उसके बाद की अवधि में देय होगा। भविष्य में इन ऋणों का सदुपयोग हमारे संसाधनों का पहिला प्रभार होगा; वास्तव में यह एक गंभीर कार्य है परन्तु यदि हम इन ऋणों को और अन्य संसाधनों को सुरक्षित रखें तथा उन्हें अत्याधिक उत्पादन के साधनों में लगाते रहें, तो यह कार्य असंभव नहीं है। वास्तव में यह कार्य उस देश और उस जनता के लिए संभव नहीं है जो सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग को केवल एक आकस्मिक गुण न समझ कर जीवन का ही एक सिद्धांत समझती है।

समिति के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय सेनाछात्र निकाय को केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन।

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा संशोधित राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उप-धारा (१) के खण्ड

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] The Export Risks Insurance Corporation.

(१) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय सेनाछात्र निकाय की केन्द्रीय सलाहकार समिति में उपरोक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय सेनाछात्र निकाय सम्बन्धी नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन निर्वाचन की तिथियों से एक वर्ष की अवधि के लिये सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक*

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक हित में चीनी के निर्यात का तथा भारत में पैदा की गई चीनी पर विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने तथा वसूल करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि लोक हित में चीनी के निर्यात का तथा भारत में पैदा की गई चीनी पर विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने तथा वसूल करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अ० म० थामस** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं††

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश, १९५८ के संम्बन्ध में वक्तव्य

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१(१) के अन्तर्गत चीनी निर्यात संवधन अध्यादेश, १९५८ द्वारा तुरंत विधान बनाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य पटल पर रखता हूं।

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प
तथा
खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्क) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश १९५८ को नामंजूर करने के बारे में श्री नौशीर भरूचा के संकल्प पर और खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्क) विधेयक १९५८ पर चर्चा आरम्भ करेगी। इस प्रयोजन के लिए चार घंटे का समय निश्चित किया गया है।

---

*भारत के असाधारण गजट तारीख १३-८-५८ के भाग दो अनुभाग २ में प्रकाशित।

†मूल अंग्रेजी में

††राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित हुआ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्वी खानदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा ३० जून, १९५८ को प्रख्यापित खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश, १९५८ (१९५८ का अध्यादेश संख्या ६) को नामंजूर करती है।"

मैं सभा का ध्यान इस प्रथा की ओर दिलाना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण तथा अर्थ सम्बन्धी मामलों पर भी अध्यादेश निकाल दिये जाते हैं जिसे सभा को बाद में स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। यह सरकार को निन्दा करने के समान है। यदि अध्यादेश जारी करने के स्थान में सभा में कोई सामान्य विधेयक प्रस्तुत किया जाता तो अन्धेर न हो जाता।

पैट्रोलियम उत्पादों का प्रश्न प्रतिरक्षा, उद्योगों तथा देश की विकासशील अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में ५५ लाख टन पैट्रोलियम उत्पादों की जिसका मूल्य ९५ करोड़ रुपये के लगभग है खपत होती है। वस्तुतः हमें २० मई को, पैट्रोल कम्पनियों के साथ किये गये समझौते के सम्बन्ध में उक्त बातों को ध्यान में रख कर सोचना है।

निसंदेह देश में तेल की खोज करने के सम्बन्ध में हम सरकारी नीति से सहमत हैं। साथ ही हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम इन तेल समवायों से वार्ता करें वस्तुतः इसी वार्ता के परिणामस्वरूप २० मई को समझौता किया गया। अध्यादेश पर विचार करते समय हमें इन बातों पर गौर करना है।

मोटर-गाड़ियों के तेलों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क का परिणाम जानने के लिये आपको पहिले इसकी खपत के तरीकों को जानना चाहिये हमारे यहां तेल की खपत ५५ लाख टन प्रति वर्ष है। हमारे देश की चार शोधनशालायें ४० लाख टन तेल का उत्पादन करती हैं। हमें अपनी तीन शोधनशालाओं के लिये अशोधित तेल मंगाना होता है। हमारे देश में तेल की खपत प्रति वर्ष ९ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है।

इन उत्पादों के सम्बन्ध में हमारी परावलम्बता के कारण हमारे विदेशी विनिमय तथा उपभोक्ताओं पर बहुत भार पड़ता है। तथापि कोई नहीं जानता है कि पैट्रोलियम उत्पादों की कीमत किस आधार पर निश्चित की जाती है। कहा जाता है कि यह वेल्यूड स्टाक एकाउन्ट (कुल सामग्री के मूल्य का हिसाब लगाने) प्रक्रिया के अनुसार निकाली जाती है। तथापि इस प्रक्रिया को केवल तेल कम्पनियां ही जानती हैं। हमें उनके हिसाब किताब देखने की अनुमति भी नहीं थी। मुझे संदेह है कि २० मई १९५८ में हुए समझौते के अनुसार भी हम उनका हिसाब देखने में समर्थ होंगे। इन लेखाओं का लेखा परीक्षण भी कम्पनियों के ही लेखा परीक्षक करते हैं। जहां तक देश की आवश्यकता का सम्बन्ध है देश में ५½ लाख टन तेल की खपत होती है, जिसका मूल्य ९५ करोड़ रुपये के बराबर होता है। तथापि उपभोक्ताओं से १९० करोड़ रुपये लिये जाते हैं। इसमें से ४५ करोड़ रुपये आयकर इत्यादि के रूप में लिये जाते हैं तो भी ५० करोड़ रुपये का अधिक भाग इन कम्पनियों को लाभ के रूप में मिलता है।

दुख का विषय तो यह है कि एक भारतीय उपभोक्ता मिट्टी के तेल और पैट्रोलियम उत्पादों के लिये जो कीमत देता है वह उसके उत्पादन पर निर्भर नहीं होती है बल्कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मूल्य समतुल्यता को ध्यान में रख कर निश्चित की जाती है। इस प्रकार हम आवश्यकता से अधिक मूल्य चुका रहे हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय समतुल्यता मूल्य निश्चित करने पर भी भारत के साथ पक्षपात किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में प्रति गैलन मोटर स्प्रिट की कीमत भारत से एक आना और हवाई जहाज के तेल की कीमत भारत से साढ़े दस आना सस्ती है। इससे करोड़ों रुपयों का अन्तर हो जाता है। २० मई १९५८ को किये गये समझौते के सम्बन्ध में तेल समवाय तथा सरकार दोनों ही गोपनीयता बरत रहे हैं। समझौते की प्रतिलिपि मुझे अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

समझौते के अनुसार भारत में उपभोग किये जाने वाले पैट्रोलियम पदार्थों की कीमत में १० प्रति शत की कमी की गई। इससे तैल कम्पनियों के लाभ में १० करोड़ रुपये की कमी हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि वेल्यूड स्टाक एकाउन्ट सूत्र हटा दिया गया और अब हमारे लागत लेखापाल लेखाओं का परीक्षण कर सकेंगे।

वस्तुतः उक्त १० करोड़ का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिला बल्कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगा कर सरकार द्वारा ले लिया गया। समझौते के सम्बन्ध में यह निर्णय करना कठिन है कि इससे सरकार को लाभ हुआ है या यह केवल झूठा दिखावा है। यह इस बात पर भी निश्चय करेगा कि हमारे लागत लेखापाल कहां तक उनके हिसाब किताबों को देखने का अधिकार रखते हैं। मैं तेल समवायों को उनका उचित लाभ देने के पक्ष में हूं तथापि उपभोक्ताओं से जो अत्यधिक कीमत वसूल की जा रही है वह अनुचित है।

सरकार ने हमें यह नहीं बताया है कि वेल्यूड स्टाक एकाउन्ट सूत्र के स्थान पर किस सूत्र का प्रयोग किया जायेगा। सरकार इस विषय में गोपनीयता की नीति अपना रही है और उपभोक्ताओं के हितों का विचार नहीं कर रही है। मेरा सुझाव है कि कीमत सम्बन्धी नीतियों का निर्णय करते समय उपभोक्ताओं के हितों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

अधिसूचना के अनुसार मिट्टी के तेल पर १२ नये पैसे, मोटर स्प्रिट पर २५ नये पैसे, शोधित डीज़ल तेल पर १५ नये पैसे, ऐसा तेल जो स्पष्ट रूप से विहित न हो उस पर २० रु० प्रति टन अधिकतम शुल्क लग सकता है इस सम्बन्ध में अधिसूचना के अनुसार प्रति गैलन मिट्टी तेल पर ६ नये पैसे और प्रति गैलन मोटर स्प्रिट पर १४ नये पैसे शुल्क लगाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यदि भविष्य में तेल के मूल्यों पर कमी होगी तो सरकार उस लाभ को भी उपभोक्ताओं को न देकर हड़प सकती है।

बम्बई में प्रति गैलन पैट्रोल की कीमत २.९५ रुपये है और उसमें से १.७६ रुपये शुल्क या कर के रूप में सरकार को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता को ६० प्रतिशत से अधिक करों के रूप में देना होता है।

उदाहरणार्थ मैं बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रान्सपोर्ट को लेता हूं। यह कम्पनी प्रति दिन ६००० गैलन पैट्रोल की खपत करती है। कीमतों की कमी से ऐसे समवाय को लाखों रुपयों का लाभ हो सकता था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटर स्प्रिट का उत्पादन हमारे देश में खपत से अधिक होता है। अतः उस पर १४ नये पैसे शुल्क लगा देने से उसकी खपत और कम हो जाने की संभावना होगी। वस्तुतः हमें उसकी खपत बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। इस सम्बन्ध में एक बात यह भी ध्यान रखने योग्य है ७३ प्रतिशत मोटर स्प्रिट का उपभोग सार्वजनिक वाहनों द्वारा तथा २३ प्रतिशत का उपयोग निजी वाहनों द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में इस १० करोड़ की कमी का लाभ क्या उन सैकड़ों परिवहन समवायों को नहीं मिलता जो अपनी मोटर गाड़ियां चलाती हैं। तब यह कहना कि लाभ की मात्रा अल्प है उसे उपभोक्ताओं के देने

[श्री नौशीर भरूचा]

से कोई अन्तर नहीं होता एक लचर दलील है। तथापि उपभोक्ताओं के हित में यह कमी नहीं की गई है यही मेरी इस अध्यादेश पर प्रमुख आपत्ति है। इस सम्बन्ध में यह दलील दी गई है कि सैर सपाटे के लिये मोटर स्प्रिट का दुरुपयोग किया जाता है वस्तुतः इस प्रयोजन के लिये ७ प्रतिशत से भी कम मोटर स्प्रिट व्यय किया जाता है।

उपभोक्ताओं को कीमतों की कमी के लाभ से वंचित करने के विरोध में मैं अकेला ही नहीं हूं, अपितु भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने भी जिनमें से कई कांग्रेसी नीति के समर्थक हैं, सरकार की कमी से होने वाले लाभ के ऊपर ही ऊपर हड़प लेने की नीति का विरोध किया है। उनमें हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड, स्टेटसमैन, हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस आदि प्रमुख हैं। एक भी पत्र ने सरकार को इस नीति को प्रशंसा नहीं की है। इन समाचार पत्रों से जनता को भावनाओं का भली प्रकार पता चलता है।

हम सरकार के इन प्रयत्नों का समर्थन करते हैं कि पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम करने का भरसक प्रयत्न किया जाय। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि जनता तथा सभा को तत्सम्बन्धी स्थिति से अवगत रखा जाय। मेरा निवेदन है कि ये शुल्क बिल्कुल हटा लिये जाएं और कीमतों में कमी का लाभ जनता को प्राप्त हो अतः इस अध्यादेश को पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ। माननीय मंत्री विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कुछ खनिज तेलों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क लगाने और वसूल करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य ३० जून १९५८ को प्रख्यापित उस अध्यादेश का स्थान लेना है जो कुछ खनिज तेलों पर २० मई १९५८ से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क लगाने के लिये प्रख्यापित किया गया था।

सरकार पिछले कुछ समय से भारत में पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण करने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों से मूल्यों को कम करने के लिये बातचीत कर रही थी। इसके परिणाम-स्वरूप कम्पनियां २० मई १९५८ से कुछ किस्म के पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें घटाने में सहमत हो गई। विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों पर भिन्न भिन्न दर से कमी की गई है उदाहरण स्वरूप हवाई जहाज में काम आने वाले तेल में १५ न० पै० प्रति गैलन कमी हुई है तो मिट्टी तेल में ६ न० पै० प्रति गैलन कमी की गई है।

ये कमी अस्थायी रूप से हुई है। कम्पनियों ने अपने लागत लेखों की परीक्षा करने की अनमति दे दी है। इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप इस सम्बन्ध में पुनः वार्ता होगी तथा तत्पश्चात् अन्तिम रूप से निश्चय किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

निसंदेह जैसा श्री भरूचा ने कहा है इस कमी का लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिये था। तथापि ऐसा न करने के कई कारण थे। पहिला, इस कमी के अस्थायी होने के कारण यदि लागत लेखा परीक्षा के फलस्वरूप यदि किसी मद में कीमत बढ़ गई तो अधिक भुगतान की वापसी का कोई साधन नहीं रहेगा। दूसरी कीमतों में कमी इस परिमाण में नहीं हुई है कि बिक्री दरों पर उसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव हो। उदाहरण स्वरूप मिट्टी के तेल में १ नये पैसे प्रति बोतल की कमी हुई जिसका बिक्री कीमतों पर नाममात्र का प्रभाव होता। विशेषतः मिट्टी का तेल उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने से पूर्व कई दलालों और व्यापारियों के हाथों से गुजरता है जिससे उपभोक्ता को कोई लाभ प्राप्त न होगा विशेषतः जब उसे तेल के वर्तमान मूल्य की आदत हो चुकी है।

कम्पनियों के साथ ऐसी व्यवस्था करने में कि कीमतों में हुई कमी सरकार को हस्तांतरित हो जाय, विधि सम्बन्धी जटिलतायें पैदा हो सकती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि यह राशि कर के रूप में दी जा रही है अतः इसका वैध समर्थन होना चाहिये। अतः इस राशि को सीमा तथा उत्पादन शुल्क के नाम से एकत्र करने का प्रयत्न किया गया। वार्ता के समय यह भी निश्चित हुआ है कि लागत लेखा परीक्षकों द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् कीमतों की इन कमियों पर पुनः विचार किया जायेगा। इसलिये प्रक्रिया सम्बन्धी तथा अन्य परिवर्तन भी लागत लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन आने तक स्थगित कर दिये गये। कीमतों की यह कमी २० मई १९५८ से लागू होनी थी अतः सरकार को इस कमी के लाभ से अधिक समय तक वंचित करना ठीक नहीं समझा गया, क्योंकि उस समय संसद की बैठक नहीं हो रही थी अतः अध्यादेश जारी करना आवश्यक समझा गया। तदनुसार ३० जून १९५८ को अध्यादेश जारी कर दिया गया।

२० मई १९५८ और अध्यादेश प्रख्यापित करने की तारीख के बीच की अवधि के लिये प्रशासनिक कारणों के संयोजन (कम्पाउंडिंग) की विधि द्वारा कुछ परिवर्तन करने आवश्यक समझे गये। क्योंकि उस अवधि के दौरान बिके हुए उत्पादों पर से उत्पादन या सीमा शुल्क सीधे लेना जटिलताओं से खाली नहीं था। अतः अध्यादेश व विधेयक में इसका उपबन्ध किया गया। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की अधिकतम दर भी, प्रशासनिक कारणों से विहित कर दी गई हैं जिससे बिना संसद की अनुमति के ही कीमतों के सम्बन्ध में छोटे मोटे परिवर्तन हो सकें। कीमतों में हुई कमी के लाभ का निराकरण करने के लिये शुल्क की दरों को विधेयक के खंड ३ के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा निश्चय किया जायेगा। विधेयक का खंड ३ अध्यादेश के खंड ३ का स्थान लेगा। मिट्टी तेल को छोड़कर विधेयक तथा अध्यादेश से प्रभावित होने वाले सभी प्रकार के तेलों पर प्रशुल्क अधिनियम में वर्तमान उत्पादन शुल्क की दर से प्रति प्रभावी शुल्क लगाने की व्यवस्था, इस बात का पर्याप्त प्राधिकार प्रदान करती है कि विधेयक के द्वारा लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के समान सीमा शुल्क लगाया जा सकता है। मिट्टी तेल पर अतिरिक्त प्रति प्रभावी सीमा शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के लिये विधेयक में विशेष व्यवस्था की गई है। इस समय, कीमतों में कमी के समान ही शुल्क लगाया गया है। प्रशासनिक कारणों से हवाई जहाज के स्प्रिट इत्यादि की दरों में इस प्रकार परिवर्तन किये जा रहे हैं कि वे मिट्टी तेल और मोटर स्प्रिट के समान हो। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि इन शुल्कों से राजकोष को कितनी आय होगी। लागत लेखापाल के प्रतिवेदन के अनुसार कुछ संभावित परिवर्तन होने के कारण इस का सही अनुमान लगाना कठिन है तथापि यदि इन दरों में अधिक परिवर्तन न हुआ तो हमें एक वर्ष में ८ से ९ करोड़ का लाभ होगा। चालू वर्ष में हमें ६½ से ७½ करोड़ की आय होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । अब संकल्प और प्रस्ताव दोनों पर एक साथ चर्चा की जा सकती है ।

†**श्री मी० रू० मसानी** (रांची----पूर्व) : मैं श्री नोशीर भरूचा के संकल्प का समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो युक्तियां प्रस्तुत की हैं, वे कुछ उचित प्रतीत नहीं होतीं और न ही उन से मामला स्पष्ट होता है । उसके मुकाबले में श्री भरूचा ने बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करके अपना मामला पुष्ट किया है । इससे केवल यही होगा कि ८, ९ अथवा १० करोड़ रुपये के लगभग राशि सरकारी कोष में आ जायेगी । वास्तव में इस राशि पर उन लोगों का अधिकार है जो कि इतने वर्षों तक इतना बड़ा मूल्य चुकाते रहे हैं ।

विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में योजना के लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गयी है । मेरा मत यह है कि तेल पर लगाये गये शुल्क से उपलब्ध राजस्व का प्रयोग सड़कों और सड़क परिवहन के विकास पर किया जाना चाहिए । इसका विकास धन के अभाव के कारण काफी देर से रुका हुआ है ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

यह भी अच्छी ही बात है कि इस राशि को सरकार के तत्वावधान में तेल खोजने के कार्य में तेजी लाने के लिये खर्च करने का विचार भी छोड़ दिया गया है । इसका वर्तमान और भविष्य के विदेशी विनियोजकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता । इसका अर्थ यह होता कि देश के वर्तमान विनियोजकों से तेल की कीमत कम करके धन छीन लिया गया है ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** यह धन तो उपभोक्ताओं का है ।

†**श्री मी० रू० मसानी :** यदि इससे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचता तो मैं सरकार को मुबारकबाद देता, परन्तु यदि इस धन का प्रयोग सरकारी तत्वावधान में तेल खोजने पर किया गया तो इसका अर्थ यही होगा कि गैर सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है । माननीय मंत्री इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि तेल समवाय बहुत सा धन पुनः इसी देश में ही विनियोजित कर देते हैं । उन लोगों से इस सुविधा को छीनना सराहनीय बात नहीं कही जा सकती । मेरी इच्छा है कि वित्त मंत्री महोदय की विदेश यात्रा सफल हो परन्तु इस प्रकार की बातों से कार्य सरल नहीं होगा । जो बातें श्री भरूचा ने कही हैं उनके अतिरिक्त यह भी एक कारण है जिसके लिये कि हमें ऐसे सौदे करने के सम्बन्ध में सचेत रहना चाहिए ।

अन्त में, मेरा यही कहना है कि वित्तीय ढंग के मामलों में अध्यादेश जारी करना ठीक नहीं । यह लोकतंत्रीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं । अध्यादेशों का प्रयोग विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में ही होता है । यह भी अच्छा नहीं कि संसद के प्रत्येक सत्र में हमें सरकार की इस प्रकार की कार्यवाहियों के प्रति अपना विरोध प्रकट करना पड़े । इसलिए मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : श्री नोशीर भरूचा के संकल्प का सार यही है कि जो लाभ हमें तेल समवायों से प्राप्त करते हैं वह वापस किसी भी रूप में उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं होना । श्री मसानी के कथन से हमें इस बात पर और अधिक विश्वास हो गया है कि यह बात सत्यता पर आधारित है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रारम्भिक आपत्ति, इस सम्बन्ध में यह है कि ऐसा करना लोकतंत्रीय सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। सदन के सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अध्यादेशों द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। मेरा मत यह है कि इस मामले में यह बात गलत सिद्ध होती है। अध्यादेश लागू करके राष्ट्रपति ने यही बात की है, जिसके सम्बन्ध में कि हम गत दो सत्रों से शोर करते चले आ रहे हैं। इससे जनता के हितों को कोई हानि नहीं पहुंचती। जहां तक तेल के समन्वेषण का सम्बन्ध है, मेरा मत तो यही है कि जो कुछ तेल समवायों से हमें उपलब्ध हो उसे इस पर लगाया जाना चाहिए और इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि इससे विदेशी विनियोजक नाराज हो जायेंगे। आखिर तेल जैसी वस्तु में हमें आत्म निर्भर होना है और अपने देश के हित का ध्यान रखना है। हमारी योजना और उद्योगों के लिए भी तो तेल एक आवश्यक वस्तु है। यदि केवल इसी बात के कारण ही वित्त मंत्री महोदय कुछ सीमा तक असफल रहेंगे तो भी मुझे इसमें भलाई ही दिखाई देती है। यह तो हमारे अधिकार का प्रश्न है।

इसमें सारी बात यह है कि ग़ैर सरकारी क्षेत्र के स्थान पर सरकार ही सारे लाभ को प्राप्त कर लेगी। यह तो सभी मानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए सभी उपभोक्ताओं को कुछ बलिदान करना होगा। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इस धन को तेल को खोजने के लिए खर्च किया जाय।

दूसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस सम्बन्ध में मैंने गत दो सत्रों में कहा भी था कि इन समवायों के लेखे जोखे की ठीक ढंग से पड़ताल नहीं की जा सकती, क्योंकि इन लोगों के वास्तविक खाते तो लन्दन में हैं। इसलिए कीमतों का हिसाब लगा कर लाभ का निर्णय करना नितान्त असम्भव है। इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ आंकड़े भी उपलब्ध हुए थे। कुछ रिपोर्टें भी हुई थी और १९५६ के वर्ष में भारत सरकार से कुछ सिफारिशें भी की गयी थीं। सब से महत्व-पूर्ण सिफारिश यह थी कि इन तेल समवायों को अपनी लेखा प्रणाली को समाप्त करने के लिए छः मास का समय दिया जाय। आज के हालात के अनुसार हम इन समवायों से कम से कम २५ से ३५ करोड़ तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि गत सत्र में हम ने यह ८, ९ करोड़ रुपये के लाभ की ही बात स्वीकार कर ली। इससे हमें ५० करोड़ की हानि हुई। पता नहीं सरकार को क्यों तेल समवायों के आगे आत्म समर्पण करना पड़ा? इसका कोई कारण नज़र नहीं आता। और उस अवस्था में जब कि सारा देश इस मामले में सरकार के साथ था। सरकार को इसका उत्तर देना ही होगा। ८ अथवा ९ करोड़ रुपये वाला करार किस आधार पर तेल समवायों से किया गया? आज तो मध्य पूर्व के छोटे छोटे देश भी इन तेल समवायों से छुटकारा हासिल करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या हमारे महान गणराज्य की सरकार इन तेल समवायों के उत्पादन का उचित मूल्य निर्धारित न कर सकी, ताकि उन्हें केवल समुचित मुनाफा ही प्राप्त हो सके? ईरान, सऊदी अरब इत्यादि देशों में सरकार पूरी छानबीन करके मुकाबले से अपना हिस्सा प्राप्त कर लेती है। हमारी सरकार ऐसा करने में असमर्थ रही है।

मेरा कहना यह है, कि करार हो जाने अथवा इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् बातचीत का द्वार बन्द नहीं होना चाहिए। हमें इन समवायों से अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। यह समवाय काफी धन कमाते हैं और इस कारण इनकी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी दिशाओं की ओर भी जाने लगती हैं। सरकार यह तो कह देती है कि वह ८ अथवा ९ करोड़ रुपये से सन्तुष्ट है, परन्तु तेल उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की अवस्था की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर इन समवायों को भारतीय अर्थ व्यवस्था से अन्याय नहीं करना चाहिए। मध्यपूर्व के देशों में हम ने देखा है कि

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

यह तेल समवाय अपने कानून स्वयं ही लागू कर लेती है। निस्सन्देह हमें विदेशी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहन देना चाहिए परन्तु यह विनियोग हमारी प्रभुसत्ता को समाप्त करने वाला नहीं होना चाहिए। सरकार को पता है कि ये समवाय अपने कर्मचारियों से किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, परन्तु सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इन कर्मचारियों क अखिल भारतीय संघ की ओर से जब कुछ मांगें प्रस्तुत की गयी तो समवायों ने संघ को मान्यता देने से ही इंकार कर दिया हालांकि वह ७५ प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। मैंने स्वयं श्रम मंत्री महोदय से मिल कर यह कहा था कि इन कर्मचारियों का मामला राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सुपुर्द किया जाये। इस प्रकार इन लोगों के प्रति हो रहे अन्याय का कोई हल निकल सकता था। ये समवाय इससे बचने का प्रयत्न करते रहे हैं। मुनाफा तो उनको काफी होता ही है, लेकिन ये मामले को इधर-उधर अदालतों में उलझाने का प्रयत्न करते रहे हैं। तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि मंत्रालय को पट्रोलियम संघ की मांगों को स्वीकार कर इन कर्मचारियों के मामले को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सुपुर्द करना चाहिए। सरकार तो प्रसन्न है कि उन्हें ८, ९ करोड़ रुपये प्राप्त हो गये, परन्तु कर्मचारियों की छंटनी आरम्भ कर दी गयी है।

श्रम मंत्रालय ने यह बताने पर भी कि उन्होंने कई प्रकार के नियमों को भंग किया है, मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। इसके विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए ५ सितम्बर को हड़ताल की जा रही है। परन्तु मैं आशा करता हूं कि इस तिथि से पूर्व ही सरकार इन कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को अनुभव करके मामले में समुचित हस्तक्षेप करेगी, ताकि मूल्यों की कमी के साथ कर्मचारियों की भी रक्षा हो सके।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : मैं श्री नौशीर भरूचा के संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह तेल समवाय बहुत भारी मुनाफा कमाते हैं और इस प्रकार बड़ी भारी रकम देश से बाहर चली जाती हैं, परन्तु सरकार ने इस दिशा में मूल्य कम करने के सम्बन्ध में कोई विशेष पग नहीं उठाया है।

जहां तक अध्यादेशों का सम्बन्ध है उन्हें राष्ट्रपति महोदय को सरकार की सिफारिश पर किसी ऐसे अवसर पर ही लागू करना चाहिए जब कि राष्ट्र अथवा समाज के समक्ष कोई बहुत बड़ा संकट हो। अध्यादेशों को लागू करने की परम्परा भी यही है। परन्तु वित्तीय मामलों में अध्यादेश जारी करने की बात मेरी समझ से बाहर है। इसे लोकतंत्रीय प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। और इस प्रकार की परम्परा भविष्य में भी हमारे लोकतंत्रीय विकास में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। पदासीन दल की स्थिति भी इससे काफी बिगड़ेगी। सदन के परामर्श बिना कर लगाते जाने का परिणाम अन्त में अच्छा नहीं हो सकता, चाहे आपको बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अध्यादेश लागू करने से सदन के उचित अधिकारों का अपवंचन होता है। और किसी कर को लगाने से पूर्व तो उस पर अच्छी प्रकार से चर्चा हो ही जानी चाहिए। परन्तु अध्यादेश से तो हम सब कठपुतलियां ही बन के रह गये हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इन अध्यादेशों को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

आजकल प्रति दिन कोई न कोई कर लगाया जाता है, और लोग बड़े परेशान हैं। कब कुछ सुविधा होगी, ऐसा समय कुछ दूर ही दिखाई देता है। करों के साथ मुद्रास्फीति भी तेजी पर है। लोग शिकायत करते हैं, सरकार भी उसका औचित्य स्वीकार करती है। यह तेल और पट्रोल तो कोई विलास की वस्तु नहीं, परन्तु इस पर आरम्भ से ही कर लगाया जाता है। श्री भरूचा ने बताया है कि किस प्रकार खनिज तेलों की कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने बताया है कि ६० प्रतिशत से अधिक तो सरकार करों के रूप में ले जाती है और ४० प्रतिशत समवायों के कोष में चला जाता है। तेल जैसी आवश्यक वस्तु की तो सरकार को प्रारम्भिक कीमत निर्धारित कर देनी चाहिए। और मेरे सुझाव का सरकार द्वारा पूरी तरह परीक्षण करना चाहिए। इससे जनता को भी कुछ सुविधा होगी और सरकार को भी काफी राजस्व प्राप्त होगा। किसी भी अवस्था में हो तेल की कीमतें अवश्य नीचे आनी चाहिए और उपभोक्ताओं को अवश्य कुछ लाभ मिलना चाहिए। मोटर के तेल में यदि १० प्रतिशत की कमी हो जाय तो यह एक अच्छी सुविधा होगी क्योंकि आजकल मोटर यात्रा विलास न रह कर जीवन का एक आवश्यक अंग बन गई है। और इस दृष्टि से मोटर का तेल बड़ी आवश्यक वस्तु है। चार आने की सुविधा मिलने पर भी लोग काफी प्रभावित होंगे।

जनता को सुविधा देने और पट्रोल की बिक्री की वृद्धि करने के विचार से ही समवायों ने कीमतें कम करना स्वीकार कर लिया। यह भी बताया गया कि मोटर का तेल काफी मात्रा में नहीं बिक सका। कीमतें कम हो जाने पर लोगों को भी लाभ होगा और समवायों की बिक्री भी अधिक होगी। यदि ऐसा न हुआ तो वे कीमतों को कम करने से इन्कार कर देंगे। इससे लोगों को और कठिनाई हो जायेगी।

स्फीति के काल में कराधान द्वारा राजस्व बढ़ाने का प्रयत्न ठीक नहीं है, यद्यपि यह सब योजना के नाम पर किया जा रहा है। श्री कृष्णमाचारी ने भी अपने बजट में योजना के नाम पर ८० करोड़ रुपये अधिक प्राप्त कर लिए, परन्तु वह सब और और दिशाओं में ही खर्च हो गया, योजना अछूती ही रह गयी और अब कई प्रकार की स्थायी कमियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री ने भी अपना यह प्रथम निशाना छोड़ा है। अभी पता नहीं कितने कर और आयेंगे। सारा वातावरण करों से ओतं प्रोत है, सर्वत्र निराशा दिखाई दे रही है। इसका मुकाबला किया जाना चाहिए, इसलिए मैं श्री नोशीर भरूचा के संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री के० दे० मालवीय : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं विवाद में हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बातचीत और कीमतों की कमी के सारे मामले का स्पष्टीकरण कर दूं ताकि विरोधी पक्ष द्वारा व्यक्त किये दो प्रकार के विचारों से, जो भ्रम उत्पन्न हुआ है वह दूर हो जाय। एक प्रकार के विचार रखने वालों ने तो सरकार के मत का समर्थन किया है और दूसरों का कहना है कि यह राशि उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए। अध्यादेश के औचित्य के अन्य महत्वपूर्ण अंगों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक इसके संवैधानिक अथवा कानूनी पहलू का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि उस पर मेरे वरिष्ठ साथी वित्त मंत्री महोदय अच्छी प्रकार प्रकाश डालेंगे।

सरकार द्वारा की गई इन कटौतियों के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य क्या है ? सब से प्रथम तो यह कि यह तदर्थ प्रबन्ध था। सदन को इस बात का पता ही होगा कि इस्पात, खान और ईंधन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

मंत्रालय इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि पट्रोल उत्पादों के मूल्यों में कमी करवाई जाये। उनका यह विश्वास था कि इस समय कीमतों की जो स्थिति है वह बहुत ही ऊंची है। तेल समवायों से वार्ता के फलस्वरूप, वितरण समवायों ने कृपा करके विभिन्न प्रकार के उत्पादों के दाम कुछ हद तक कम कर दिये। इस सम्बन्ध में एक विशेष तिथि पर करार हो गया (यह दिन २० मई था)। स्पष्ट है कि उसी प्रकार धन सरकारी कोष में आ जाना चाहिए था। परन्तु सदन को पता है कि इसे संवैधानिक ढंग से किया जाना था। यह किसी संस्था की ओर से उपहार रूप में तो सरकार को दिया नहीं गया था। यदि ऐसा होता भी तो भी अन्य पक्ष में अवश्य कुछ गड़बड़ी होती। इसलिए मैं यह अनुभव करता हूं कि अध्यादेश का लागू किया जाना बड़ा आवश्यक था, क्योंकि यह वितरण समवायों के परस्पर सहयोग का प्रश्न था और उन्होंने कीमतों में कटौती करना स्वीकार कर लिया था।

जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि यह अन्तरिम और तदर्थ व्यवस्था थी। मूल्य परीक्षण अभी भी चल रहा है और इसके पूर्ण होने पर इसका पुनः समायोजन करना होगा। यदि परीक्षण के पश्चात् यह पता चलेगा कि करार के फलस्वरूप हमारा उनकी ओर कुछ निकलता है तो उस दृष्टिकोण से पुनः स्थिति का परीक्षण किया जायेगा। अतः इस मामले की अभी से समालोचना आरम्भ कर देना उचित नहीं।

मेरे माननीम मित्र श्री मेनन का कहना है कि इन तेल वितरण करने वाले समवायों का मुनाफा ५० करोड़ रुपये है। यदि छानबीन करने पर यह बात ठीक सिद्ध हो जाय तो मुझे इस पर खेद नहीं होगा क्योंकि स्पष्ट ही है कि इससे हमें और अधिक अंश प्राप्त होगा। परन्तु मेरा विचार नहीं कि मुनाफा इतना होगा। हो सकता है कि कुछ अधिक हो परन्तु इस सम्बन्ध में पक्षों के परस्पर समझौते से ही कुछ तय करना होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि समवाय इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राशि की कमी की बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर की जा रही है। मूल्यों को कम करने का यह समझौता भारत सरकार और तेल वितरण करने वाले समवायों के बीच ही हुआ है। इसका पट्रोल उत्पादन के लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं। इस देश में उपयोग किये जाने वाले पट्रोल उत्पादों का मूल्य लगभग २०० करोड़ रुपया है। और इसका भी लगभग ५० प्रतिशत लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्यों में चला जाता है। इसमें केन्द्रीय और राज्यों के कर उत्पादन शुल्क, लाभ तथा वितरण का खर्चा भी सम्मिलित है। अब सरकार तथा तेल वितरण करने वाले समवायों को यह निर्णय करना है कि वितरण का खर्चा क्या है, लाभ क्या है और अन्य क्या कारण हैं जिससे वितरण का खर्चा १०० करोड़ तक हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा है कि इस सारी चीज का परीक्षण किया जा रहा है। मान लीजिये कि इस सौ करोड़ रुपये का ६० प्रतिशत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास करों के रूप में चला जाता है। बाकी ४० करोड़ बचता है जिसका कि आगे परीक्षण करना है। अतः यह कहना कि १० करोड़ रुपया काफी नहीं है सम्भवतः समय से पूर्व की बात है। हो सकता है कि यह राशि इससे कहीं अधिक अथवा कहीं कम हो।

श्री भरूचा ने यह कहा है कि कटौती का लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए, मैं उन्हीं प्रारम्भिक बातों को ले रहा हूं जो कि उन्होंने प्रस्तुत की हैं। मेरे विचार में उन्होंने इस समस्या के प्रति काफी ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए मिट्टी के तेल को ही ले लीजिये। इसे हम अपने उत्पादन से अधिक खर्च करते हैं। यदि हम इसमें काफी कटौती कर दें अर्थात् इसकी कीमत एक आना बोतल कम कर दें, तो अन्ततः इसका परिणाम यह होगा कि लोग इसका अधिक प्रयोग

आरम्भ कर देंगे । इसमें हमें काफी विदेशी विनिमय का प्रयोग करना होगा जो कि वर्तमान अवस्था में राष्ट्र हित की बात नहीं होगी । यह हमें नहीं करना चाहिए । हालात के अनुसार हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि लोग मिट्टी का तेल कम ही प्रयोग करें, ताकि लोगों को साधारणतः असुविधा कम हो । यह ठीक नहीं कि हम अपना धन उस चीज पर खर्च कर दें जिसे सामान्यतः आम लोग प्रयोग करते हैं । मैंने तो यह भी कहा था कि हमारी सरकार मिट्टी के तेल का कोई विकल्प भी तलाश करने का प्रयत्न कर रही है । इस देश में ही किसी ऐसी लालटेन का निर्माण किया जाये जो कि मिट्टी के तेल के अतिरिक्त किसी और चीज से जल सके । इसलिए कटौती के प्रश्न पर अभी और अच्छी प्रकार विचार करना चाहिए ।

अब आप मोटर के तेल का प्रश्न लीजिये । इसकी कीमत में कटौती १४ नया पैसा न हो कर ६ नया पैसा है, जिसका अर्थ है लगभग एक आना है । इसका प्रभाव मोटर वालों पर अवश्य पड़ेगा । हम ७००,००० से ८००,००० टन मोटर का तेल प्रयोग करते हैं और इसकी देश में कोई कमी नहीं है । यदि इसे उपभोक्ताओं को दे दिया जाय तो इसका प्रभाव केवल इसी वर्ग पर ही तो होगा । और वह कोई विशेष बात है नहीं जिसको अनुभव किया जायेगा । एक आध आने की बात है । आखिर सरकार सभी का प्रयोग अच्छे और लाभदायक कामों पर ही कर रही है । इससे सड़क विकास, तेल की खोज, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है । यह सब धन एक संग्रह में चला जाता है । मेरा यह प्रबल मत है कि एक बार रुपया सरकार के पास चला जाय तो वह उसे ठीक ढंग से और ठीक दिशा में खर्च कर सकती है । फिर हमें वित्त मंत्री महोदय से यह कहने से कोई नहीं रोक सकता कि हमें तेल की खोज करने के लिए २० करोड़ रुपये चाहिए । यदि सरकार ने इसे ठीक समझा तो २० करोड़ रुपये हमें उपलब्ध हो जायेंगे यद्यपि हमारा अपना अंशदान केवल १० करोड़ ही होगा । इसलिए अच्छा यही है कि यह सभी धन एक सामान्य संग्रह में एकत्रित हो जाना चाहिए ।

मेरे मित्र श्री मसानी ने विदेशी समवायों की ओर से एक विचित्र युक्ति प्रस्तुत की । मैंने आज तक इस प्रकार की युक्ति कभी नहीं सुनी । सारी वार्ता में विदेशी निकायों के प्रतिनिधियों ने भी इस प्रकार की युक्ति प्रस्तुत नहीं की । उन्होंने प्रथम बार सरकार पर जोर दिया कि इन समवायों के हितों पर प्रभाव पड़ता है और यदि उपभोक्ताओं से प्राप्त धन को तेल की खोज पर लगाया गया तो वे आपत्ति करेंगे । उनका वास्तविक उद्देश्य इस रुपये को तेल की खोज पर लगाने का विरोध करना था । क्योंकि इससे हमारा कच्चा तेल देने वालों से मुकाबला हो जायेगा । मेरा मत है कि कच्चे तेल की खोज और उत्पादन पर खर्च किये गये धन पर कोई विदेशी निकाय आपत्ति नहीं करेगा । रुपया हमें दिया जा रहा है और हम यदि इसे सामान्य संग्रह में डालते हैं तो किसी को इस पर क्यों आपत्ति होगी । मेरे विचार में श्री मसानी ने यह बात ऐसे ही कह दी है ।

दो बातों के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना । जहां तक तदर्थ व्यवस्था का प्रश्न है मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जब तक लेखों का हम परीक्षण न कर लें, आप को इस बारे में प्रतीक्षा करनी होगी । लेखों का परीक्षण हो रहा है । यह कहना बिलकुल गलत है कि हमें सभी लेखों के परीक्षण का अवसर प्राप्त नहीं होगा । स्थिति का यह अनुमान नितान्त निराधार है ।

कीमतों की कटौती के सम्बन्ध में हम ने जो करार किया है उसमें लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य भी आ जाता है । केवल वितरण मूल्य का परीक्षण करने के विचर से ही इन लोगों से

[श्री के० दे० मालवीय]

हमने करार किया है। विवरण लेखे तथा अन्य सभी कागज़ात अवश्य ही हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। परीक्षण पूर्ण होते ही तमाम चित्र सदन की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

†**श्री अ० चं०** गुह (बारसाट) : मैंने दिल से इस विधेयक का स्वागत नहीं किया। कुछ समय हुआ हमने आवाज उठाई थी और हमें प्रसन्नता है कि तेल समवाय तेल की कीमतें कम करने पर राजी हो गये हैं। हमें आशा है कि हमारे माननीय मंत्री श्री मालवीय इस दिशा में और अधिक प्रयत्नशील रहेंगे। तदर्थ व्यवस्था में जो मूल्य निर्धारित किये गये हैं इसमें भी और कमी कर दी जायेगी। कमी हो जाने के बाद जिस प्रकार सरकार ने इस मामले को लिया है वह मुझे पसन्द नहीं आया। इस विधेयक द्वारा सरकार को ९ करोड़ रुपया वार्षिक प्राप्त होगा, परन्तु उन्होंने उपभोक्ता को कोई सुविधा नहीं दी है।

श्री मालवीय कहते हैं कि हमें मिट्टी का तेल बाहर से मंगाना पड़ता है इसलिये यदि इसकी कीमत में कमी की गयी तो इसकी लागत ही बढ़ जायगी। इस युक्ति में कोई ज़ोर दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ तो यह हुआ कि लागत को कम करने के लिये हमें मूल्य इतने बढ़ा देने चाहिये कि आम आदमी उसका प्रयोग ही न कर सके। एक और बात भी है कि करों से हमें लाभ कुछ नहीं होता। कराधान करने पर प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है और राजस्व की स्थिति लगभग वैसी ही रहती है। इन दो तीन वर्षों में हमने लगभग ३०० करोड़ रुपया नए करों द्वारा प्राप्त किया और योजना और अन्य प्रशासनिक मामलों पर उससे भी अधिक व्यय हो गया।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

इस लिये मैं यह चाहता था कि वित्त मंत्री सारी कराधान नीति का पुनरीक्षण करें और इस बात का प्रयत्न करें कि उत्पादन व्यय को किसी तरह कम किया जाय। इससे विदेशी मंडियों में हम मुकाबले में खड़े हो सकेंगे। निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वस्त्रोद्योग जांच समिति के प्रतिवेदन में भी इसी बात पर ज़ोर दिया गया है। प्रशुल्क आयोग ने भी सीमेंट की सस्ती दरों का पुनरीक्षण करते हुय उपभोक्ताओं के हित की बात की है। कर लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उपभोक्ताओं में उसको वहन करने की शक्ति है या नहीं।

कहा जाता है कि हम सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेंगे, ताकि लक्ष्य पूरे किये जा सकें। और अवस्था यह है कि दो वर्ष से ऊपर हुए सीमेंट का काम राज्य व्यापार निगम के सुपुर्द किया गया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि सीमेंट की कीमतें ही बढ़ गयीं। यदि इसी तरह चलते रहे तो हम कुछ भी प्रगति नहीं कर सकेंगे।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है मुझे इस बात का पता नहीं कि सरकार ने अभ्यादेश जारी करने के लिय २० मई से २९ जून तक पांच सप्ताह क्यों लगाय। उन्हें तुरन्त अध्यादेश जारी कर देना चाहिये। और अब भी वह छः सप्ताह और प्रतीक्षा कर लेते तो कोई हानि नहीं पहुंचती थी। अन्ततः सदन के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ३ के उपखंड ४ के अनुसार सरकार नें तदर्थ व्यवस्था में भी भारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। यह उचित नहीं है। इन शब्दों से मैं वित्त मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों पर योजना के नाम पर कर तो लगा रहे हैं, फिर भी योजना के कार्यान्वित किये जाने की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही। योजना के लक्ष्य के लिये सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा। आशा है कि इसकी ओर भी ध्यान दिया जायगा, क्योंकि देश के विकास के लिये योजना बड़ी आवश्यक है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं श्री नौशीर भरूचा के संकल्प का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री महोदय की बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अब जब कि उन्हें तेल समवायों से कुछ प्राप्त हो गया है तो वह कह रहे हैं कि उनमें बड़ी सहयोग की भावना है, परन्तु गत बजट पर विवाद के समय उन्होंने इससे विपरीत बातें ही कहीं थीं। गत मई में जब इन तेल वितरण समवायों ने सरकार से मूल्य वृद्धि की प्रार्थना की तो इसे स्वीकार कर लिया गया था। इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के १९५७-५८ के प्रतिवेदन के अनुसार २३ मई, १९५७ से यह वृद्धि स्वीकार कर ली गयी थी। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उन्होंने समवायों के लिये कितनी धन राशि की स्वीकृति दी थी। मैं इसका स्वयं अनुमान नहीं लगा सका। मेरा अन्दाज़ा है कि यह राशि ३ से ४ करोड़ रुपये तक फैलती होगी। इसका तात्पर्य यह है कि ७॥ करोड़ रुपया जो कि हम इन समवायों से प्राप्त कर रहे हैं, इसमें ५० प्रतिशत तो वह वृद्धि है जिसकी कि हमने गत वर्ष अनुमति दे दी थी। इस लिये हमें कुछ विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

अन्दाज़े के अनुसार इन समवायों का कुल मुनाफ़ा ५० करोड़ रुपया है और तेल को लाने पर लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य ९५ से १०० करोड़ रुपये के लगभग फैलता है। इसका अर्थ यह है कि हर दस रुपये पर हमें ५ रुपये मुनाफे का इन समवायों को देना होता है। परन्तु हम तो अभी उनके हिसाब किताब के बारे में परीक्षण ही कर रहे हैं। इसके प्रति विरोध प्रकट किया जाना चाहिये। मुझे इस बात का खेद है कि हमारे देश में तेल के निक्षेप नहीं और हमें दूसरे देशों के समवायों पर आश्रित रहना होता है। परन्तु जिस प्रकार की रियायतें हमारी सरकार ने उन्हें दी हैं उन्हें उचित नहीं कहा जा सकता। मैं श्री नौशीर भरूचा के संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं वित्त मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं सरकार को इस बात पर मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने प्रयत्न करके ९ से १० करोड़ रुपये समवायों से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। खान और तेल मंत्री ने भी यही कहा है कि इन समवायों से धन प्राप्त करने के पूरे प्रयत्न किये गये हैं। अब केवल दो प्रश्न रहते हैं कि हमें कितनी राशि प्राप्त करनी चाहिये और इसे उपभोक्ताओं में किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिये। सरकार इस बात का ध्यान रखना चाहती है कि कोई बीच का व्यक्ति ही लाभ न उठा जाये और प्रारम्भिक उपभोक्ताओं के हित को हानि पहुंचे। उपभोक्ताओं को धन वापिस देने के दो ही ढंग हैं। एक तो यह कि उनमें यह धन वितरित कर दिया जाये और दूसरा यह कि इससे विभिन्न कल्याण योजनाओं को ले लिया जाये। इस बात में मैं वित्त मंत्री महोदय का समर्थन करता हूं। उपभोक्ताओं को तो कुछ सुविधायें प्राप्त हो ही जायेंगी। यह बात गलत है कि विदेशी समवायों से लिया हुआ धन हमें अपने विभिन्न साधनों की उपलब्धि पर नहीं लगाना चाहिये। इस बात को तो कभी स्वीकार नहीं किया जायेगा। मेरा मत तो यही है कि सदन को माननीय वित्त मंत्री के विधेयक का समर्थन करना चाहिये। परन्तु मैं यह बात कहूंगा कि तेल की खोज पर ही सब कुछ खर्च न करके यदि हम ग्रामों में सड़क इत्यादि बनाने पर भी कुछ खर्च करेंगे तो जनता सचमुच ऐसे विधान का स्वागत करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : संविधान में अध्यादेश जारी करने की व्यवस्था है इसलिये मैं उसका विरोधी नहीं हूं परन्तु साथ साथ हमें इस पर भी विचार करना चाहिये कि अध्यादेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

यह विधेयक वित्त विधेयक नहीं है । इससे तो केवल यह प्रयत्न किया गया है कि उपभोक्ताओं को लाभ हो । विधेयक को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी जिसके कारण अध्यादेश जारी करना पड़े । हम सभा में विधेयक प्रस्तुत करके उसको पारित कराके अपना उद्देश्य पूरा कर सकते थे ।

वित्तीय ज्ञापन देखने पर पता लगता है कि २० मई, १९५८ से २९ जून, १९५८ तक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क का निर्धारण करने के लिये हैड क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क आदि की नियुक्ति पर ५०,००० रुपये व्यय किये गये । मैं समझता हूं कि यह धन बरबाद ही किया गया है क्योंकि क्या यह सम्भव नहीं था कि इन शुल्कों का निर्धारण उन्हीं कर्मचारियों से कराया जाये जो पहले से काम कर रहे थे ।

इस विधेयक के खण्ड ५ के अनुसार यह व्यवस्था की जा रही है कि निर्माता, खनिज तेल बेचने के पश्चात् खरीददारों से अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े समवाय अपने एजेन्टों द्वारा खनिज तेल की बिक्री कराते हैं अर्थात् इस खण्ड से इन एजेन्टों को लाभ होगा अर्थात् निर्माताओं को लाभ होगा । इसीलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस उत्पादन शुल्क से कितनी आमदनी होने की आशा है ।

हमें इसका ध्यान रखना चाहिये कि उत्पादन शुल्क से उपभोक्ताओं को लाभ हो । परन्तु इस विधेयक को देखने पर पता लगता है कि वास्तव में लाभ सरकार को होगा । मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री कोई ऐसी योजना प्रस्तुत करेंगे जिसके द्वारा जिनको अब लाभ नहीं हो रहा है उनको लाभ होने लगे । आशा करता हूं कि वित्त मंत्री हमें ठीक स्थिति बताने की कृपा करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का विरोध तथा विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री हरिशचन्द्र माथुर** (पाली) : हम खान तथा तेल मंत्री की सराहना करते हैं तथा तेल समवायों की भी सराहना करते हैं कि उन्होंने सभी उचित बातों को मान लिया है । मैं ने खान तथा तेल और वित्त मंत्री के भाषणों को सुना । खान तथा तेल मंत्री का कहना है कि यदि हम उपभोक्ता को लाभ देते हैं तो मांग बढ़ जाने के कारण अधिक विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ेगी और वित्त मंत्री का कहना है कि यदि यह लाभ उपभोक्ता को दिया गया तो उसको यह लाभ पहुंचेगा ही नहीं । मैं इन बहानों को खूब समझता हूं । सरकार को स्पष्ट शब्दों में सभा को बता देना चाहिये कि योजना की सफलता के लिये जितना भी संभव हो सकेगा उतना धन वह बढ़ाने की कोशिश करेगी ।

मैं जानना चाहता हूं कि हमें पर्याप्त आंकड़े बताये जायें जिससे हम सही निर्णय कर सकें । हम नहीं जानते कि जो समझौता हुआ है वह सन्तोषजनक है अथवा नहीं । मैं समझता हूं कि वह सन्तोषजनक नहीं है । मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय समवायों के लेखों पर विचार करेगी तथा उनको हमारे समक्ष प्रस्तुत करेगी जिससे उचित निर्णय किया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा में इस सम्बन्ध में यही महत्वपूर्ण समस्या है कि इन बातचीतों से सरकार को लाभ होना चाहिये अथवा उपभोक्ता को लाभ होना चाहिये । मैं इसके पक्ष में हूं कि योजना की क्रियान्विति के लिये सरकार को ही यह धन मिलना चाहिये । परन्तु साथ ही साथ हमें यह पूर्ण अधिकार है कि इन करों के औचित्य पर विचार करें। मैं ने संसद् पुस्तकालय से यह सूचना मांगी थी कि राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, तथा स्थानीय संस्थाओं के पैट्रोलियम पर कितने कर लगे हैं । परन्तु संसद् पुस्तकालय ने लिखा कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है । इसी कारण मैं इन करारोपणों के औचित्य के सम्बन्ध में कुछ भी बताने में असमर्थ हूं । केवल इतना बताना मैं इस समय ठीक समझता हूं कि ऊंचे करों के कारण ही हमारी विकास योजनायें आगे नहीं बढ़ रही हैं । विमानों के दोनों निगमों को लें तो उनसे पता लग जाता है कि तेल की महंगाई के कारण उनका व्यय कम नहीं हो सकता और वह घाटे में ही चलती रहेंगी । इसके अतिरिक्त जोधपुर, भोपाल आदि में विमानों का रुकना भी इसलियेबन्द करना पड़ा है । मेरा यही सुझाव है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि हमारी विकास योजनाओं पर इन बढ़े हुये करों का क्या असर पड़ता है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन बातों पर प्रकाश डालेंगे । इन करारोपणों का सड़क परिवहन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा । इसलिये हमें इन सभी बातों पर विचार करके निर्णय करना चाहिये ।

†**श्री आचार** (मंगलोर) : अधिकांशतः इस बात पर आपत्ति उठायी गई है कि अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी । और संसद् की बैठक होने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये थी । मैं समझता हूं कि सरकार का प्रतीक्षा करना बेकार था क्योंकि तेल निकालने आदि की विकास योजनाओं के लिये धन की आवश्यकता थी इसलिये अध्यादेश जारी करना ज़रूरी था ।

तेलों में सब से महत्वपूर्ण मिट्टी का तेल है जिसको गांव की जनता इस्तेमाल करती है । परन्तु आज कल मूल्य अधिक होने के कारण वहां लोग मिट्टी का तेल खरीदने में समर्थ नहीं है । मेरी वित्त मंत्री से यही प्रार्थना है कि समवायों से जो लाभ सरकार को होने वाला है उसका कुछ अंश वह मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करने वालों को दे दें । मैं समझता हूं कि यह बात उचित है ।

नमक पर कर के सम्बन्ध में पुरातन वित्तशास्त्रियों ने यह स्वीकार किया है कि अत्यावश्यक सामग्री पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि नमक जैसी वस्तु पर कर लगाने से लोग उसका प्रयोग करने लगते हैं जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता है । मैं मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में भी ऐसा सोचता हूं । और आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में लाभ का कुछ अंश मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करने वालों को दे दें । मैं आशा करता हूं कि मेरी अपील बेकार नहीं जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री भरुचा के संकल्प का विरोध करता हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने इस विधेयक तथा अध्यादेश को लागू करने के सम्बन्ध में सभी बातें सुनी । जिन सदस्यों ने इसके पक्ष में भाषण दिया उनका तथा उनका, जो इसके विरोधी थे मैं धन्यवाद देता हूं । मैं मानता हूं कि जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं उनमें कुछ सार हैं परन्तु जो बातें मैं ने कही हैं वह अधिक सारयुक्त मालूम होती हैं ।

सबसे पहले मैं उस तर्क का उत्तर देता हूं कि अध्यादेश क्यों लागू किया गया मैं स्थिति समझाता हूं । सरकार समवायों से मूल्य घटाने के बारे में बातचीत कर रही थी और वह अपने इस उद्देश्य में सफल भी हो गई । कराची के मूल्यों से यहां के मूल्यों की तुलना करने के बारे में मैं बताता हूं कि इसी कारण तो हमने मूल्य कम कराने के लिये कदम उठाया था। अर्थात अध्यादेश लागू किया था ।

† मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरार जी देसाई]

यह कहा गया कि मिट्टी के तेल का उदारहण देना ठीक नहीं था और हमें मोटर स्पिरिट, डीज़ल आयल, तथा औद्योगिक ईंधन तेल पर भी विचार करना चाहिये था। एक अपील की गई कि मिट्टी के तेल का उपयोग करने वालों को इस सहायता का कुछ अंश दिया जाये। यदि ऐसा करना सम्भव होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। जो कमी की गई है वह एक बोतल पर केवल एक नया पैसा है। मुझे मालूम हुआ है कि अब तक २८ नये पैसे की एक बोतल आती है। यदि उसको एक नया पैसा कम दिया गया तो बीच में जो व्यापारी होता है उसको ही लाभ होगा। यही सोच कर सरकार ने यह ठीक समझा कि बीच के व्यापारी को लाभ न दे कर सरकार स्वयं उसको ले ले।

मोटर स्पिरिट में प्रति इम्पीरियल गैलन १४ नये पैसे कम होंगे। मोटर स्पिरिट निजी मोटर कारों में खर्च होती है। बसों और ट्रकों में भी इसको काम में लाया जाता है। टैक्सी में चार व्यक्ति बैठते हैं उसमें तो १४ नये पैसे प्रति मील प्रति व्यक्ति कम रहा। परन्तु बसों में ४० व्यक्ति बैठते हैं तो प्रति मील प्रति व्यक्ति वह .०२५ नये पैसे आती है। ट्रक के मामले में यह लगभग १.१७ नये पैसे प्रति मील कमी होती है। प्रति गैलन डीज़ल आयल पर ७ नये पैसे कम किये गये हैं अर्थात् प्रति मील के हिसाब से गणना की जाये तो .३५ नये पैसे प्रति मील आंकड़े आते हैं। यदि बस में ४० यात्री हों तो .००९ नये पैसे प्रति मील प्रति व्यक्ति आते हैं। ट्रक में .४१ नये पैसे प्रति मील आते हैं अर्थात् .००२ नये पैसे एक मील पर कम होते हैं। औद्योगिक ईंधन तेल से बनाई जाने वाली वस्तुओं पर ध्यान देने पर पता लगता है कि उसके भी आंकड़े बहुत कम आते हैं। इससे पता लग जाता है कि जो तर्क प्रस्तुत किया गया वह सारहीन था। क्योंकि इससे उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होता था।

मैं इससे सहमत हूं कि अध्यादेश के द्वारा करारोपण नहीं किया जाना चाहिये था। मैं स्वयं भी ऐसा करने के पक्ष में नहीं हूं। परन्तु यह करारोपण सामान्य करारोपण नहीं था। इस करारोपण से हमें जनता से कर की उगाही नहीं करनी थी अपितु समवायों से कर उगाहना था। यदि हम दो माह तक इसकी प्रतीक्षा करके विधेयक पारित कराते तो इन दो महीनों में जो उगाही की गई है वह किस प्रकार की जा सकती थी। समझौता यह किया गया था कि यदि जांच करने पर कौस्ट-एकाउन्टेन्ट ने बताया कि यह उचित नहीं था तो हमको समवायों को छूट देनी होगी। यदि हमको अन्त में यह पता लगा कि उनकी लागत और भी कम हुई है तो और अधिक कमी करदी जायेगी। यदि हमें और मूल्य और कम करने पड़े तो हम पर कोई असर नहीं पड़ता था परन्तु यदि हम कुछ वापस करना पड़ता तो उपभोक्ता को उसे दे देने पर उगाही करना बड़ा कठिन हो जाता।

इसलिये बहुत सोच विचार के पश्चात् हमने यह निर्णय किया। यह प्रश्न पूछा गया कि अध्यादेश को लागू करने में हमें २० मई से ३० जून, इतना अधिक समय क्यों लगा। हमें इस पर सोचने में ही अधिक समय लगा। हमने इस प्रश्न के हर पहलू पर विचार करके यह निर्णय किया था। हमारा यह इरादा कभी भी नहीं रहा कि हम करारोपण के लिये अध्यादेश लागू करें। संविधान में अध्यादेश का उपबन्ध ऐसे ही समय के लिये किया गया है। केवल उसके औचित्य का प्रश्न रह जाता है कि क्या ऐसा आपतकाल उपस्थित हो गया था जब हमें उसे लागू करना आवश्यक था। मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में यदि सरकार इस लाभ को उगाहने के लिये अध्यादेश लागू नहीं करती तो अपना कर्त्तव्य पूर्णतया पालन नहीं करती। इन कारणों से स्पष्ट है कि अध्यादेश लागू करना आवश्यक था। अब यह कहना कि हम सभा से कुछ छिपा रहे हैं तथा उसका ज्ञान नहीं कर रहे हैं बेकार सी बात है।

यह तो ठीक है कि जिन व्यक्तियों के पास निजी कारें हैं उनको इससे कुछ लाभ हो जाता है परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसे लोग देश के हित में इस लाभ पर अधिक ध्यान नहीं देंगे। और इसी लिये यह ठीक समझा गया कि इस कमी को उपभोक्ताओं को न दिया जाये।

श्री मसानी का तर्क तो बडा अजीब सा मुझे लगा कि यदि इस धन को तेल की खोज के लिये इस्तेमाल किया गया तो तेल समवायों के साथ अन्याय होगा और उनके काम में बाधा पड़ेगी। मैं समझता हूं कि तेल समवाय इतनी मूर्ख नहीं हैं कि इस प्रकार की शिकायत करें। तेल समवायों ने इस कटौती को तभी स्वीकार किया जब उनको यह पता लग गया कि सरकार द्वारा दिये गये तर्क अकाट्य हैं। इसी लिये हम ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि यदि जांच के पश्चात् हमारी धारणायें गलत सिद्ध हुईं तो हम उन्हें छूट देंगे और यदि इसके विपरीत यदि कटौती ठीक पाई गई तो हम और कटौती कर देंगे।

यह भी कोई बात नहीं है कि यह धन किसी विशेष उद्देश्य से लिया गया है। सरकारी राजस्व किसी विशेष कार्य के लिये नहीं लिया जाता है। तेल की खोज के लिये निधि का आवंटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी का यह विचार है कि तेल की खोज आवश्यक है और इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सामान्य राजस्व से इसके लिये धन रखना है और यही किया गया है। तेल की खोज के लिये निधि आवंटित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह धन नहीं लिया जाता तो क्या तेल की खोज नहीं की जाती। खोज तो की ही जाती। मैं नहीं जानता कि इस देश द्वारा तेल की खोज किये जाने से तेल समवायों को क्या आपत्ति हो सकती है। इसके विपरीत सभी का यही कहना है कि हमें तेल की खोज उससे अधिक शीघ्रता से करनी चाहिये जितनी शीघ्रता से इस समय हम कर रहे हैं तथा हमें इस पर धन भी अधिक व्यय करना चाहिये। इस तर्क के प्रस्तुत करने से तो मेरा मामला जो कुछ थोड़ा बहुत कमज़ोर था उसको और सहारा मिल गया है।

मुझे यह आरोप सुनकर बड़ा दुख हुआ कि समवायें कास्ट एकाउन्टैंट को पूरे लेखे नहीं देंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि कुछ मामलों में ऐसा कहना ठीक हो सकता है परन्तु इस मामले में कास्ट एकाउन्टैंट्स को कोई कठिनाई नहीं हो रही है। समवायों से हमें कोई शिकायत नहीं है तथा सरकार को पूरा अधिकार है कि वह सभी लेखों की उचित जांच कराय। हम उससे अधिक कुछ करना भी नहीं चाहते हैं।

एक बात यह कही गई कि जो अधिक राजस्व मिला है वह भूतकाल के समान अधिक व्यय में दिखा दिया जायेगा। ऐसा कहना भी सरकार के साथ अन्याय करना है। यह सच है कि बढ़े हुये करों से प्राप्त अधिक राजस्व कम ही दिया जाता है परन्तु इसका यह तो मतलब नहीं है कि इस योजना पर ही व्यय किया जायेगा। योजना तो प्रतिदिन के सामान्य व्यय के अतिरिक्त है। यदि प्रतिदिन का व्यय सामान्य राजस्व में से नहीं किया जायेगा तो कहां से किया जायेगा। केवल विचार इसी पर करना होता है कि अधिक व्यय उचित है अथवा नहीं। और औचित्य का पता इसी से लगाया जा सकता है उससे जनता को लाभ हुआ है अथवा नहीं। यह स्वीकार कर लिया गया है कि कितनी ही मदों में व्यय कम कर दिया गया है। हम सभी अनावश्यक व्यय को कम करने पर ध्यान दे रहे हैं। परन्तु साथ ही साथ यदि हम अपने देश को शक्तिशाली, दक्ष, उन्नत बनाना चाहते हैं तो हम सभी प्रकार के कामों पर व्यय बढ़ाना भी है। मैं माननीय मित्रों को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है इसलिये अधिक व्यय करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। याद हमें जनता का कल्याण करना है तो सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि अधिक राजस्व लें।

[श्री मुरार जी देसाई]

मुझे खेद है कि इस समय विभिन्न देशों में तेल पर करों के तुलनात्मक आंकड़ें बताने में समर्थ नहीं हूं। हम सही स्थिति जानने का प्रयत्न करेंगे तथा तभी उन आंकड़ों को बता सकेंगे। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हमें अपने करों की तुलना अन्य देशों के किसी एक वस्तु पर कर से नहीं करनी चाहिये। सभी देशों में करारोपण के विभिन्न तरीक़े हैं और इस देश में भी हमें अपना अलग तरीक़ा बनाना चाहिये। केवल इसका ध्यान रखना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में करारोपण करने के उपाय ही समाप्त हो जायें। और भी बातें कही जा सकती हैं परन्तु करारोपण का मूलाधार यही है और हम प्रयत्न कर रहे हैं हमारे करारोपण के उपाय समाप्त न हो जायें।

अन्त में, मैं तीनों मूल्यांकन विभागों की नियुक्ति के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है, उसके बारे में यह बताना चाहता हूं कि इनको नियुक्त करना बड़ा आवश्यक था क्योंकि इस विधेयक के खण्ड ३(४) के अधीन २०-५-१९५८ से ३०-६-१९५८ तक की अवधि के मिश्रित करों के आंकड़े निकालने के लिये समवायों की पुस्तकों की जांच करनी थी। जो लिपिक नियुक्त किये गये वह भी दिन प्रति दिन के काम के लिये आवश्यक थे। सभी कर्मचारी अस्थाई रूप से रखे गये तथा काम समाप्त होने पर हटा दिये जायेंगे।

मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र मेरे उन विचारों से सहमत होंगे जो मैं ने विधेयक के सम्बन्ध में सभा के समक्ष रखे हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : माननीय मंत्री महोदय का यह कहना कि अध्यादेश जारी कराने की आवश्यकता थी क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सरकार को हानि होती। मैं बताना चाहता हूं कि समझौता २० मई, १९५८ को हुआ था जब कि अध्यादेश ३० जून, १९५८ को अर्थात एक माह दस दिन पश्चात् अध्यादेश लागू किया गया। जब हम इतने समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं तो क्या अगले एक माह जब संसद् बैठ रही है रुक नहीं सकते ?

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इन कमियों से उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होता था। मैं समझता हूं कि उनकी ऐसी धारणा बन गई थी और केवल धारणा के आधार पर उपभोक्ता को लाभ न देना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने बताया कि यदि यह लाभ उपभोक्ता को दिया भी गया होता तो वह बहुत कम होता और इसी से स्पष्ट हो जाता है कि श्री मालवीय के कथन के बिल्कुल उल्टा वित्त मंत्री ने कहा। श्री मालवीय ने बताया था कि यदि मिट्टी के तेल का लाभ उपभोक्ता को दिये जाने पर वास्तव में लाभ उनको पहुंच जाता और मांग बढ़ जाती। मेरा मालवीय जी को उत्तर है कि वित्त मंत्री द्वारा लाभ न दिये जाने से मांग नहीं बढ़ती और वित्त मंत्री जी को यह उत्तर है कि श्री मालवीय जी के कथनानुसार लाभ उपभोक्ता को दिया जाना चाहिये। दोनों का कथन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है।

वित्त मंत्री जी ने मोटर स्पिरिट तथा परिवहन उद्योग का उदाहरण लिया और बताया कि बस एक गैलन में १४ मील जाती है अतः प्रति मील एक नया पैसा लाभ होगा। परन्तु वह भूल जाते हैं कि एक बस एक दिन में १५० मील जाती है। और इस प्रकार लाभ १ रुपये ८ आने प्रति दिन तथा महीने में ४५ रुपये हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि मिट्टी के तेल पर छः नये पैसे बहुत थोड़ी कमी है। यदि कृपा करके वह भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में मिट्टी के तेल पर शुल्क की दरें देखें तो पता लगता है कि प्रति इम्पीरियल गैलन शुल्क १८.७५ नये पैसे है। और इस प्रकार ६ नये पैसे इसका ३३ प्रतिशत हो जाता है। यह धन राशि थोड़ी नहीं है। मेरी इस बात का माननीय मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

मैं समझता हूं कि हमें तेल के मूल्य निश्चित करते समय उपभोक्ता के हितों पर ध्यान देना चाहिये। प्राक्कलन समिति ने अपने प्रवेतिदन के पृष्ठ ७० पर सुझाव दिया है कि तेल की स्थायी समिति के साथ साथ एक उपभोक्ता परिषद् भी हमें बनानी चाहिये। मेरी सरकार से यही अपील है कि एक उपभोक्ता परिषद् बनाई जानी चाहिये।

पिछले वर्ष जब मूल्य बढ़ाये गये थे उस समय यह नहीं कहा गया कि थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है इसलिये उपभोक्ता से न ली जाये। परन्तु आज थोड़ी सी कमी करने का लाभ उसे नहीं दिया जा रहा है। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** माननीय मंत्री ने बताया कि कुल राजस्व ८ करोड़ रुपये अथवा ९ करोड़ रुपये होगा। मैं यही जानना चाहता हूं कि समवायों को इसमें से कितना सहायता के रूप में दिया जायेगा और सरकार को कितना मिलेगा।

†**श्री मोरारजी देसाई :** सभी लाभ पर कर लगाया जाता है इसलिये यदि लाभ बढ़ेगा तो कर भी बढ़ेगा। यदि कुछ धन राजस्व का कम हो गया तो जो बचेगा वह मिल जायेगा अथवा पूरा धन मिल जायेगा।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : मैं जानना चाहता हूं कि इस बिल के ज़रिये से गवर्नमेंट की सालाना आमदनी क्या हो जायेगी और दूसरे यह कि यह टैक्स प्राविंशल गवर्नमेंट्स लगायेंगी या स्टेट्स को उनका हिस्सा मिल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : पहली बात का जवाब तो मिनिस्टर साहब दे चुके हैं कि कितनी आमदनी होगी। वह स्टेट को नहीं जायेगी बल्कि कंसोलिडेटेड फंड में जमा होगी। अफसोस की बात यह है कि मेम्बर साहब शायद उस वक्त मौजूद नहीं थे। अब मैं संकल्प को मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्याक्ष महोदय द्वारा संकल्प मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कुछ खनिज तेलों पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क लगाने और वसूल करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ६, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ से ६, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मोरार जी देसाई :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि समवायों से यह समझौता हुआ है कि कास्ट एकाउन्टैन्ट लेखों की जांच करेंगे और यदि मूल्यों में की गई कमी उचित पाई गई तो और कमी कर दी जायेगी परन्तु यदि उचित नहीं पाई गई तो भूतलक्षी प्रभाव से समवायों को सहायता दी जायेगी ।

यह बड़ी अजीब बात है क्योंकि अब तक सरकार के मंत्रीगण यह कहते रहे हैं कि समवाय जो मूल्य ले रहे हैं वह अनुचित हैं और अधिक लाभ ले रहे हैं । परन्तु अब सरकार लेखों के परीक्षण पर कमी का औचित्य निर्धारित करने वाली है और इससे समवायों को बहुत छूट दे दी गई है । मेरा तो यह अनुरोध है कि इन समवायों के लेखों को जांच के लिये यहां पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये अथवा सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिये क्योंकि इन लेखों में समवाय मनोरंजन आदि का व्यय भी शामिल कर देती हैं ।

आप जानते हैं कि वितरण करने के व्यय में बहुत वृद्धि हो गई है । सरकार को इसकी जांच करानी चाहिये कि वितरण में तो कोई गड़बड़ नहीं है । इसके अतिरिक्त सरकार को समवायों के बड़े पदाधिकारियों को दिये गये लाभांशों, मनोरंजन भत्तों आदि को व्यय में शामिल नहीं करना चाहिये । मैं जानता हूं कि यदि लेखों की ठीक जांच की गई तो भारत की जनता को निश्चित रूप से उचित धनराशि मिल सकेगी ।

पिछले वर्ष एक मंत्रालय ने मूल्य कम करने की बात कही परन्तु दूसरे मंत्रालय ने उसके मूल्य बढ़ा दिये । सरकार को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहियें । सरकार को तो इसी बात पर बल देना चाहिये कि मूल्य अधिक हैं और लेखों की उचित जांच की जानी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि सरकार पिछले वर्ष के समान मूल्य नहीं बढ़ायेगी ।

†**श्री मुरार जी देसाई :** मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार माननीय सदस्य के सुझावों से यथा सम्भव फायदा उठायेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश संम्बन्धी संविहित संकल्प तथा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सभा में अब बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ को नामंजूर करने के बारे में भी श्री ब्रज राज सिंह के संकल्प पर तथा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर चर्चा होगी ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर तथा संकल्प पर, एक साथ चर्चा होगी। संकल्प के अस्वीकृत होने पर प्रस्ताव पर मतदान होगा। सभा को ज्ञात है कि इन दोनों के लिये ६ घंटे का समय रखा गया है ।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्म लिखित संकल्प प्रस्तावित करता हूं :

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा १४ जून १९५८ को प्रख्यापित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ का अध्यादेश संख्या ४ को नामंजूर करती है ।"

यह मेरा दुखद कर्त्तव्य है कि मैं देश के किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यहां पर विस्तृत चर्चा करूं। यह अध्यादेश पास करते समय सरकार ने एक वक्तव्य दिया जो कि सदन की मेज पर रक्खा गया है। उस वक्तव्य में कहा गया है :

> "कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में भारत सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालय में हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि सरकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है। इसलिये जुलाई, १९५७ में राष्ट्रपति ने विजिटर की हैसियत से विश्वविद्यालय की हालत की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की। समिति ने ३१ जुलाई, १९५७ को अपनी पहली बैठक शुरु की और अप्रैल, १९५८ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।"

यह अध्यादेश पास किया गया । इस संदर्भ में यह जान लेना आवश्यक है कि लोक सभा का पिछला सत्र ९ मई को खत्म हुआ था। इस कमेटी ने, जो कि मुल्क में मुदालियर कमेटी के नाम से मशहूर हुई और जिसे राष्ट्रपति ने विजिटर की हैसियत से जुलाई, १९५७ में नियुक्त किया था, अपनी रिपोर्ट विजिटर को और विजिटर का अर्थ हमें केन्द्रीय सरकार लेना चाहिये, और केन्द्रीय सरकार का अर्थ हमें शिक्षा मंत्रालय लेना चाहिये––अप्रैल, १९५८ में दे दी थी।

प्रश्न यह है कि जब प्रेजिडेंट को जो आर्डिनेंस लागू करने की पावर है उस का इस्तेमाल किया गया तो जो रिपोर्ट –अप्रैल, १९५८ में आ गई थी सरकार के पास, उसे लोक-सभा के सामने यों नहीं रक्खा गया। और यदि बनारस विश्वविद्यालय में कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थीं जिनके कारण शिक्षा क्षेत्र का प्रबन्ध होना असम्भव हो गया था तो उन परिस्थितियों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रज राज सिंह]

को लोक सभा के सामने क्यों नहीं रक्खा गया ? इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि प्रेजिडेंट की आर्डिनेंस मेकिंग की जो पावर है उस की तरफ सदन एक बार पुनः ध्यान दे।

> "उस समय को छोड़ कर जब कि संसद् के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान है तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों।"

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बनारस युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को जो ज्ञान हुआ वह जिस वक्त लोक सभा का पिछला सत्र चल रहा था उस के बीच में ही हो गया था। अगर लोक सभा के सत्र के खत्म होने के बाद राष्ट्रपति को उस का ज्ञान हुआ होता तथा उस के बाद सरकार को ज्ञान हुआ होता, उस के बाद वह कोई आर्डिनेंस पास करती, तो मैं समझ सकता था कि उस के लिये कोई औचित्य था। परन्तु जो मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट, बनारस युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में, सरकार को अप्रैल में ही मिल गई हो, उस के सम्बन्ध में, ९ मई, १९५८ तक, जब तक कि लोक सभा का पिछला सत्र चला, कोई जिक्र न किया जाये और जब लोक सभा का सत्र उठ जाये, लोक सभा का अधिवेशन खत्म हो जाये, उस के बाद सरकार हमारे सामने एक आर्डिनेंस को ले कर आये, यह कहां तक ठीक है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा क्षेत्र के अलावा किसी और चीज के सम्बन्ध में आर्डिनेंस बनाया गया होता, जैसा कि अभी एक आर्डिनेंस के सम्बन्ध में हमारे योग्य मित्र श्री भरूचा के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो उस का कोई औचित्य भी हो सकता था। लेकिन एक आर्डिनेंस पास कर एक युनिवर्सिटी का शासन प्रबन्ध अपने हाथ में लेने पर हमारे देश में ही नहीं, दुनियां में, जिसे विश्वविद्यालयों की अटानमी या स्वतंत्रता कहा जाता है, उस के लिये बहुत बड़ा अचम्भा माना जाता है।

खास तौर से इस मुल्क में जहां पर हमने अपनी आजादी हासिल करने के लिये बड़ी कुर्बानियां की हैं और उस जमाने में जब कि हिन्दुस्तान आजाद नहीं था और अंग्रेजों का शासन यहां पर था तब भी हमने विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होने दिया, ऐसे सन्दर्भ में बनारस हिन्दु विश्वविलद्याय की स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिये मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल सन् १९५८ में आने के बाद गो कि लोक सभा और राज्य सभा की बैठकें होती रहीं, ९ मई तक लोक सभा का सेशन होता रहा लेकिन तब उस रिपोर्ट को सदन के सामने न रख कर १४ मई को उसके सम्बन्ध में एक आर्डिनेंस लागू किया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस परिस्थिति में आर्डिनेंस जारी करने के लिये कोई कारण नहीं था। यदि सरकार को यह विश्वास हो गया था और विजिटर को अर्थात् राष्ट्रपति को यह विश्वास हो गया था कि वर्तमान आर्डिनेंस लागू किये हुए बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी का शासन प्रबन्ध और उसकी शिक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार को और राष्ट्रपति को मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट मिली उसके तुरन्त बाद ही वह रिपोर्ट लोक सभा में विचारार्थ पेश होनी चाहिये थी और सरकार को चाहिये था कि वह उसके लिये कोई बिल लाती और लोक सभा में उस पर विचार होता और उस बिल पर लोक सभा की स्वीकृति की मुहर लगवाती लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन)
विधेयक

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता का इस तरह से सरकार द्वारा अपहरण किया गया है बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी इस देश में ही नहीं अपितु विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी है और वह दुनिया की उन चन्द एक यूनिवर्सिटियों में से एक है जिनका कि नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है और जिसके लिये उसके संस्थापक पूज्य महामना मालवीय जी ने सन् १९१६ से पहले यह कहा था कि वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में नालन्दा और तक्षशिला के समान विश्वविद्यालय कायम हों जहां कि १०,००० विद्यार्थी पढ़ सकें और वहां पर रह सकें। पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह शब्द उस समय कहे थे जब हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिये भारतवर्ष में महात्मा गांधी का पदार्पण दक्षिण अफ्रीका से नहीं हुआ था। सन् १९१६ में जब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को कायम किया और इसकी शुरूआत की तो इस उद्देश्य को ले कर शुरू किया कि वे उसको नालन्दा और तक्षशिला के समान बनायेंगे जहां पर कि १०,००० विद्यार्थी पढ़ सकें, वहां पर रह सकें और उच्च शिक्षा उनको दी जा सके।

सन् १९२१ में जब कि भारत को स्वाधीनता प्राप्ति के लिये आन्दोलन किया गया, सन् १९३१ में जब आजादी के लिये भारतवासियों द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया और आगे चल कर सन् १९४२ में जब भारतवासियों ने अपने को विदेशी दासता से मुक्त करने के लिये प्रयत्न किया और अंग्रेजी सरकार को "भारत छोड़ो" कहा उस समय भी कभी भी विदेशी सरकार बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर सकी। सन् १९३१ में जब महामना मालवीय जी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के उपकुलपति थे तो ऐसा मौका आया जब सरकार ने सन् १९३१ में उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बावजूद वह जेल में रहते हुए, एक डेढ़ महीने तक जेल के अन्दर से यूनिवर्सिटी का शासन प्रबन्ध चलाते रहे। उस वक्त की विदेशी सरकार को जो कि हमारी किसी भी बात को सहन नहीं कर सकती थी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता का अपहरण करती और कोई आर्डिनेंस पास करती उसका शासन प्रबन्ध अपने हाथ में लेती। सन् १९४२ में जब बनारस यूनिवर्सिटी देश की आजादी के लिये लड़ने वालों का एक पूरा गढ़ बन गई थी यूनिवर्सिटी कैम्पस् में विद्यार्थियों के पास जाने की पुलिस या मिलेटरी की दस दिन तक हिम्मत नहीं पड़ी, उस जमाने में भी ब्रिटिश सरकार की जिसके कि विरूद्ध हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमने उसको यह कह दिया था कि हम तुम्हें इस देश में अब नहीं रहने देंगे, यह हमारा मुल्क है और हम भारतवासी यहां पर अपना शासन चलायेंगे, उस वक्त भी उस ब्रिटिश सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस यूनिवर्सिटी को अपने हाथ में लेती लेकिन उन लोगों ने जो महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने की बात कहते हैं उन लोगों ने जब महामना मालवीय जी के पदचिन्हों पर चलने का नाम लेते हैं, जिन मालवीय जी ने हिन्दुस्तान की आजादी के हेतु कम कुर्बानियां नहीं की, उन के शिष्य बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों ने १४ जून सन् १९५८ को उस बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की आजादी का अपहरण किया।

यहां पर यह सवाल उठाया जा सकता है कि क्या किसी भी दशा में कोई आर्डिनेंस पास ही नहीं किया जाना चाहिये। मेरी विचार धारा को अगर माना जाय तो मैं तो कहूंगा कि कभी भी कोई आर्डिनेंस पास नहीं किया जाना चाहिये जब कि हमारे यहां पर दो सदन अर्थात् राज्य सभा और लोक-सभा है और लोक-सभा जनता द्वारा चुनी जाती है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति सरकार के सामने आती है जिसमें कि वह यह महसूस करती है कि जो मौजूदा कानून है उससे ठीक तरह सरकार का शासन प्रबन्ध नहीं चल सकता है तो उसके लिये राष्ट्रपति से यह प्रार्थना की जानी चाहिये

अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन)
विधेयक

[श्री ब्रजराज सिंह]

कि वे लोक-सभा और राज्य सभा का अधिवेशन बुलायें और सदन द्वारा उस पर विचार किया जाये जो जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं उनको उस पर अपने विचार प्रकट करने का मौक़ा मिले और यदि कोई परिवर्तन करने अथवा कानून बनाने की ज़रूरत महसूस की जाय तो वह किया जाये। लोकतन्त्र में सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से यूनिवर्सिटी की स्वतन्त्रता का आर्डिनेंस जारी करके अपहरण किया जाना किसी भी दशा में उचित नहीं है। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्वतन्त्रता का अपहरण किन परिस्थितियों में सरकार द्वारा किया गया है यह ध्यान में रखने वाली बात है। सन् १९५८ में अप्रैल मास में जब मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिल गई थी उस वक्त और उसके बाद ९ मई तक लोक-सभा का अधिवेशन चलता रहा था। मेरे पास ठीक तारीख़ नहीं है जब कि शिक्षा मंत्रालय को मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट मिल गई थी। इसमें यह नहीं दिया गया है कि कौन सी तारीख़ को उन्हें यह रिपोर्ट मिली लेकिन मैं मान लेता हूं कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आखिर अप्रैल में ही आई। तो भी सरकार के पास १२ दिन थे जिसमें कि सरकार अगर चाहती तो जल्दी से विचार करके सदन के सामने रख सकती थी और कानून बनवा सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा मैं जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया ? मैं जानना चाहता हूं कि जब लोक-सभा चल रही हो और राज्य सभा चल रही हो, दोनों सदन चल रहे हों तब सरकार ने यह क्यों नहीं चाहा कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट सदन में रक्खी जाये और उस पर विचार किया जाये और सरकार अगर उचित समझे तो उसके लिये संसद् से कानून पास करवाये ? ऐसा करना सरकार ने क्यों उचित नहीं समझा इसके पीछे कुछ दूसरी बातें हैं जिनकी कि तरफ़ श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सदन के ज़रिये मैं पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जुलाई, सन् १९५७ में तथाकथित मुदालियर कमेटी बैठी थी। वह कमेटी किसके लिये बैठी थी और क्यों बैठी थी जिसके कि लिये यह कहा गया था कि बनारस यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरीक़े की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनकी कि जांच करनी आवश्यक है और इस लिये उसकी जांच करवाई जाये लेकिन उस जांच को करने से पहले जो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का सन् १९५१ का ऐक्ट था उसको सरकार ने खत्म कर दिया। उस ऐक्ट की धारा ५ की उपधारा ३ को क़तई लापरवाही के साथ भंग किया गया और उसका कोई ध्यान नहीं रक्खा गया। उस उपधारा में यह कहा गया है कि विज़िटर के लिये विश्वविद्यालय का निरीक्षण कराने या जांच कराने के लिये पूर्व सूचना देना ज़रूरी है और विश्वविद्यालय को निरीक्षण तथा जांच के वक्त अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार रहेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस उपधारा के होते हुये भी सरकार ने बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय को कोई नोटिस नहीं दिया कि हम आपके यहां कोई इंस्पैक्शन करना चाहते हैं, कोई जांच पड़ताल कराना चाहते हैं और कोई कमेटी मुक़र्रर करना चाहते हैं, इसके लिये कोई नोटिस नहीं दिया। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि पिछले वर्ष जब कि यह कमेटी मुक़र्रर हुई थी तो एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था उस समय शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह कहा गया था कि इस सम्बन्ध में नोटिस और एक्शन दोनों एक साथ शुरू होंगे। यह भी अजीब तमाशा है कि नोटिस और कार्यवाही एक साथ शुरू कर दी जाती है। उचित तो यह था कि पहले नोटिस दिया जाना चाहिये था कि हम आपके विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करना चाहते हैं और सम्बन्धित

अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन)
विधेयक

मामलों का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वह कमेटी जांच करने के लिये बैठानी चाहिये थी लेकिन ऐसा कोई नोटिस यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया। मैं इससे यह नहीं सिद्ध करना चाहता कि विज़िटर अर्थात् राष्ट्रपति को युनिवर्सिटी के मामलों में दख़ल देने का कोई अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय के क़ानून में ऐसा नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को दखल देने का अधिकार नहीं है, वे ज़रूर जांच पड़ताल कर सकते हैं और करवा सकते हैं लेकिन जांच करने से पहले उन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इसके लिये नोटिस देना चाहिये था कि हम उनकी जांच करना चाहते हैं और हम उसके लिये एक कमेटी मुक़र्रर करना चाहते हैं। तो बिना कोई नोटिस दिये हुए भी उन्होंने एक कमेटी मुक़र्रर कर दी। उस कमेटी के सदस्य थे डा० ए० एल० मुदालियर, श्री एम० सी० महाजन, डा० पी० सुब्बारायन, श्रीमती सुचेता कृपालानी, तथा श्री नवरोज़ी जे० वाडिया। उसकी टर्म्स आव रेफरेंस में थीं। मैं इनको इसलिये पढ़ रहा हूं कि मुझे यह दिखाना होगा कि मुदालियर कमेटी की जो टर्म्स आफ रेफरेंस थीं उसके बाहर जाकर रिपोर्ट दी गयी और सरकार ने उस पर कार्रवाई की। वे टर्म्स आफ रेफरेंस इस प्रकार हैं :

"(१) विश्वविद्यालय में, कुछ शिक्षा संस्थाओं में हुई हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुये, अनुशासन की जांच करना।

(२) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में उचित अनुशासन बनाये रखने के लिये वर्तमान नियमों की पर्याप्तता की जांच करना।

(३) विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों के कार्य संचालन की, निम्न विषयों पर विशेष ध्यान देते हुये, जांच करना :—

(क) विश्वविद्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति, संख्या और शक्तियां आदि ;

(ख) प्रिंसिपलों का रखा जाना और उनका मुख्य वार्डन बनाया जाना ; और

(ग) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षकों के मुक़ाबले उपकुलपति की शक्तियां।

(४) उपरोक्त (१) से (३) के बारे में आवश्यक उपायों का सुझाव देना।

(५) विश्वविद्यालय के सुचारु रूप से कार्य-संचालन के बारे में सुधार सम्बन्धी सुझाव देना।"

इन टर्म्स आफ रेफरेंस के साथ मुदालियर कमेटी मुक़र्रर की गयी। मुदालियर कमेटी एक दो महीने नहीं बल्कि दस महीने तक बैठी। लेकिन १४ जून, सन् १९५८ को ही हिन्दुस्तान की सरकार को यह पता चला कि वहां की परिस्थितियां खराब हो गयी हैं और वहां पर शिक्षा का काम चलाया नहीं जा सकता। जो काम मुदालियर कमेटी को सौंपा गया था उसको पूरा करने में उसने दस महीने का समय लिया और दस महीने जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन श्रीमन्, मुझे बड़े दुःख के साथ आपके सम्मुख, इस सदन के सम्मुख और राष्ट्र के हित के लिये यह कहना पड़ता है कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी गयी।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुदालियर कमेटी के सामने जो साक्षी दी गयी, उस कमेटी को जो स्मृतिपत्र दिये गये उनका कोई संकलन सदन की मेज़ पर नहीं रखा गया। जिसका परिणाम यह है कि लोक-सभा के किसी मेम्बर

[श्री ब्रजराज सिंह]

को, राष्ट्र के किसी नागरिक को, विश्वविद्यालय के किसी व्यक्ति को यह मालूम नहीं है कि जो साक्षी दी गयी वह क्या थी या जो स्मृतिपत्र दिये गये उनमें क्या लिखा था । हमारे सामने सिर्फ एक रिपोर्ट पेश की जाती है । इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी देश में बड़ी बड़ी चर्चायें रहीं । जब रिपोर्ट पेश हुई उसके बाद मैं स्वयं बनारस वहां की परिस्थिति देखने गया । वहां पर मुझे पता लगा कि पूरे बनारस शहर में रिपोर्ट की छपी हुई कापियां जो बंट गयी थीं उन्हें वापस ले लिया गया है और उसका पब्लिकेशन बन्द कर दिया गया है । मुझे पता नहीं कि यह कानूनी तरीक़े से किया गया या नहीं । लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि बनारस में कोई छपी हुई कापियां उपलब्ध नहीं थीं । हो सकता है कि टाइप की हुई कापियां मिल सकती हों । लेकिन जो साक्षी इस कमेटी के सामने दी गयी या जो स्मृति पत्र इस कमेटी को दिये गये वे जनता के या लोक-सभा के सामने नहीं आये। न वे बनारस विश्व-विद्यालय के किसी व्यक्ति के सामने आये । जो रिपोर्ट सरकार को दी गयी वह भी बनारस विश्व-विद्यालय के लोगों को नहीं मिल पायी । आगरा राजपूत कालिज प्रिंसिपल मेरे मित्र डा० आर० के० सिंह ने मुझे बतलाया कि उनको इस रिपोर्ट की कापी नहीं मिल सकी है और उन्होंने मुझे से कहा कि अगर आपके पास इसकी कापी हो तो पढ़ने के लिये दीजिये । तब उन्होंने मुझ से लेकर वह रिपोर्ट पढ़ी । तो यह व्यवस्था है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौनसी परिस्थितियां ऐसी थीं कि जिनकी वजह से सरकार को इस रिपोर्ट के मिलने के बाद १४ जून तक रुकना पड़ा, जब कि सरकार ने इस आर्डिनेंस को पास किया । इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी के पिछले प्रबन्ध की ओर दिलाना चाहूंगा । महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बीस साल तक बनारस यूनीवर्सिटी के वाइस-चांसलर रहे, उनके बाद हमारे आज के माननीय उपराष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन ९ साल तक उस विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर रहे, उन के बाद इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री गोविन्द मालवीय उस विश्वविद्यालय के वाइसचांसलयर रहे, उनके बाद प्रातः स्मरणीय श्री नरेन्द्र देव जी उस विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर रहे, उनके बाद डा० सी० पी० रामस्वामी वाइसचांसलर रहे जो कि इस से पहले अन्नामलाये विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर रह चुके थे। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि शुरू से बनारस विश्वविद्यालय में जो जो वाइसचांसलर रहे वे शिक्षा के क्षेत्र में या सार्वजनिक जीवन में प्रमुख स्थान रखते थे या कालेज और यूनीवर्सिटी की शिक्षा में उनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था जिसके आधार पर वे वाइसचांसलर बनाये गये । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो आज के बाइसचांसलर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका भूत क्या है । मुझे बताया गया है कि अपने पूरे जीवन में चार या पांच महीने से अधिक उन्होंने कोई सिखाई पढ़ाई के विषय में काम नहीं किया वह इंस्पैक्टर आफ स्कूल्स रहे, कहीं डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन रहे, पबलिक सरविस कमीशन के मेम्बर रहे लेकिन जहां तक शिक्षा क्षेत्र का सवाल है या जहां तक सार्वजनिक जीवन का सवाल है । उस में उनका कोई महत्व का स्थान नहीं था । जब डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर ने ७६ साल की उम्र में यह कहा कि मेरी बहुत उम्र हो गयी है और मैं चाहता हूं कि इस अरसे में मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है उसको लिख जाऊं और यह कह कर जब उन्होंने इस्तैफा दिया तो इन सज्जन को वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त किया

गया । जब श्री अय्यर ने इस्तैफा दिया तो यह बात हुई की दूसरा वाइसचांसलर ढूंढा जाय और बनारस यूनीवर्सिटी के कोर्ट को कहा गया कि आप नामों की सिफारिश कीजिये । वहां से नामों की सिफारिश की गयी। चार नाम भेजे गये। मैं उन सब नामों को नहीं लेना चाहता लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जो आज के वाइसचांसलर हैं और जिनको केन्द्रीय सरकार की सिफारिश पर विजिटर ने वाइसचान्सलर नियुक्त किया है उन को केवल चार वोट ही मिले थे। उन से ज्यादा वोट श्री एम० सी० विजावत को मिले थे, उस के बाद वोट श्री आर० एस० त्रिपाठी को मिले थे जिनका २५ या ३० साल का शिक्षा का अनुभव था, उन के बाद एक और सज्जन थे उनको भी आज के वाइसचांसलर से ज्यादा वोट मिले थे। वह सज्जन हमारे आज के राजस्थान के गवर्नर सरदार गुरुमुख निहाल सिंह हैं। लेकिन जो आज के वाइसचांसलर हैं उनको सिर्फ चार वोट ही मिले थे। ये नाम विजिटर के पास आये और उन में से उन्होंने इन को वाइस-चांसलर नियुक्त किया। विजिटर साहब ने श्री एम० सी० विजावत को नियुक्त नहीं किया जिन को १२ वोट मिले थे, श्री आर० एस० त्रिपाठी को नियुक्त नहीं किया जिनको ११ वोट मिले थे, और श्री गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त नहीं किया जिनको ७ वोट मिले थे। उन्होने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका शिक्षा के बारे में चार या पांच महीने का अनुभव था और जिसको केवल चार वोट मिले थे। मेरा मंशा किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने के नहीं है । मैं यह केवल यह दिखाने के लिए कह रहा हूं कि किस प्रकार नियुक्ति की गयी।

कहा जाता है कि वर्तमान वाइसचांसलर के आने के बाद बनारस विश्वविद्यालय में अव्यवस्था फैली और अनुशासनहीनता बढ़ गयी । शिक्षा का काम अच्छी तरह से नहीं चल रहा था और ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि विजिटर को यह आवश्यकता महसूस हुई कि बनारस यूनीवर्सिटी एक्ट की धारा ५ की उप धारा ३ के मुताबिक जांच पड़ताल कराये और यह देखें कि इस में क्या संशोधन करने की जरूरत है ।

हमारे वर्तमान वाइसचांसलर को वहां नियुक्त हुए दो साल हो गये । हमारा जो बनारस यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें विजिटर को यह अधिकार दिया हुआ है कि अगर एग्जीक्युटिव काउंसिल या कोर्ट कोई ऐसी कार्रवाही करे कि जो ऐक्ट के स्टेट्यूट्स के या यूनीवर्सिटी के आर्डिनेंस की भावनाओं और विचारों के खिलाफ हो तो उसको विजिटर एनल या खत्म कर सकता है !। मैं शिक्षा मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि इस कमेटी के बिठाने के पहले क्या एक दफा भी एसा अवसर हुआ कि वहां के किसी प्रोसीडिंग को खत्म या एनल किया गया हो । मेरी सूचना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात हो गयी . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि उन्हें आधा घंटा दिया गया है ।

श्री ब्रजराज सिंह : श्रीमान् यह एक महत्वपूर्ण विषय है । इसलिये मुझे थोड़ा समय और दिया जाये । मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री व्रजराज सिंह]

वर्तमान वाइसचांसलर की नियुक्ति हुई । उनकी नियुक्ति के बाद ही यूनिवर्सिटी में अनुशासनहीनता की बात बढ़ी और वहां पर होने वाले झगड़ों की बात चली और ऐसी परिस्थितियां पैदा हुईं, जिन में कहा जाने लगा कि वहां ऐसी अव्यवस्था फैलती जा रही है, जिस को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि उस यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, वहां के प्रबन्ध में कुछ खराबी हो सकती है, लेकिन इस के साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी इस बात की जांच करने का प्रयत्न किया गया है कि वहां पर क्या खराबी पैदा हो गई है और वर्तमान प्रबन्ध में गड़बड़ क्यों है और वहां क्यों अव्यवस्था फैल रही है । इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एग्जेक्टिव कौंसिल के २१ सदस्यों में पांच चुने हुये सदस्य हैं । उन पांच सदस्यों में से एक सदस्य हमारी केन्द्रीय सरकार के एक सदस्य हैं । मेरा तात्पर्य माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत से है——जो इतने व्यस्त रहते हैं कि दो दो टर्म के लिये चुने जाने पर भी उन्होंने कभी बनारस यूनिवर्सिटी जाने की कृपा नहीं की कभी मीटिंग में उपस्थित होने की कृपा नहीं की । इस प्रकार उन २१ सदस्यों में चार आदमी ऐसे रह जाते हैं जो चुने हुये हैं और जो तथा-कथित पूर्वी यू० पी० के हैं । प्रश्न यह है कि अन्य लोगों के बहुमत में होते हुये यह कैसे संभव हुआ कि अल्पमत के लोग वहां अपनी सत्ता कायम किये हुये थे । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर कोई खराबी थी तो आप विभिन्न उपायों से उसे दूर करने का प्रयत्न करते । अगर वहां की एग्जेक्टिव कौंसिल नाकारा थी तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति एग्ज़ेक्टिव कौंसिल को प्रिज़ाइड करता है——वाइसचांसलर——उसने इस संबंध में कोई कोशिश की । जो आर्डीनेंस लागू किया गया उसके अधीन एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई जिसके तीन सदस्य हैं जिन में से एक तो हाई कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज होंगे और एक वाइसचांसलर होंगे **एक्स आफिशिओ** । इसका मतलब यह है कि जब तक यह आर्डीनेंस रहता है तब तक बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर स्क्रीनिंग कमेटी के मेम्बर रहेंगे । अभी अखबारों में यह समाचार छपवाया गया है कि वाइस-चांसलर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और स्क्रीनिंग कमेटी में काम करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है । लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक आर्डीनेंस मौजूद है तब तक वाइसचांसलर स्क्रीनिंग कमेटी से इस्तीफ़ा नहीं दे सकते हैं । अगर वह वाइसचांसलर के पद से भी इस्तीफ़ा दे दें तभी वह उस कमेटी से इस्तीफ़ा दे सकते हैं । हमने इस बारे में यह शिकायत की थी कि यह बात कहां तक उचित है कि जिस व्यक्ति का उन सब मामलों से निकट संबंध रहा हो जिस पर आरोप लगाये गये हों वही जज बन कर बैठे और वही सज़ा दे । शायद उसी संबंध में इस तरह के समाचार छपवाये गये हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर्डीनेंस के रहते हुये जो व्यक्ति वाइसचांसलर के पद पर है वह स्क्रीनिंग कमेटी से हट नहीं सकता है । केन्द्रीय सरकार को बाद में अवश्य अक्ल आई है और उसने वर्तमान बिल में स्क्रीनिंग कमेटी में वाइसचांसलर का नाम नहीं रखा है । हो सकता है कि इसी लिये स्क्रीनिंग कमेटी में से वाइसचांसलर को हटा दिया गया है लेकिन आर्डीनेंस के अधीन स्क्रीनिंग कमेटी में से वाइसचांसलर के हटने का कोई सवाल नहीं है ।

मेरा यह स्पष्ट मत [illegible] आजकल ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिस में कि इस आर्डीनेंस की ज़रूरत थी और खास तौर [illegible] इस अवस्था में जब कि एग्ज़ेक्टिव कौंसिल के २१ सदस्यों में नामीनेटिड लोगों की संख्या ज्यादा थी जिन को वाइसचांसलर, चांसलर और मिनिस्टर नामीनेट करते थे, जो चार पांच व्यक्ति चुने हुये थे जिनको ईस्टर्न यू० पी० या यू०पी० का कहा जाता है वे कोई नुक्सान नहीं

पहुंचा सकते थे और अगर वे नुक्सान पहुंचा सकते थे तो क्या हिन्दुस्तान की सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यह कोशिश की कि उनसे बात चीत की जाय और उनको कहा कि तुम्हारी वजह से इस यूनीवर्सिटी के नाम पर धब्बा लग रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्री का० ला० श्रीमाली ने—अंग्रेजी में के० एल० को का० ला० कहते हैं—इस बात की कोशिश की कि उन लोगों को बताया जाय कि तुम्हारी वजह से इस यूनीवर्सिटी के नाम पर काला धब्बा लग रहा है इस लिये आप इस्तीफ़ा दे दीजिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई कोशिश नहीं की गई कि जिन व्यक्तियों की वजह से वहां पर गड़बड़ हो रही थी उन से बात की जाती या उनको हटने के लिये कहा जाता । जहां तक ईस्ट्रन यू० पी० के तथा-कथित गुट का सवाल है मैं सब से पहला व्यक्ति हूंगा जो यह कहेगा कि बनारस यूनिवर्सिटी के कार्य-संचालन में इस तरह की भावना नहीं रहनी चाहिये । अगरे ईस्टर्न यू० पी० या वैस्टर्न यू० पी० या यू० पी० की भी बात आती है तो मैं कहूंगा कि वहां पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये । लेकिन वह कार्यवाही करने का यह तरीका नहीं है जो कि अपनाया गया है उस का दूसरा तरीका है । मैं यह बात साबित करूंगा कि यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह की भावना नहीं है कि वहां पर ईस्टर्न यू०पी० और हिन्दुस्तान का सवाल उठाया जाता हो । जो तथ्य हैं जो फ़ैक्टस हैं वे इस बात को साबित करेंगे कि इस वक्त यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर—उसका चरित्र—बिल्कुल अखिल-भारतीय बना हुआ है । इस समय यूनिवर्सिटी के ५७५ टीचर्ज़ में से ३६४ अभी तक यू० पी० से बाहर के हैं, १२२ वैस्ट यू० पी० के हैं और केवल ८९ ईस्टर्न यू० पी० के हैं । दूसरे शब्दों में ६३.३ परसेंट यू० पी० के बाहर के हैं १८.६ परसेंट वैस्ट यू० पी० के हैं और १५.५ परसेंट ईस्टर्न यू० पी० के हैं । यही अवस्था प्रिंसिपल्ज की है । चौदह प्रिंसिपल्ज में से ईस्टर्न यू० पी० के सिर्फ दो प्रिंसिपल्ज हैं । विद्यार्थियों का भी यही हाल है और ईस्टर्न यू० पी० के विद्यार्थियों का वहां पर बहुत कम हिस्सा है। जहां तक उन कालेजों का सवाल है जिनमें टेक्निकलशिक्षा दी जाती है उन में साफ़ तौर पर अखिल भारतीय स्तर पर हरेक सूबे के लिये कोटा निर्धारित है और अगर किसी सूबे से निर्धारित संख्या में विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होता है तो ईस्टर्न या वैस्टर्न यू० पी० के विद्यार्थी नहीं रखे जा सकते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जिन का कोई आधार नहीं है जिन को साफ तौर पर झूठ कहा जा सकता था । मेरे पास पूरी एविडैंस नहीं है सब स्मृतिपत्र नहीं हैं जिन के आधार पर यह कहा जा सके कि उन्होंने जो बात कही है, वह झूठी है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं, जो कि **आन दि फेस आफ इट** झूठी हैं जिन में कोई तथ्य नहीं है । इस कमेटी की रिपोर्ट में बार बार कहा गया है "इज सेड टु बी, इज़ स्टेटिड टु बी" । यह नहीं कहा गया है कि यह बात है, बल्कि यही कहा गया है कि "इज़ सेड टु बी", "इज़ स्टेटिड टु बी"... जिससे शंका भी रहे, सही बात भी सामने न आने पाये और मुल्क के लोगों पर यह प्रभाव भी पड़ जाये कि बनारस यूनवर्सिटी में बहुत गड़बड़ी है और साथ ही कानून के दायरे में भी न बन्धने पायें । इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस यूनीवर्सिटी के २३ अध्यापक ऐसे हैं, जिनके यूनिवर्सिटी के साथ मुकदमें चल रहे हैं—जो या तो उन्होंने चलाये हुये हैं या यूनीवर्सिटी ने चलाये हुये हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन २३ आदमियों की लिस्ट दी गई है, उन में से १३ आदमी इस तरह के हैं, जिन के खिलाफ़ न तो यूनीवर्सिटी की तरफ़ से कोई मुकदमा चल रहा है और न उन्होंने यूनीवर्सिटी के खिलाफ़ कोई मुकदमा चलाया हुआ है । यह एक बिल्कुल झूठ बात कह दी गई है । डा० राजबलि पांडे के खिलाफ़ यूनिवर्सिटी ने कोई मुकदमा नहीं चलाया हुआ है और न उन्होंने यूनीवर्सिटी के खिलाफ़ मुकदमा चलाया हुआ है । यही हालत बाटेनी डिपार्टमेंट, सेल आफ़ ओल्ड न्यूज़पेपर्ज़, कालेज आफ़ माईनिंग एंड मेटालर्जी

[श्री ब्रजराज सिंह]

वगैरह की है । उन के संबंध में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है । इसी तरह से डा० आर० एस० ओझा और पंडित धनेश्वर पांडे के खिलाफ़ भी कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और न उन्होंने ही कोई मुकदमा चलाया हुआ है। एक बात यह भी कह दी गई है कि किसी प्रोफेसर के खिलाफ अननैचरुल आफ़ेन्स का मुकदमा चल रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह साफ़ तौर से एक झूठ बात कही गई है । मैं कहना चाहता हूं कि किसी अदालत में कोई मुकदमा यूनीवर्सिटी के किसी प्रोफ़ेसर के खिलाफ अननैचरुल आफ़ेन्स के बारे में नहीं चल रहा है । न जाने कमेटी को यह विश्वास कैसे हो गया कि ऐसी घटना हुई है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां पर दस हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, ६०० टीचर रहते हैं और उस यूनीवर्सिटी का कैम्पस् तेरह सौ एकड़ जमीन पर फैला हुआ है । इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई एक आध ऐसी घटना हो जाती है, तो क्या उसको लेकर सारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करना और इस तरह स्वर्गीय महामना मालवीय जी की आत्मा को ठेस पहुंचाना किसी तरह भी उचित है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट का कोई आधार नहीं था, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट फिर भी लिखी गई और जान बूझ कर लिखी गई। हमारे देश में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो पुरानी ब्रिटिश परम्परा को कायम करना चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में शिक्षा का प्रसार न हो, लोग अपढ़ रहें और इस देश में एक विदेशी भाषा का प्रयोग होता रहे, जिसके बल पर केवल एक फ़ीसदी लोग सारे हिन्दुस्तान पर शासन करते रहें । वे लोग खास तौर पर यह चाहते हैं कि इस देश में उच्च शिक्षा का प्रसार न हो । उस में कहा गेया है कि चूंकि यूनिवर्सिटी में दस हजार विद्यार्थियों के लिये रेज़ीडेंशियल एकामोडेशन नहीं है, इस लिये वहां विद्यार्थियों की संख्या पांच हजार कर दी जानी चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि १९१६ में मालवीय जी ने १३०० एकड़ जमीन हस्तगत कर के यह कोशिश की कि इस यूनिवर्सिटी में दस हजार विद्यार्थी हों और नालंदा विश्वविद्यालय की तरह यह यूनीवर्सिटी बढ़े । आज जब १३०० एकड़ जमीन इस यूनीवर्सिटी के पास है तब मुदालियर कमेटी कहती है कि सरकार इस पर विचार करे ।

सरकार कहती है कि उसके सामने इस रिपोर्ट को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि यह एक हाई पावर्ड कमेटी थी । यह कितनी हाई पावर्ड कमेटी थी, इसके संबंध में मैं दो एक शब्द निवेदन करना चाहता हूं । इसके एक सदस्य बनारस यूनीवर्सिटी के पहले लेक्चरार थे । जब वे वहां लैक्चरार थे उस वक्त महामना मालवीय जी ने एक दूसरे लैक्चरार को उस यूनीवर्सिटी का वाइस-प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिया और उनको मुकर्रर नहीं किया —

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात लोक-सभा बृहस्पतिवार, १४ अगस्त, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	२५३–२७५
तारांकित प्रश्न संख्या		
७१	तेल शोधक कारखाने के लिये रूमानिया की सहायता . .	२५३—२५५
७२	टेक्निकल विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां . .	२५५–२५६
७३	सोने के बाण्ड योजना	२५६–२५७
७५	पटियाला निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन	२५७–२५८
७६	इंजीनियरिंग के स्नातक	२५८—२६१
७७	प्रतिरक्षा उत्पादन योजना समिति	२६१—२६३
७८	चोरी-छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना . . .	२६३–२६४
७९	विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां	२६४—२६६
८०	भारत-पाक वित्तीय मामले . . .	२६६–२६७
८१	मैसर्ज़ होचटिफ गैमन, बम्बई के लिये इंजीनियरिंग का ठेका	२६७–२६९
८२	केरल उच्च न्यायालय की बैंच . . .	२६९—२७०
८३	"अन्य पिछड़े वर्ग"	२७०—२७२
८४	बिहार को लोहे तथा इस्पात का संभरण . . .	२७२–२७३
८५	राजकीय कोयला खानों के अस्पतालों के कर्मचारी . .	२७३
८६	आयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड . . .	२७३–२७४
८७	विदेशी मुद्रा लेखा	२७४–२७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	२७५—३२८
तारांकित प्रश्न संख्या		
७४	भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले . . .	२७५–२७६
८८	अस्पृश्यता	२७६
८९	प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में उत्पादन	२७६
९०	आज़ाद हिन्द फौज	२७७
९१	मध्य क्षेत्रीय परिषद्	२७७
९२	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	२७८
९३	स्कूल के बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन . . .	२७८
९४	दोहरे कराधान को रोकने के लिये करार . . .	२७९
९५	उड़ीसी नृत्य	२७९
९६	सीमा-शुल्क निवारक पदाधिकारी की गिरफ्तारी . .	२७९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
९७	भारत में विटामिन "सी" का निर्माण	२८०
९८	कारतूस	२८०
९९	भिखारी समस्या	२८०–८१
१००	इण्डिया आफिस पुस्तकालय	२८१
१०१	कृत्रिम वर्षा	२८१
१०२	विदेशी विनियोजन	२८२
१०३	नागाओं को शस्त्रास्त्रों का संभरण	२८२
१०४	केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति	२८२–२८३
१०५	एम० बी० निकोबार जहाज की खरीद	२८३
१०६	भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड्गपुर	२८३–२८४
१०७	पंजाब विश्वविद्यालय (कैम्प) कालेज, नई दिल्ली	२८४
१०८	अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक से ऋण	२८४–२८५
१०९	कुतुब मीनार में बिजली लगाना	२८५
११०	अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष	२८५
१११	अनैतिक व्यापार का दमन	२८५–२८६
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१८३	माध्यमिक शिक्षा	२८६
१८४	इस्पात कारखानों के लिये भारतीय टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण	२८६
१८५	इस्पात कारखानों का प्राक्कलन	२८६–२८८
१८६	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	२८८–२८९
१८७	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	२८९–२९०
१८८	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	२९१
१८९	इस्पात कारखानों के परामर्शदाताओं को भुगतान	२९१
१९०	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	२९१
१९१	मैंगनीज़ अयस्क	२९१–२९२
१९२	उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	२९२
१९३	युद्धास्त्र कारखानों में कुशल श्रमिक	२९२
१९४	पूंजी लाभ कर	२९३
१९५	पाकिस्तान को कोयले का निर्यात	२९३–२९४
१९६	योजना अवधि में राज्यों को सहायता अनुदान	२९४
१९७	आयकर की बकाया राशि	२९४
१९८	आयकर सम्बन्धी निलम्बित अपीलें	२९५
१९९	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान	२९५–२९६
२००	उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा	२९६
२०१	व्यय-कर	२९६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२०२	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान	२९६
२०३	इस्पात का उत्पादन	२९६–९७
२०४	चूने का पत्थर	२९७
२०५	विभिन्न वेतन-क्रम के सरकारी कर्मचारियों की संख्या	२९८
२०६	राजस्थान में अल्प बचत	२९८
२०७	सिगार पर उत्पादन-शुल्क	२९८
२०८	बेसिकोत्तर संस्थायें	१२९८–९९
२०९	लड़कियों की शिक्षा और महिला अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के विस्तार की केन्द्रीय योजना	२९९
२१०	नम प्रदेश गवेषणा केन्द्र	२९९–३००
२११	भारत-जर्मन औद्योगिक सहकारिता योजना छात्रवृत्तियां	३००–३०१
२१२	केन्द्रीय अधिनियम	३०१
२१३	पंजाब में विज्ञान मन्दिर	३०१
२१४	कोत्तागुदम में खनिज, संस्था	३०१–३०२
२१५	भारत-अमरीकी टेकनीकल सहायता कार्यक्रम	३०२
२१६	जेट विमानों के लिये राकेट	३०२
२१७	आसाम में पर्वतीय-क्षेत्र मंत्रालय की रचना	३०३
२१८	राष्ट्रीय रंगमंच	३०३
२१९	अध्यापकों के लिये त्रिरूप लाभ परियोजना	३०३
२२०	वैज्ञानिक सिविल सर्विस	३०३–३०४
२२१	प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारी	३०४
२२२	हिन्दी विश्वकोष	३०४
२२३	भारतीय प्रशासन सेवा पदाली	३०४
२२४	काश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों की गिरफ्तारियां	३०५
२२५	पंजाब में सड़क निर्माण कार्यक्रम	३०५
२२६	नरतत्व सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड	३०५
२२७	स्वेच्छा से वेतनों में कटौती कराना	३०६
२२८	पंजाब में राज्य-गृह	३०६
२२९	अध्यापकों से व्यवसाय कर लेना	३०६
२३०	बाल अपराध	३०७
२३१	जेरिकन का निर्माण	३०७
२३२	लन्दन के एक बैंक में भूतपूर्व हैदराबाद का धन	३०७
२३३	भारतीय नौ-सेना	३०७–३०८
२३४	भारतीय विमान बल	३०८
२३५	पंजाब में संगमरमर के निक्षेप	३०८
२३७	शिक्षा के लिये योजना बनाना	३०८–३०९
२३८	स्टेनलेस स्टील का आयात	३०९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२३९	हिमाचल प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा	३०९
२४०	विज्ञान को लोकप्रिय बनाना	३०९
२४१	त्रिपुरा के आदिम जातियों के छात्र	३१०
२४२	बिजली की भट्टियों, इस्पात की फाउंडरियों और इस्पात पुनर्बेलन मिलों के लिये समिति	३१०–३११
२४३	उज्जैन में मिली वस्तुएं	३११
२४४	नई दिल्ली नगरपालिका समिति का पुनर्गठन . .	३११
२४५	दिल्ली में सायंकालीन कालेज . . .	३१२
२४६	वैशाली के निकट खुदाई	३१२
२४७	सैकंडरी स्टेज में भाषाओं का अध्यापन . . .	३१२
२४८	गजेटीयरों का पुनरीक्षण	३१२
२४९	सुन्दरगढ़ में चूने और डौलोमाइट के निक्षेप . . .	३१३
२५०	माध्यमिक शिक्षा	३१३–३१४
२५१	परीक्षा पद्धतियां	३१४
२५२	दिल्ली में प्रौढ़ पाठशालायें	३१४
२५३	दरियागंज दिल्ली में छात्रवृत्ति विभाग के कार्यालयों में आग .	३१५
२५४	निवेली लिगनाइट परियोजना	३१५—३१७
२५५	हरिजनों के लिये केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड . . .	३१७
२५६	मचकुण्ड क्षेत्र में अनुसूचित आदिम जातियां . . .	३१७–३१८
२५७	सन्थाल परगना में स्वर्ण निक्षेप	३१८
२५८	गोरखपुर में अभ्रक और सोने के निक्षेप . . .	३१८–३१९
२५९	आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण की पटना बैंच . .	३१९
२६०	मनीपुर में आग बुझाने की सर्विस	३१९
२६१	दिल्ली में चलचित्रों पर मनोरंजन-कर . . .	३१९
२६२	अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र	३२०
२६३	नागा विद्रोही	३२०
२६४	जेट लड़ाकू ग्नैट विमान का निर्माण	३२०
२६५	भारतीय खान ब्यूरो	३२१
२६६	गूंगे-बहरे	३२२
२६७	अंकों के रूप	३२२
२६८	विदेशियों का पंजीयन अधिनियम का उल्लंघन . . .	३२२
२६९	हिमाचल प्रदेश में आय-कर का बकाया . . .	३२३
२७०	पंजाब की गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान . .	३२३
२७१	पंजाब में कैम्पों के लिये मैदान	३२३
२७२	फीरोजपुर में अफसरों के बंगले	३२३–३२४
२७३	आय-कर संग्रह	३२४
२७४	दिल्ली के स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी . . .	३२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७५	दिल्ली राज्य स्कूल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ . .	३२४–३२५
२७६	सिन्धी भाषा	३२५
२७७	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना .	३२५
२७८	मद्रास और हैदराबाद के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क संग्रह-कार्यालय .	३२५
२७९	पश्चिम क्षेत्रीय परिषद् . .	३२५–३२६
२८०	लोक-सहायक सेना के शिविर . . .	३२६
२८१	आरम्भिक शिक्षा के बारे में प्रादेशिक गोष्ठियां . . .	३२७
२८२	क्लर्कों की परीक्षा	३२७
२८३	दुष्प्राप्य पांडुलिपियां	३२८
२८४	अनुसूचित बैंकों का परिसमापन	३२८
२८५	राजनीतिक पीड़ित	३२८
२८६	केरल में अस्पृश्यता का प्रचार	३२८
स्थगन प्रस्ताव		३२९—३३१
	(१) उपाध्यक्ष ने १२ अगस्त, १९५८ को अहमदाबाद में पुलिस द्वारा गोली चलाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में नौ स्थगन प्रस्तावों को, जिन की सूचना निम्नलिखित सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—	
	सर्वश्री गोरे, नाथ पाई, यादव नारायण जाधव, श्री० अ० डांगे, स० म० बनर्जी, तंगामणि, नौशीर भरूचा, पु० र० पटेल, करसनदास परमार, खाडिलकर, आसर और ठाकुर श्री फतेहसिंह जी घोडासर और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ।	
	(२) उपाध्यक्ष ने १२ अगस्त, १९५८ को अहमदाबाद में पुलिस द्वारा गोली चलाने तथा अन्य विषयों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को भी, जिस की सूचना राजा महेन्द्र प्रताप ने दी थी, नियमबाह्य घोषित कर दिया ।	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		३३२—३३७
	निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—	
	(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—	
	(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ५ सितम्बर, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड का पहला वार्षिक प्रतिवेदन, निगम के लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।	
	(दो) सरकार द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा ।	

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्र : क्रमशः

(२) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९५८ की अधिसूचना संख्या ८/५९ डी० एम० कारपोरेशन में प्रकाशित दिल्ली सीमाकर नियम १९५८ की एक प्रति ।

(३) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १२ मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या एफ० २०/५२/५८–एस आर (आर) में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (पारिषद्यों और नगर बृद्धों के भत्ते) नियम, १९५८ की एक प्रति ।

(४) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ अप्रैल, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या २५० ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ अप्रैल, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या २५१ ।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (छट्टी) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ अप्रैल, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या २७० ।

(५) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम की धारा ३ की उपधारा २ के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १७ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३७६ ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४०१ ।

(तीन) राज्य-सचिव की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४०२ ।

(चार) अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४१८ ।

(पांच) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४४७ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्र: क्रमश :

(छः) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४४८ ।

(सात) भारतीय असैनिक सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जून, १९४८ की जी० एस० आर० संख्या ४४९ ।

(आठ) राज्य-सचिव की सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४५० ।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २१ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४८९ ।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५४२ ।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५४५ ।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५४६ ।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५४८ ।

(चौदह) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५४९ ।

(पन्द्रह) दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५५० जिस में अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि तथा परिवार निवृत्ति-वेतन निधि से भुगतान और उस में धन का जमा किया जाना) नियम, १९५८ ।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५५१ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्र : क्रमश :

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, १६५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ६ अगस्त, १६५८ की जी० एस० आर० संख्या ६६२ ।

(अठारह) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १६५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ६ अगस्त, १६५८ की जी० एस० आर० संख्या ६६३ ।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १६५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ६ अगस्त, १६५८ की जी० एस० आर० संख्या ६६८ ।

(बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १६५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ६ अगस्त, १६५८ की जी० एस० आर० संख्या ६७१ ।

(६) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १६५७ की धारा ७८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार नियम, १६५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ अप्रैल, १६५७ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६७ की एक प्रति ।

(७) दान-कर अधिनियम, १६५८ की धारा ४६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ३१ मई, १६५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४३० में प्रकाशित दान-कर नियम, १६५८ की एक प्रति ।

(८) व्यय-कर अधिनियम, १६५७ की धारा ४१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत व्ययकर नियम, १६५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० मई, १६५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१४ की एक प्रति ।

(६) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १६५५ की धारा १६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १६५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३ मई, १६५८ का जी० एस० आर० संख्या २६४ ।

(दो) दिनांक १७ मई, १६५८ का जी० एस० आर० संख्या ३८३ ।

(तीन) दिनांक २८ जून, १६५८ का जी० एस० आर० संख्या ५२२ ।

(चार) दिनांक ५ जुलाई, १६५८ का जी०एस० आर० संख्या ५५२ ।

(१०) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १६४८ की धारा १८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, ३१ दिसम्बर, १६५७ को समाप्त होने वाली छमाही के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्र—क्रमशः

(११) भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२, की धारा ३४(१क) के अन्तर्गत चलाये गये मामलों में की गई कार्यवाही की ३१ मई, १९५८ तक की प्रगति दिखाने वाले वक्तव्य की एक प्रति ।

(१२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (मोमजामा) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली, दिनांक ३० अप्रैल, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३०३ ।

(दो) दिनांक ६ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३११ । जिस में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (काफी) नियम, १९५८ दिये हुए हैं ।

(तीन) सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (कृत्रिम रेशम) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४२४ ।

(चार) दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४२५ जिस में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (फेट्टी एसिड्स) नियम, १९५७ दिये हुए हैं ।

(पांच) सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (क्राउन कार्क) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४४४ ।

(छः) दिनांक १६ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४३६ जिस में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (हरिकेन लैम्प) नियम, १९५८ दिये हुए हैं ।

(सात) दिनांक ८ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७७ जिस में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (पेन्ट) नियम, १९५८ दिये हुए हैं ।

(आठ) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७८ जिस में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (स्पार्किंग प्लग्स) नियम, १९५८ दिये हुए हैं ।

(नौ) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५८० जिस में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (जूते) नियम, १९५८ दिये हुए हैं ।

विषय

सभा पटल पर रखे गए पत्र—क्रमशः

(दस) दिनांक ८ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५८१ जिस में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (बिजली के पंखे) नियम, १९५८ दिये हुए हैं ।

(ग्यारह) दिनांक १२ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६०७ जिस में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मिठाइयां) नियम, १९५८ दिये हुए हैं ।

(१३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ६ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३१० ।

(दो) दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४२१ ।

(तीन) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (डिसइफैक्टैंट्स और एंटीसैप्टिक्स) नियम, १९५८ सम्बन्धी दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४२२ ।

(चार) दिनांक ३१ मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४२३ ।

(पांच) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (कढ़ाई की हुई वस्तुयें) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४५५ ।

(छः) दिनांक ७ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४६६

(सात) सीमा शुल्क (प्रत्याहृत कौपर डस्टिंग प्रेपरेशन्स) नियम, १९५८ सम्बन्धी ७ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४६७ ।

(आठ) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (रूफिङ फैल्ट) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४७८ ।

(नौ) दिनांक १६ जून, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ४८५ ।

(दस) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७३ ।

(ग्यारह) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (कृत्रिम मोती) नियम, १९५८ सम्बन्धी दिनांक ७ जुलाई १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७४ ।

(बारह) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७५ ।

(तेरह) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७६ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्र—क्रमशः

(चौदह) दिनांक ७ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ५७९ ।

(पन्द्रह) दिनांक १२ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६०६ ।

(१४) केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १० मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३२१ ।

(दो) दिनांक १० मई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ३२२

(तीन) दिनांक १९ जुलाई, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ६१२ ।

(१५) अखिल भारतीय आदिम जाति सम्मेलन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ पर श्री संगण्णा द्वारा १८ अप्रैल, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३३८

श्री नौशीर भरूचा ने कोटला बिजली घर के बन्द हो जाने की ओर, जिस के फलस्वरूप दिल्ली को दी जाने वाली बिजली में कमी करनी पड़ी, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया ।

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ३३८—४२

(१) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने जेल मैनुअल समिति के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २०९९ पर श्री दीवान चन्द शर्मा द्वारा ९ मई, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

(२) शिक्षा मंत्री की ओर से गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने निम्नलिखित वक्तव्य दिये :—

(एक) हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ और १३१५ पर पंडित

विषय पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—क्रमशः

द्वारका नाथ तिवारी द्वारा २८ मार्च, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये ।

(दो) स्कूलों के लिये भवनों के निर्माण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ पर श्री नवल प्रभाकर द्वारा ७ अप्रैल, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये ।

(३) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति की तुलना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं के बारे में एक वक्तव्य दिया

समिति के लिये निर्वाचन ३४२–४३

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रीय सेना छात्र दल सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुरःस्थापित—

चीनी निर्यात सवंर्द्धन विधेयक, १९५८ . . ३४३

अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया . . ३४३

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियिमों के नियम ७१(१) के अन्तर्गत चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश, १९५८ द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया ।

संविहित संकल्प अस्वीकृत ३४३—३४६

श्री नौशीर भरूचा ने राष्ट्रपति द्वारा ३० जून, १९५८ को प्रख्यापित खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश, १९५८ को नामंजूर करने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । संकल्प चर्चा के बाद अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित . . . . . . ३४६—३६२

वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) ने खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्क) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । खण्डवार विचार करने के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

संविहित संकल्प—विचाराधीन ३६३—३७८

श्री अजराज सिंह ने राष्ट्रपति द्वारा २४ जून, १९५८ को प्रख्यापित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश १९५८ को नामंजूर करने के बारे में संल्कप प्रस्तुत किया ।

बृहस्पतिवार १४ अगस्त, १९५८ के लिये कार्यावलि—

संकल्प और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे चर्चा तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर भी विचार और उस का पारित किया जाना ।